खण्ड-303, अंक-2
शुक्रवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1895
(30 मार्च, 1973 ई0)

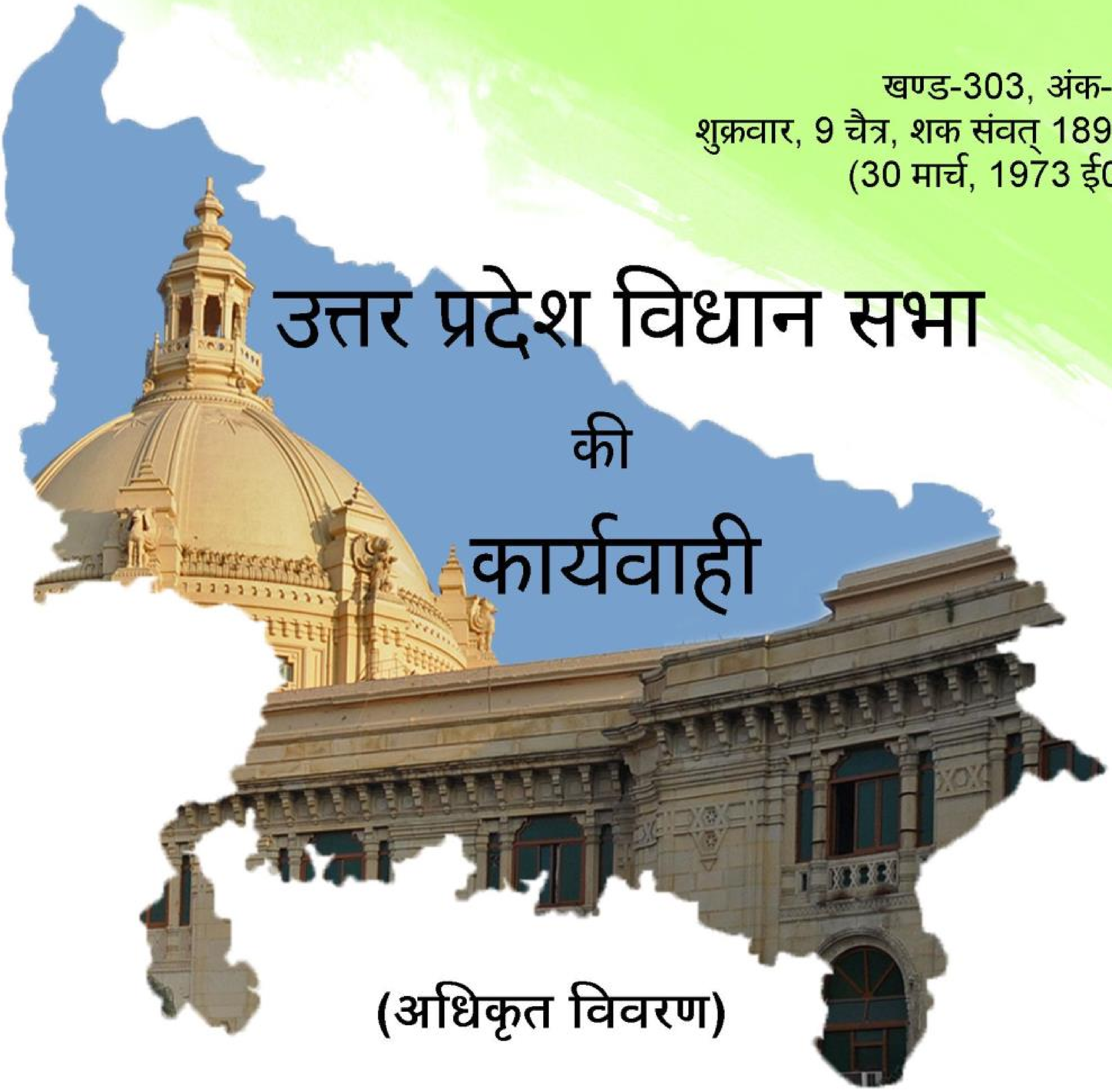

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 30 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--364

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमा शंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री

गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी. श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री,
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद, खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 30 मार्च, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश ग्राम सेवक संघ की मांगें

* * 1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं), श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी), श्री राम सागर (जिला जौनपुर) तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम सेवक संघ ने दिनांक 13 मार्च, 1973 को अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन या स्मृति-पत्र सरकार को दिया है और मांगें पूरी न होने पर हड़ताल पर जाने की नोटिस दी है? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और शासन उन मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

ग्राम सेवक संघ की ओर से 13-3-73 का कोई ज्ञापन या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कृष्णस्वरुप वैश्य--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें 13 तारीख को कोई ज्ञापन चाहे न भी मिला हो लेकिन उस तारीख के आसपास कोई ज्ञापन, शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल मिला है और उसने कोई ज्ञापन या स्मृतिपत्र पत्र दिया है जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, जिस ज्ञापन या स्मृति पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है वह हमें 14 तारीख को प्राप्त हुआ है ।

श्री कृष्णस्वरुप वैश्य--

जो ज्ञापन 14 तारीख को उन्हें मिला है उस की मुख्य मांगें क्या थीं और उन के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर दिया गया कि कोई ज्ञापन नहीं मिला लेकिन उत्तर यह आना चाहिये था कि 13 को तो नहीं मिला लेकिन 14 तारीख को एक ज्ञापन मिला है आप व्यवस्था दें कि क्या ऐसा उत्तर मंत्री जी की तरफ से आना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष--

आपको प्रश्न भी 14 का ही करना चाहिये था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर एक दिन इधर उधर की बात होती है तो क्या उत्तर ऐसे ही देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरों की गलती पकड़ते हैं, अपनी नहीं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम सेवक संघ की 2 मुख्य मांगे थीं, एक तो यह थी कि ग्रामसेवकों को विभागाध्यक्षों के पदों पर प्रोन्नति दी जाय, उनका अलग से निदेशालय हो और प्रदेश में उनके लिय अलग से विकास सेवा का सृजन किया जाय और दूसरी मांग यह थी कि 15 जून, 1961 के शासनादेश को वापस लिया जाय ।

श्री कृष्णस्वरुप वैश्य--

यह जो मुख्य मांग थी कि उनका अलग से मुख्यालय हो और 15 जून का आदेश वापस लिया जाय, इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जहां तक 15 जून, 1961 के शासनादेश का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव इस मामले को देख रहे हैं और उन्होंने विभागीय अध्यक्षों, कृषि निदेशक, पंचायत निदेशक और निबन्धक सहकारी समितियों की बैठक बुलाई थी उसमें विचार विनियम के बाद मुख्य सचिव ने उचित समझा कि पहले तमाम विकास खंडों से मालूम किया जाय कि सन 61 के शासनादेश के अनुसार काम ठीक चल रहा है या नहीं और जब मुख्य सचिव का प्रतिवेदन पूर्ण विचार करने के बाद आ जायगा तब इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी की जानकारी है कि ग्रामसेवकों से हर विभाग के लोग काम ले लेते हैं लेकिन कोई भी विभाग उनकी उन्नति और सुविधाओं के बारे में विचार नहीं करता कि उनको कोई चान्स नहीं मिलता? और क्या उनका अलग से निदेशालय बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वर्तमान स्थिति में ग्राम सेवकों के और खंड विकास अधिकारियों के विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त है, सिर्फ सहायक विकास अधिकारी पंचायत कृषि और सहकारिता के वह विभागाध्यक्ष नहीं हैं। इनकी पदोन्नति या इनके विरुद्ध कार्यवाही इन्हीं विभागों के विभागाध्यक्ष करते हैं। ग्राम सेवकों के विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

उनकी प्रथम मांग यह थी कि उनका अलग से निदेशालय बनाया जाय, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही करने का निर्णय किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस सारे मामले को मुख्य सचिव देख रहे हैं। 1961 में जब शासनादेश निकाला गया था उस समय वे विकास आयुक्त थे। उन्ही के हस्ताक्षरों से वह आदेश निकाला गया था उसका वे अध्ययन कर रहे हैं क्षेत्र में और विभागाध्यक्षों से बात कर रहे हैं। जब वे अपनी आख्या देंगे तब सरकार विचार करके अपना निर्णय लेगी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

पिछले 20 वर्षों से यह देखा जाता है कि पिछले 20 वर्षों से अधिक ग्रामसेवक, ग्राम सेवक ही बने रहते हैं और अन्य कर्मचारी उद्योग विभाग में, सहकारिता विभाग में, कृषि विभाग में ए0 डी0 ओ0 और बी0 डी0 ओ0 उनके कर्मचारी बन जाते हैं और ये लोग रह जाते हैं। तो जो उनकी छोटी सी पदोन्नति की मांग है और जिसके बारे में खुले अधिवेशन में मंत्री जी आश्वासन भी दिया था, उसके बारे में कोई शासकीय आदेश निकालने जा रहे हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

24-2-73 को मुख्य सचिव के यहां एक बैठक हुयी उसमें ग्राम सेवकों के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनके अतिरिक्त उसमें कृषि निदेशक सहकारिता अनुबन्धक और पंचायत के निदेशक भी सम्मिलित हुए थे। वहां पर यह निर्णय हुआ कि सन् 1961 से अब तक जो कोटा उन विभागों के हिस्से में ग्राम सेवकों का आता है, उसके मुताबिक उनके पदोन्नति कर दें। उन विभागाध्यक्षों ने आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही कर देंगे। उसके मुताबिक कृषि विभाग ने 140 ग्राम सेवकों की प ोन्नति करके सहायक विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की, 171 सहकारिता विभाग द्वारा दोन्नति के आदेश कर दिए हैं। 7 पदों पर चायत निदेशक ने प्रोन्नति का आश्वासन दिया था। इसके अतिरिक्त 197 जो विकास खंड पुनर्जीवित किये गये हैं, उनमें 197 में से सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली थी उनमें से 123 ग्राम सेवकों को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के आदेश प्रसारित कर दिए गये हैं।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि ग्राम सेवकों से जो हर तरीके का काम लिया जाता है और जिनकी उपयोगिता सहकारिता विभाग हो या गन्ना विभाग हो या

[श्री राज मंगल पाण्डे]

इससे सम्बन्धित विभाग है, सबमें हैं और विभागों के तो डायरेक्टोरेट बना दिए गये लेकिन ग्राम सेवकों के लिए अलग से डायरेक्टोरेट बनाने के लिये मंत्री जी कहते कि इस पर विचार हो रहा है। जिनकी उपयोगिता सारे लोग मानते हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है और जिनकी उपयोगिता नहीं है उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इसको न करने में क्या अड़चन हो रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ग्राम सेवकों के विभागाध्यक्ष, विकास आयुक्त हैं लेकिन इनकी डायरेक्टोरेट अलग से बनाने का जहां तक सम्बन्ध है, उस पर विचार हो रहा है।

श्री राम गोपाल संड--

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं उनकी छोटी सी मांग है कि अलग से एक निदेशालय बना दिया जाय लेकिन यह कहते हैं कि मामला विचाराधीन है....

श्री अध्यक्ष--

उसका जबाव दे रहे हैं। आप बीच में डिस्टर्ब न करें?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय मुख्यमंत्री जी ने निदेशालय स्थापित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, जो उस समय (1961) में विकास आयुक्त थे, को मामला सुपुर्द किया है और वे स्वयं ही इस पर विचार करके अपना प्रतिवेदन सरकार को देंगे ताकि उस पर विचार करके सरकार अपना निर्णय करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें वैसे ही तय कर दिया या सीनियरिटी बेसिस पर उनको ए0 डी0 ओ0 बनायेंगे, या उनकी संख्या के हिसाब से पदोन्नति करेंगे कि इतने ग्राम सेवक और इतने दूसरे लोग? क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तरक्की का क्या आधार होगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, विभाग में सीनियरिटी लिस्ट मौजूद रहती है। उसी लिस्ट के मुताबिक, पदोन्नति के हकदार हैं, उनकी पदोन्नति होती है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इस बात को जानते हुए कि ग्राम सेवकों से विभिन्न विभाग के लोग काम लेते हैं, प्रदेश में नसबन्दी के शिविर लगाये गये और उन्हें इस बात के लिये सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने नसबन्दी के केसेज नहीं दिये। क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि ऐसे विभाग उनसे यह काम न लेंगे और जो सस्पेंड किये गये हैं, उनको बहाल किया जायेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ग्राम सेवक एक बहुधन्धी कार्यकर्त्ता है। उसका काम हर विभाग के काम में अपना सहयोग करने का है। लेकिन अगर कहीं किसी कारण से उसको असफलता मिलती है तो उसके बदले में उसको दण्ड नहीं दिया जाता है। इस संबंध में आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी ने कहा कि 61 से विचार हो रहा है, तो अभी कब तक विचार होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

61 से अब तक जो ग्राम सेवकों की पदोन्नति नहीं हुई, उसके संबंध में आदेश प्रसारित हो गये हैं और उन्हें पदोन्नति मिल रही है। अब डाइरेक्टोरेट बनाने के संबंध में विचार हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मंत्री जी ने कहा कि इन विलेज लेविल वर्कर का बहुधंधी कार्य है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये किस विभाग के हैं ? सामुदायिक विकास विभाग तो कोई है नहीं, ये ग्राम सेवक किस विभाग के कर्मचारी माने जाते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, इस समय सामदायिक विकास विभाग के माने जाते हैं और मैंने निवेदन भी किया कि विकास आयक्त विभागाध्यक्ष हैं इसलिये वे सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्रामसेवक के पद पर काम करते हैं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह निश्चित किया गया है कि कृषि विभाग के कितने ग्राम सेवकों को ए0 डी0 ओ0 (एग्रीकल्चर) बनायेंगे और सहकारिता विभाग के कितने लोगों को ए0 डी0 ओ0 सहकारिता बनायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, हर विभाग का कोटा निश्चित था। उस कोटे के मुताबिक उन विभागों ने 61 से अब तक ग्राम सेवकों को पदोन्नति नहीं दिया था। उस आधार पर यह संख्या निर्धारित हुई है। उसी अनुपात के मताबिक आदेश कर दिये गये हैं।

श्री जयराम वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित संख्या क्या थी जिसके अगेन्स्ट अभी 140 कृषि विभाग में और कुछ सहकारिता विभाग ने प्रोन्नति दी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया जो संख्या मैंने सन् 61 से अब तक बताई है, उसका अनुपात क्या होगा, वह मेरे भाई जो गणितशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, निकाल लें।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है कि ग्राम सेवकों का एक निदेशालय अलग हो, और जो बैठक अधिकारियों और सचिवों की हुई थी क्या उनसे प्रतिवेदन मिल गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं तो कई बार दुहरा चुका हूं और बार-बार उसी बात को कहना उचित नहीं समझता। हमने कभी इंकार नहीं किया कि वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है और उस पर विचार नहीं करेंगे। वह तो विचाराधीन प्रश्न है ही और उस पर निर्णय होना है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बादायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ग्राम सेवक हैं वह परिवार नियोजन और औषधालय में भी कार्य कर रहे हैं ? और उनकी कितनी संख्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन परिवार नियोजन में तो करीब-करीब हर विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को सहयोग करना पड़ता है । वह लोग जब शिविर लगता है तब सहयोग प्रदान करते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं शिविर की बात नहीं कर रहा । मैं तो मुस्तिकल तौर पर जो बी0 एल0 डब्लू0 हैं वह कितने कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसी कोई सूचना नहीं कि लगातार कोई आदमी उसी काम में लगा हुआ हो ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई नहीं है । लोग मुस्तिकल तौर पर परिवार नियोजन में कार्य कर रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

परिवार नियोजन के कार्य के कारण इस प्रदेश में सैकड़ों ग्राम सेवक सस्पेन्ड हुये हैं क्योंकि उन्होंने नसबन्दी के केसेज नहीं दिये । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जिस विभाग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और नसबन्दी के केस न देने के कारण सैकड़ों ग्राम सेवक सस्पेंड हैं, तो क्या उनको तत्काल बहाल किया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं तो मान्यवर कह चुका हूं कि जिन ग्राम सेवकों ने कार्य किया है और किसी कारण से उनको उसमें सफलता नहीं मिली, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता । शासन ने यह आदेश कर दिये हैं कि कोई भी उनको सजा नहीं मिलेगी और बराबर अपने पद पर बने रहेंगे । यदि कोई शिकायत आप लिख कर भजेंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि सभी विभागों के आदमियों को परिवार नियोजन में लगा दिया गया, जिससे परिवार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और भारत की जनगणना में घटाव भी आ गया, जैसा कि उ0 प्र0 से पार्लियामेंट की सीट के घटने का पता लगता है । उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुसार सीटें पार्लियामेंट की घटी हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3 बढ़ गई, आन्ध्र में 3 बढ़ गई, कहीं पर दो बढ़ गई । माना कि आपकी आबादी घट गई है, लेकिन जो लोग आबादी बढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा सीटें मिल रही हैं । तो क्या मुख्य मंत्री जी भारत सरकार से बात करेंगे कि इस मामले में उत्तर प्रदेश को सीटें आबादी के अनुसार न देकर कोई स्टेटटरी प्रावीजन करेंगे क्योंकि प्रदेश की आबादी तो हर साल घटेगी ही ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मुख्य मंत्री जी जबाव देना चाहेंगे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जवाब ला-जवाब हो गया ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

पार्लियामेंट की सीट बढ़ाने के लिये आबादी बढ़ाने की योजना का तो किसी प्रकार समर्थन नहीं कर सकता । आबादी घटाने का काम मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया है । मैं समझता हूं कि हमारे यहां कोई सीट घटेगी नहीं और घटी भी नहीं है । जितनी हैं वह तो बनी ही रहेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने यह कहा कि आबादी आपकी घट गयी है और सीट भी घटी हैं । 518 में 85 थी और 525 में भी 85 रह गयी । इन कंपरेजन टू अदर स्टेट्स उत्तर प्रदेश की आबादी घटते घटते बरकरार रह गयी । परिवार नियोजन से इसेन्टिव नहीं मिल रहा है घाटा हो रहा है ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री ने कहा कि कोई ग्रामसेवक परिवार नियोजन में काम नहीं कर रहा है । जो लड़के ट्रेनिंग लेकर निकले और ग्राम सेवक नियुक्त नहीं हुए उन्हें परिवार नियोजन में नियुक्त कर दिया गया तो क्या मंत्री जी उनको वहां से हटाकर ग्राम सेवक नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

सामुदायिक विकास विभाग में जो निश्चित संख्या ग्राम सेवकों की है उससे प्रशिक्षित ग्राम सेवक अधिक हैं तो उनको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि जगह रिक्त न हो जाय । इस बीच में उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाय कुछ को परिवार नियोजन में लगा दिया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

औषधि नियंत्रक एवं सहायक औषधि नियंत्रक के पद

*1---श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश हाल में आया है कि राज्य में औषधि नियन्त्रक एवं सहायक औषधि नियन्त्रक के पद पर किसी टकनीकी व्यक्ति को ही होना चाहिये ? यदि हां, तो यह आदेश क्या हैं और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

जो नहीं ।

कानपुर में कथित मेसर्स रूपा शर्मा नामक औषधि निर्माण संस्था

*2---श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर की एक औषधि निर्माण संस्था मेसर्स रूपा शर्मा के आज तक कितने औषधियों के नमूने फेल हुये और वर्तमान सहायक औषधि

नियन्त्रक श्री निरंजन प्रसाद ने उस फर्म पर क्या कार्यवाही की ? यदि कुछ नहीं, तो उसका क्या कारण है, और सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

कानपुर में मेसर्स रूपा शर्मा नामक कोई औषधि निर्माण संस्था नहीं है।

तहसील मेजा (इलाहाबाद) में भूमिहीन, हरिजन परिवारों को भूमि तथा अधिकतम जोत सीमा कानून का प्रभाव

*3--श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद तहसील मेजा के भूमिहीन हरिजनों को अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है और क्या उस पर अधिकार भी दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

जनपद इलाहाबाद के तहसील मेजा में अब तक कृषि हेतु तथा आवास स्थल हेतु क्रमशः 1934 एवं 3000 भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि दी गई है एवं भूमि पर अधिकार भी दिलाया गया है।

*4--श्री विश्रामदास--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसील में अधिकतम जोत सीमा कानून न कितने लोगों को प्रभावित किया है और कितने को लाभ होगा ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

उक्त तहसील में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम से 108 व्यक्ति प्रभावित हुए। 411 व्यक्तियों को लाभ हुआ है एवं लगभग 17 व्यक्तियों को भूमि आवंटन से और लाभ होगा।

श्री विश्राम दास--

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह बिल्कुल गलत दिया है। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्राम बहरिचा का मंगली जो हरिजन है उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है और उस पर अधिकार श्रीमती सावित्री देवी का है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विश्राम दास--

उन्होंने यह संख्या किस आधार पर बतलाई है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो इकट्ठी सूचना है।

श्री विश्राम दास--

इसीलिए तो चैलेन्ज कर रहा हूं कि यह गलत है।

श्री रामगोपाल संड--

मंत्री जी ने बतलाया कि 411 लोगों को जो हरिजन और भूमिहीन हैं मेजा तहसील में जमीन दी गयी और 17 को और दी जायगी। इन 411 लोगों को किस महीने में जमीन दी गयी जहां पर उनका कब्जा हो गया है और क्या मंत्री जी कतिपय लोगों के नाम भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कतिपय नहीं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

तारीख बताने के लिए भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या उन 411 व्यक्तियों का उस जमीन पर कब्जा हो गया है जो उन्हें आवंटित की गयी थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिनको जमीन एलाट की गयी थी उन सबको कब्जा दे दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक हरिजन परिवार को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि दी गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आवास के लिए पूछ रहे हैं या खेती के लिए ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं यह पूछ रहा कि हर परिवार को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि एलाट की गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

3 1/8 एकड़ से अधिक किसी को नहीं दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

म यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि किन-किन तिथियों के बीच में अधिकार दिलाने की कार्यवाही की गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्वेश्चन सेट राइट नहीं होगा । आप प्रश्न को पढ़ें और माननीय मंत्री जी जबाव को भी पढ़ । माननीय मंत्री जी विशेषाधिकार की परिधि में आ गये जब उन्होंने कहा कि कोई सूचना नही है । इनके पास सारी सूचना फाइल में मौजूद हैं

1934 की, 3,000 की, 441 की और 17 की भी मौजूद है। ये बिना पढ़े जवाब दे रहे हैं। ये अपने जबाव में फंस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने जबाव दिया है :

उक्त तहसील में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम से 108 व्यक्ति . . .

श्री बंशीधर पांडेय--

आप कहां से पढ़ रहे हैं ? आप प्रश्न 3 का जबाव पढ़िये।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

आप भी उन्हीं की तरह गलत काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अधिकार सबको दिलाया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न यह है कि कितने लोगों को जमीन दी गयी और क्या उन सब का कब्जा हो गया है यह बताएं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि सब को कब्जा दिला दिया गया है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

ये सारी तहसील के आंकड़े हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

1934 वह लोग हैं जिनको जोतने के लिये जमीन दी गई है और 3,000 वह लोग हैं जिन्हें आवास के लिये दी गई है। मेरे पास पूरी तहसील की सूचना आई है।

श्री बंशीधर पांडेय--

जब अभी संड जी और विश्राम दास जी ने कुछ नाम पूछे तो कहने लगे कि सचना की आवश्यकता है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाता कि माननीय पांडेय जी के प्रश्न में कहां तक औचित्य है। प्रश्न में तहसील भर के आंकड़े पूछे गये, वह दिये गये। उसमें यह कहां है कि प्रत्येक के नाम भी हों। पूरी तहसील के आंकड़े इकट्ठे होकर आये हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह जो कहते हैं, तो इनको तो तैयार होकर आना चाहिये, हम लोग यह तो पूछेंगे ही कि किसको-किसको दिया गया है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

जो खेती के लिये जमीन दी गई और आवास के लिये दी गई, तो जैसा कि प्रश्नकर्त्ता ने चुनौती दी है कि यह गलत है, तो जिनको जोतने के लिये जमीन दी गई है, तो उनको

जोत-बही भी दी गयी है या नहीं ? यदि हां, तो कब और सीलिंग में कितनी जमीन सरकार को मिली है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, सीलिंग से जमीन जो बांटी गई है वह 1138.04 एकड़ है। यह 411 परिवारों को दी गई है। श्रीमन्, जोत-बही का कोई प्रश्न नहीं है। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

जब जोत-बही नहीं दी तो कब्जा कैसे हो गया ? आपका बयान झूठा है। इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

जो ग्राम समाज की जमीन का कब्जा देने की बात कही जाती है, वह कागज में कब्जा दिया जाता है, लेकिन जब लोग मौके पर जाते हैं, तो उनके खिलाफ 229 बी में मुकदमा दायर किया जाता है कि उनको यह जमीन न दी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

नामों के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस प्रश्न को आप स्थगित कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, वह नहीं हैं। आपको उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं 49 का नोटिस देता हूं, आप बयान दिलवा दीजिये। मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

आप इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

49 में दे रहा हूं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में जो अधिकतम जोत सीमा में जमीन निकली है, उसमें से कितनी जमीन अभी बांटने के लिये शेष है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, केवल 34.39 एकड़ भूमि कृषि योग्य ऐसी है जो बंटने के लिये शेष है। कुल भूमि 4333 एकड़ थी जिसमें से 826 एकड़ वन विभाग को दे दी गई है और बाकी कृषि योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न 49 में जावेगा।

पुलिस उप अधीक्षक, तिलहर (शाहजहांपुर) के विरुद्ध जांच

*5—श्री सुरेंन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मंत्री को पता है कि डिप्टी एस0पी0 सर्किल तिलहर जिला शाहजहांपुर ने सितम्बर, 1972 में ग्राम मझरा, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं में जाकर दहियों काले हिरनों के परिवार का कत्ले आम किया जिसके फलस्वरूप अनेक हिरनी, बच्चे जख्मी हुए और बाद में उन्होंने दम तोड़ा ? यदि हां, तो क्या मंत्री ने इस बात की जांच मौके पर करायी तथा गांव वालों से पूंछ तांछ की, यदि हां, तो उपरोक्त पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

पुलिस उपाधीक्षक श्री गुरुदेव सिंह वृताधिकारी तिलहर क्षेत्र, जिला शाहजहांपुर के द्वारा ग्राम कुंडरा मझरा थाना हजरतपुर जिला बदायूं में कोई हिरन न मारा गया और न घायल हुआ । उक्त गांव में जाकर राइफल से फायर करने हेतु संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को लिखित चेतावनी देने हेतु कार्यवाही हो रही है ।

श्री सुरेंन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न आप पढ़ लें । मैंने काले हिरन के बारे में तो लिखा ही नहीं । मैंने तो उनके परिवार के बारे में कहा कि हिरनी के बच्चे मारे गये । उत्तर में कितना विरोधाभास है कि पुलिस उप अधीक्षक का रायफल से फायर करना, अब वह आसमान में फायर किया या गीदड़ पर किया या शेर पर किया ।

श्री अध्यक्ष—

काला हिरन तो इसमें लिखा नहीं है ।

श्री सुरेंन्द्र विक्रम—

जी हां । इसमें हिरनी के बच्चे लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जहां एक तरफ इंडियन फारेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू है, खैर, यह तो अभी लागू हुआ है, लेकिन इससे पहले से बहुत से जानवर ऐसे थे जिनका शिकार सरकार ने बिल्कुल बन्द कर रखा था, क्रोकोडाइल, शेर, काला हिरन वगैरह । जब इनका शिकार परमिट से भी नहीं हो सकता, कैबिनेट की आज्ञा से भी नहीं हो सकता, प्रधान मंत्री भी आज्ञा नहीं दे सकतीं तो फिर पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने फायर क्यों किया ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

यह प्रश्न पहले भी आ चुका था और उत्तर में मैंने यह कहा था कि डी0आई0जी0 से इसकी इंक्वायरी करायी जा रही है । अभी उनकी रिपोर्ट आयी नहीं है । लेकिन एस0 पी0 की रिपोर्ट आयी है जिसके थ्रू उन्होंने इन्क्वायरी करायी । उन्होंने रिपोर्ट दी है कि काला हिरन वहां पर कोई नहीं मारा गया । सिर्फ यह है कि उन्होंने बन्दूक चलायी थी । हो सकता है काले हिरन पर बन्दूक चलायी हो । लेकिन कोई काला हिरन या उसके परिवार में से नहीं मरा । मगर चूंकि उन्होंने बन्दूक चलायी इसलिये एस0पी0 ने डी0 आई0 जी0 को यह संस्तुति दी कि उनको एक रिमार्क दे दिया जाय । डी0 आई0 जी0 की रिपोर्ट जब आ जायगी तब पता चलेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच मौके पर करायी है तथा गांव वालों से पूछतांछ की ? यदि हां, तो पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध मंत्री महोदय ने क्या जांच करायी और गांव वालों का बयान मंत्री जी के पास है ? अगर है, तो वह क्या है ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जांच तो करायी जा रही है । लेकिन अभी जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट नहीं आयी है । जब जांच करेंगे तो गांव वालों से जरूर पूछेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जैसा कि इस प्रश्न का अंतिम भाग है, वह क्या कारण थे जिनकी बिना पर एस0 पी0 ने उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही के लिये लिख दिया कि ऐडवर्स ऐंट्री कर दी जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, एस0 पी0 की सिफारिश पर उन्होंने यह रिकमेंडेशन भेजी है कि इनको ऐंट्री दे दी जाय । अब हम फिर डी0 आई0 जी0 से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं ।

श्री जयराम वर्मा--

एस0 पी0 ने जो यह रिपोर्ट दी कि कोई काला हिरन मारा नहीं गया, तो क्या उन्होंने गांव वालों से भी पूछतांछ की थी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

पूछतांछ के बाद ही रिपोर्ट दी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मेरे क्षेत्र में मेरे गांव से 4 मील के फासले पर यह गांव है जहां यह हुआ । हिरनी के पेट में बच्चा तक था । वह मरी है । घटना के बाद वह मरी उसने दम तोड़ा तथा कई बच्चों ने बाद में दम तोड़ा, क्या यह सही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जैसा कि मैंने पहले कहा, एस0 पी0 की रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि कोई नहीं मरा, न हिरनी ही मरी है। अब डी0 आई0 जी0 की रिपोर्ट पूरी आ जाय तभी पता चलगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

कल ही मान्यवर, यहां पर तिलहर के सी0 ओ0 और एस0 पी0 के संबंध में यहां पर चर्चा हुई थी और सदन का वातावरण विषाक्त हो गया था। डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 वगैरह सब एक ही गुट मिले हुए हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी किसी अन्य अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

अगर माननीय सदस्यों को इससे संतोष नहीं है तो मैं वन विभाग के द्वारा भी इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें, पहले भी माननीय मंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि हम सी0 आई0 डी0 द्वारा इसकी जांच करवा लेंगे, वह प्रोसीडिंग्स में होगा आप देख लें ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

डी0 आई0 जी0 ने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

बहुत जल्दी आ जायेगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

5 महीने हो गये, अब तक रिपोर्ट न देने का कारण क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इसमें गांव वालों से पूछताछ आदि करनी थी, इसलिये देरी हुई ।

श्री बंशीधर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी वन विभाग के उच्चाधिकारी, चीफ वायल्ड लाइफ आफिसर आदि से जांच करवायेंगे और उसकी जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मैंने तो अभी स्वयं कहा है कि वन विभाग द्वारा भी जांच करवा लेंगे ।

तौरा जिला उन्नाव में ग्राम समाज द्वारा बांटी गयी भूमि

*6--श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव के ग्राम तौरा में सन् 1972 से ग्राम समाज द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस पाठशाला को तथा कितनी-कितनी भूमि कितने नवयुवक मंडल दलों को दी गई है और उक्त संस्थाओं को उक्त भूमि देने का क्या प्रयोजन है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

प्रश्नगत ग्राम के महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को 20 बीघा तथा नवयुवक मंडल (समिति) को 11 बीघा भूमि दी गई । उक्त संस्थाओं को भूमि देने का प्रयोजन क्रमशः कृषि एवं बागवानी संबंधी शिक्षा तथा ग्राम उत्थान संबंधी कार्य एवं आदर्श खेती है ।

श्री हरी सिंह बिष्ट--

4 बीघा जमीन जो नव युवक मंडल को दी गयी है तो वह इस 4 बीघा जमीन में क्या करता है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, नवयुवक मंडल का उद्देश्य, "विद्यालयों का संचालन, ग्रामोत्थान, खेती प्रयोगात्मक कार्य एवं पशुपालन हेतु युवकों को प्रोत्साहन" ।

श्री हरीसिंह बिष्ट--

मान्यवर, मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव समाज में वहां के कितने हरिजनों ने अर्जी दी थीं और उनका क्या हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

10-7-70 को 57 भूमिहीनों को लगभग 90 एकड़ भूमि दी गयी है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह जो नवयुवक मंडल है यह रजिस्टर्ड बाडी है या अनरजिस्टर्ड बाडी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह रजिस्टर्ड बाडी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह उन्नाव जिले में ही नवयुवक मंडल को भूमि दी गयी या अन्य जिलों में भी दी गयी ? ऐसा तो नहीं है कि अपने ही क्षेत्र में मंत्री जी ने बांटी हो ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, और जिलों की सूचना नहीं है, लेकिन वास्तव में नवयुवक मंडल को जमीन दी नहीं जा सकती ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जैसा कि आपने प्राथमिकतायें तय की हुयी हैं कि हरिजनों की और सैनिक परिवारों की, इस तरह की बिना किसी प्राथमिकता के जो नवयवक मंडल को जमीन दे दी गयी तो इसमें किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है, तो आपने उन पर क्या कार्यवाही की जिन्होंने अवैधानिक रीति से भूमि को आबंटित कर दिया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

शासन से आदेश भेजे जा चके हैं कि इस पट्टे को निरस्त कर दें और बतायें कि यह जमीन किस तरह से दी गयी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उन पर क्या कार्यवाही की जिन्होंने ऐसे गलत काम किये, यह जवाब नहीं दिया । आधा जवाब देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उन पर क्या कार्यवाही की जिन्होंने बांटी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इस प्रश्न के सिलसिले में ही यह बात शासन के नोटिस में आयी और उसके बाद तुरन्त उनको लिखा गया कि इस पट्टे को निरस्त कर दें और बतलायें कि किस तरह उनको दी गयी है । जब उनका उत्तर आ जायगा तब आगे की बात सोची जायगी ।

श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)---

यह मेरी ही कांस्टीट्युएंसी के अन्तर्गत गांव है और यह जो युवक मंडल है यह फरजी है । वहां पर चौरा ग्राम के अन्दर इस तरह के कुछ तत्व हैं जिन्होंने यह बना रखा है और उसके नाम से उन्होंने वह जमीन गांव की कब्जे में कर रखी है और वहां के जिलाधीश और परगनाधीश को स्वयं मैं लिख कर दे चुका हूं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी उसका कारण है कि वह वहां सीधे मंत्री जी के पास आ कर पत्र-व्यवहार करा लेते हैं । तो सारे कागजात उस संबंध में मंगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मैंने निवेदन किया कि सिर्फ एक ही नवयुवक मंडल को 11 बीघा जमीन दी गयी है और किसी को 11 बीघा या उससे अलग कोई जमीन नहीं दी गयी है और उस पट्टे को भी निरस्त करने के लिये लिख दिया गया है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री जी को यह जानकारी है कि यह उप मंत्री राजस्व के निर्वाचन-क्षेत्र में ही नवयुवक मंडल को यह जमीन दी गयी है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

खीरी है मेरा निर्वाचन-क्षेत्र, उन्नाव कहां है ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

किस अधिनियम के अन्तर्गत यह नवयुवक मंडल रजिस्टर्ड है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

श्रीमन्, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यह मेरे पास सूचना है । लेकिन किसी अधिनियम की जरूरत नहीं होती । यहां पर जो संस्थायें हैं, जो रजिस्टर होती हैं उसी के अन्तर्गत हुआ होगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

बिना किसी अधिनियम के अन्तर्गत वह रजिस्टर्ड हो, यह बड़ी अनियमित बात है । कौन से उसके पदाधिकारी हैं, उस संस्था ने क्या काम किया है, किसलिये वह संस्था बनी है । जब तक यह सब न मालूम हो तब तक कैसे आप भूमि को लुटा देंगे ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब गांव सभाओं की जमीनों का बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा था, शासन ने कोई ऐसा आदेश किया था कि गांव सभा के सभापति जब पट्टा करने लगेंगे तो उन्हें तहसीलदार की अनुमति लेनी पड़ेगी और उस आदेश के बाद लेखपाल और तहसीलदार की अनुमति जरूरी रहती है, इसको देखते हुए क्या इन सरकारी कर्मचारियों की आप जांच करायेंगे कि कैसे यह किया गया अनियमित कार्य ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया, मैं इसकी जांच कराऊंगा और यदि कोई अपराधी पाया जायेगा तो अवश्य आवश्यक कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी ।

गौरी कलां ग्राम समाज की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा

*7--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा के नागरिकों व किसानों द्वारा गांव समाज की सम्पत्ति पर गांव के कुछ पुराने जमींदारों द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने व उससे फसल पैदा करके व्यक्तिगत लाभ उठाये जाने के संबंध में माह जुलाई, 1972 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को व जिलाधिकारियों को दिये गये हैं और सरकार द्वारा नाजायज कब्जों को हटाये जाने तथा नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

ग्राम गौरीकलां से संबंधित 3 पत्र सरकार को प्राप्त हुये थे । भूमिहीन हरिजनों का पत्र कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट के लिये 18 नवम्बर, 1972 को भेज दिया गया था । श्री बिन्दा सिंह आदि एवं श्री रामकृपाल सिंह आदि के दो पत्र 30 नवम्बर, 1972 को कलक्टर को रिपोर्ट के लिये भेजे गये थे । नाजायज कब्जों के विरुद्ध कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की इसकी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में जो तीन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की है वे पत्र सरकार को कब-कब प्राप्त हुये थे और उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, दो पत्र 28-10-72 तथा 31-10-72 को प्राप्त हुए थे, तीसरा पत्र 1-11-72 को प्राप्त हुआ था । प्रथम के दो पत्र मूल रूप में जिलाधिकारी को भेजे गये थे, वे वापस वहां से नहीं आये, इसलिये उनमें जो शिकायतें थीं, उसका सही विवरण आपके सामने नहीं दिया जा सकेगा । लेकिन तीसरा पत्र जो मेरे पास वापस आ चुका है, उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें ये हैं:--

"ग्राम गौरीकलां, परगना व जिला बांदा का कड़गड़ की डांडी नामक स्थान पर साधू लोग रहते हैं, यह स्थान सार्वजनिक है तथा पेड़ पौधों से हरा भरा है और इसकी देखभाल गांव के कुछ लोग करते हैं ।

उपरोक्त कारणों से गांव वालों ने किसी भी सम्प्रदाय के साधू विशेष के नाम पट्टा आज तक नहीं किया जो कि उस स्थान पर सैकड़ों वर्षों से हजारों साधू रह चके हैं ।

श्री सदानन्द सरस्वती साधू के नाम पट्टा करने से गांव समाज ने इनकार कर दिया है । परन्तु उपरोक्त साधू शासन से पट्टा कराने की कोशिश कर रहे हैं ।

उपरोक्त साध के पक्ष में पट्टा न किया जाय । ऐसा कराया जाना अवैधानिक होगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इसके लिये गांव सभा ने इन्कार कर दिया था, किन्तु तहसीलदार, बांदा ने पट्टा दे दिया साधू के पक्ष में, तो इस अवैध पट्टे को देने के कारण मंत्री जी संबंधित तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया, उस शिकायत के बारे में आख्या मांगी गई है । जब वह आ जायेगी तो हम कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री--

एक पत्र तो मंत्री जी को अक्तूबर में मिला था और दूसरा नवम्बर में मिला था, किन्तु उन पर अब तक कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आई, जबकि उसमें निश्चित रूप से कहा गया था कि निश्चित धार्मिक संस्था के लिये, व्यक्तिगत आदमी के नाम से पट्टा कर दिया गया, तो इसमें कौन-सी सूचना मांगने की आवश्यकता मंत्री जी को पड़ी और इसमें मंत्री जी को अभी कई वर्ष और लगेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इनको 26 मार्च को फिर से अनुस्मारक भेजा गया है और इनसे बहुत जल्दी सूचना मांगने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं, करीब 5-6 महीने लग गये केवल यह सूचना मंगाने में कि तहसीलदार ने एक व्यक्ति को पट्टा दिया या नहीं, इस मामले को जानबूझ कर दबाया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि यह एक सप्ताह के अन्दर पूरी सूचना आ जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, एक हफ्ते के अन्दर नहीं लेकिन 15 दिन के अन्दर आ जायगी।

तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के निलम्बित लेखपाल

*8—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में वर्ष 1971–72 में कितने लेखपाल निलम्बित किये गये और अन्त में उन्हें क्या दंड मिला ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

पंद्रह लेखपाल निलम्बित किये गये थे जिनमें से एक के विरुद्ध पारित निलम्बन आदेश प्रभावी होने से पूर्व रद्द कर दिया गया । एक अन्य लेखपाल का मामला अभी विचारार्थ है । शेष 13 लेखपालों को दिये गये दंड का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 243 पर)

श्री त्रिलोक चन्द—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन 15 लेखपालों को किस जुर्म में दंड दिया गया, क्या उन्होंने जुर्म किया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसमें एक लेखपाल श्री रामकुमार लाल है, उसके खिलाफ यह आरोप था कि अपने क्षेत्र में आबाद नहीं रहता । दूसरे श्री मुहम्मद जलील खां, उनके खिलाफ आरोप था कि भूमि अभिलेखों को सुरक्षित नहीं रखते, जनगणना के कार्य में रुचि न लेना तथा कार्य में लापरवाही की । तीसरे श्री जगदम्बा प्रसाद के खिलाफ आरोप है स्थानांतरण हो जाने पर चार्ज न देना, सवा छः एकड़ संबंधी नक्शों के बनने की हाजिरी तहसील में न देना । श्री अकबाल बहादुर, इन्होंने खतौनी में फरजी अमलदरामद किये । श्री देशराजसिंह, अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करना, अनुपस्थित रहना, राजकीय कार्य की उपेक्षा करना तथा अनशासन हीन होना, यह चार्ज इनके विरुद्ध थे । श्री रघुपति सिंह, जो आरोप श्री देशराजसिंह के खिलाफ थे वही इनके खिलाफ थे । श्री सुरेशसिंह, इनके खिलाफ वही आरोप हैं । श्री गुलाबचन्द, दो गांवों में गेहूं का बीज वितरण हेतु काश्तकारों की सूची बनाने में लापरवाही करना तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की सूची बनाने में विलम्ब करना । श्री गौरी शंकर, अनधिकृत तौर पर अनपस्थित रहना । श्री रामसुख, लापरवाह एवं अनुशासन हीन होना । श्री रामेश्वर प्रसाद, बगर अवकाश के सेवा से अनधिकृत तौर पर अनपस्थित रहना, अनशासनहीन होना । श्री जगदम्बासिंह, कार्य में समय से उपस्थित न होना तथा कार्य में तत्परता व रुचि न लेना ।

श्री त्रिलोक चन्द—

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह 15 लेखपाल हैं यह एक तहसील के हैं या चारों तहसील के हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह तहसील तरबगंज के हैं ।

श्री रामगोपाल संड--

जो 15 लखपाल निलम्बित हुए हैं इनमें कितनों की सेवायें तीन वर्ष की हैं, और जो चार्जशीट दी है उनके उत्तर आपको प्राप्त हो गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इन में से किस-किस का उत्तर प्राप्त हुआ इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या यह सही है कि लेखपालों के खिलाफ इस बात के लिये कार्यवाही की गयी और उनको निलम्बित किया गया क्योंकि वह नसबन्दी के केसेज नहीं दे सके जब कि नसबन्दी के शिविर चल रहे थे और यह भी बताने की कृपा की जाय कि इन लेखपालों को किन तारीखों में निलम्बित किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उनको निलम्बित करने की तारीखें दे सकता हूं--

रामकुमार लाल	11-4-71
मुहम्मद जलील खां	14-4-71
जगदम्बा प्रसाद	7-6-71
इकबाल बहादुर	17-4-71
देश राज सिंह	8-4-71

ग्राम कम्हरिया (बस्ती) के हरिजनों को ग्राम पंचायतकर्मी बुजुर्ग द्वारा पट्टा

*9--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला बस्ती, तहसील सदर, ग्राम कम्हरिया के 16 हरिजनों तथा भूमिहीनों को सन् 1970 से ग्राम पंचायत कर्मी बुजुर्ग से जमीन का पट्टा किया गया जिसका दाखिल-खारिज हुए अर्सा 1 वर्ष आठ माह हो गया किन्तु अभी तक लोगों को लिखे नम्बरान अलग नहीं किये गये ? तथा इसी आशय का एक प्रार्थना-पत्र विधान सभा के दो मा0 सदस्यों ने 2 अगस्त, 1971 में दिया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत पट्टा सन् 1970-71 में दिया गया था जिसका दाखिल-खारिज भी कर दिया गया है । पट्टे देते समय ही संबंधित व्यक्तियों के नम्बरान अलग कर दिये गये थे । किन्तु पट्टेदारों में आपसी सीमा संबंधी मतभेद उत्पन्न हो गया है । अतः पुनः निशानदेही की कार्यवाही की जा रही है । माननीय सदस्यों का 2 अगस्त, 1971 का पत्र उपलब्ध नहीं अतएव उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । यदि माननीय सदस्य यह सूचना देने का कष्ट करें कि वह पत्र उन्होंने किसको भेजा है तो उसकी तलाश कराई जा सकती है।

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी में हरिजनों के लिये भूमि

*10--श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी में जहां पर चकबन्दी का कार्य समाप्त हो रहा है वहां पर हरिजनों के लिये आबादी व रास्ता के लिये कितनी-कितनी जमीन छोड़ी गई है ? क्या उन ग्रामों की एक सूची मय विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

नोट--तारांकित प्रश्न सं0 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी में जहां पर चकबन्दी का कार्य समाप्त हो रहा है वहां पर हरिजन आबादी के लिये 148.622 एकड़ तथा सार्वजनिक रास्तों के लिये 1419.768 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। चकबन्दी क्रियाओं में केवल हरिजनों के लिये अलग से रास्ता आरक्षित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

संबंधित ग्रामों की † सूची आवश्यक विवरण सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

जसपुरा, जिला बांदा में नसबन्दी आपरेशन

*11--श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा में 1 अप्रैल, 1972 से अब तक परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाया गया और क्या निर्धारित लक्ष्य से कम आपरेशन कराये गये ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा में 1 अप्रैल, 1972 से अब तक कुल 19 व्यक्तियों द्वारा नसबन्दी आपरेशन कराये गये।

ये आपरेशन निर्धारित लक्ष्य से कम हुये। संबंधित कर्मचारियों को सचेत किया गया था। कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसके पश्चात् यदि आवश्यक समझा गया तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

राकेश मेडिसिन हाउस, हरदोई का लाइसेन्स निलम्बन

*12--श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के जिला अस्पताल के मुख्य फाटक के समीप राकेश मेडिसिन हाउस के नाम से कोई अंग्रेजी दवा की दुकान को चौबीस घंटे खोले रहने हेतु लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या आधार हैं तथा इसके विरुद्ध जिले के जिलाधीश एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इससे संबंधित कितनी शिकायतें खुलने के समय से अब तक दी गई तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

जी नहीं। राकेश मेडिसिन हाउस, हरदोई के विरुद्ध जिलाधीश के यहां एक शिकायत तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहां भी एक बिना नाम की शिकायत प्राप्त हुयी है। इन शिकायतों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी हरदोई ने उक्त फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया है।

चिउटहा बसावनपुर, जिला गोरखपुर के बाढ़ प्रभावितों को सहायता

*13--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत तहसील बांसगांव के ग्राम चिउटहा बसावनपुर में सन् 1971 की भीषण बाढ़ से प्रभावित किस-किस को और कितना-कितना धन दिया गया ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के ग्राम चिउटहा बसावनपुर में 1971 की भीषण बाढ़ से प्रभावित जिन-जिन व्यक्तियों को जो जो धनराशि दी गयी है उनका विवरण †संलग्न सूची 'क' व 'ख' में दिया गया है ।

[30 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

महिला चिकित्सालय, देहरादून में महिलाओं एवं बच्चों की मृत्यु

*1—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून के महिला चिकित्सालय में जुलाई, 1972 से नवम्बर, 1972 तक कितनी महिलाओं एवं कितने बच्चों की मृत्यु हुई ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

देहरादून के महिला चिकित्सालय में जुलाई, 1972 से नवम्बर, 1972 तक कुल 25 मृत्यु हुईं । इनमें से 14 महिलाओं की एवं 11 नवजात शिशुओं की ।

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*2—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद नगर के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में एक डाक्टर ने एक कालेज के अध्यापक की युवा पत्नी से अनुचित व्यवहार किया ? घटना का ज्ञान होने पर सरकार ने कौन-सा पग उठाया है जिससे ऐसी घटनायें न हों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं, विभाग में कथित घटना की कोई सूचना नहीं है अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना जगतपुर, रायबरेली के हरिजनों की नसबन्दी

*3—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि थाना जगतपुर, जिला रायबरेली के थानाध्यक्ष ने 27 हरिजनों की नसबन्दी जबरदस्ती पकड़ कर कराई जिनमें दो की मृत्यु हो गई और सर्वश्री सरजू, मंडल सरजू तथा गंगाचरण ने गांव सभा किशोरी बालमपुर के प्रधान के साथ जाकर 5-2-73 को अपनी करुण कहानी पुलिस अधीक्षक को सुनाई यदि हां, तो विवरण क्या है ? और दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों की शिकायत की जांच परगना मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी । जांच रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकला कि थानाध्यक्ष, जगतपुर, जिला रायबरेली, ने 5 हरिजनों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबन्दी कराने के लिये डलमऊ अस्पताल में भेजा, लेकिन अस्पताल में पुलिस की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की गयी और डाक्टरों द्वारा आपरेशन इन व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करके ही किया गया । इनमें से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई है । थानाध्यक्ष, जगतपुर तथा संबंधित कांस्टेबुलों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी द्वारा लिखा गया है ।

---

†छापा नहीं गया ।

*4—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*6—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*7—श्री राम निहोर राय—

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बन्दोबस्त आफिस, मिर्जापुर में अनुसूचित जातीय कर्मचारी

*8—श्री राम निहोर राय—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के बन्दोबस्त आफिस 31 जुलाई, 1971 से 1972 नवम्बर तक बन्द रखा गया और क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय के पुराने कर्मचारियों को छांट कर नये लोगों को अब रखा गया है ? यदि हां तो नये लोगों के रखने का क्या आधार है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी लिये गये हैं ? यदि नहीं लिये गये तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । जब बन्दोबस्त आफिस पुनः चालू किया गया तो नयी भरती अनुभवी कर्मचारियों में से की गयी । नियुक्ति का आधार कार्य-कुशलता और अनुभव था । नयी नियुक्तियों में कुछ एसे भी अभ्यर्थी थे जिनको अन्य जिलों में बन्दोबस्त के कार्य का पूर्व अनुभव था । अनुसूचित जाति का केवल एक अभ्यर्थी नियक्त किया गया क्योंकि केवल एक ही अनुभवी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र नियुक्ति के लिये दिया । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*9—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*10—श्री हरीसिंह विष्ट—

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

देवल, जिला अल्मोड़ा के निवासियों के पुनर्वासन की व्यवस्था

*11—श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पट्टी सालम जिला अल्मोड़ा का ग्राम देवली आधे से अधिक बहुत वर्ष पूर्व धंस गया है और शेष गांव भी खतरे से खाली नहीं है । क्या सरकार उक्त गांव के निवासियों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना बना रही है । यदि हां तो कब तक तथा कहां ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां ।

ग्रामवासियों के पुनर्वासन के लिये दोलो गांव कम्पार्टमेंट नम्बर 3(कं0 न0 3) को 64 एकड़ वन भूमि देने का प्रस्ताव किया गया था और ग्रामवासियों की असहमति होने के कारण

उक्त भूमि की जगह मोरनौला कम्पार्टमेंट नम्बर-5 (कं0नं05) में भूमि देने का दूसरा प्रस्ताव किया गया । ग्रामवासी इस भूमि पर भी बसने को तैयार नहीं है और वे भली कम्पार्टमेंट नम्बर-4 व 5 (कं0नं0-4 व5) में बसने के लिये भूमि चाहते हैं। इस भूमि पर बहुमूल्य वन सम्पदा होने के कारण वन विभाग इसके वन विहीन करण को उचित नहीं समझता ।

*12—श्री श्याम लाल कनौजिया—

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव

*13—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 23-11-72 को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश म क्या राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय के रिक्त प्रधानाचार्य के पद के चुनाव हेतु साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसम किन-किन प्रत्याशियों ने भाग लिया तथा उनकी क्या योग्यतायें थीं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

जी हां, अन्य सूचना एकत्र की जा रही है।

*14—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त संबंध में क्या, आयोग ने शासन को अपना चुनाव परिणाम भेज दिया है । यदि हां, तो किस-किस का चयन किया गया नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां ।

किन्तु चुने गये अभ्यर्थी का नाम अभी बताना जनहित में उचित न होगा ।

बिसवां, जिला सीतापुर के लिये मुंसिफ व मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने का सुझाव

*15—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिला सीतापुर के कस्बा बिसवां में जनता की सुविधा और आसानी के लिये मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने की मांग पिछले 12 साल से चल रही है ? यदि हां, तो उस मांग को परा करने में सरकार को क्या कठिनाई है और यदि कोई कठिनाई नहीं है तो उसे पूरा न करने का क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सर्वप्रथम 1956 में यह प्रश्न उठा था किन्तु तब इस तहसील में कार्य की कमी के आधार पर समाप्त कर दिया गया था । अब अक्टूबर 1972 में बिसवां के वकीलों तथा नागरिकों का एक आवेदन इस विषय में प्राप्त हुआ है । शासन ने उच्च न्यायालय के विचार जानने के लिये उसे लिखा है। उच्च न्यायालय का मत प्राप्त होने पर ही इस पर आगे विचार संभव होगा ।

डाक्टर एस० सी० जैन व डाक्टर रामसिंह द्वारा सहकारिता मंत्री की निःशुल्क चिकित्सा

*16—शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि दिनांक 4-3-73 व 6-3-73 की रात डा0 एस0सी0 जैन व डा0 राम सिंह कानपुर मेडिकल कालेज, कानपुर

से श्री गोपीनाथ दीक्षित, सहकारिता मंत्री को देखने के लिये लखनऊ आये ? यदि हां तो क्या उन्हें शासन की ओर से बुलाया गया था और क्या उन्हें फीस दी गयी ? यदि हां, तो फीस कहां जमा की गई और यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, डा0 एल0 सी0 जैन ने दिनांक 4 मार्च, 1963 को अपनी स्वेच्छा से तथा डा0 रामसिंह ने दिनांक 6 मार्च, 1973 को शासन के अनुरोध पर लखनऊ आकर मंत्री जी को देखा था। इस सम्बन्ध में डा0 एस0 सी0 जैन तथा डा0 रामसिंह ने कोई फीस नहीं ली, इसलिए फीस की धनराशि शासकीय कोष में जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेडिकल एटेन्डेन्स नियमों के अनुसार शासन के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हैं।

*17—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

प्रदेश में चेचक एवं मलेरिया का प्रकोप

*18—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि विशाल परिवार नियोजन अभियान में इस वर्ष मलेरिया एवं चेचक के कार्यकर्ताओं को नसबन्दी कार्य में लगा देने के कारण मलेरिया एवं चेचक का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाया है और परिणाम स्वरूप प्रदेश के कई जिलों में महामारी के रूप में इन बीमारियों का काफी प्रकोप हुआ है ? यदि हां तो ऐसा करने का कारण क्या था ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

जी नहीं। प्रदेश के कई जिलों में मलेरिया का फैलाव दूसरे प्रदेश से जहां मलेरिया फैला है, के आने वाले व्यक्तियों के कारण हुआ। चेचक के प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिये हर संभव उपाय किया जा रहा है।

*19—20—श्री जयराम वर्मा—

[12 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*21—22—श्री रामलगन दुबे—

[10 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

टेस्ट वर्क के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण-कार्य

*23—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत जिन मार्गों का निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है वह 31 मार्च, 1973 तक पूरा हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अवधि को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च, 1974 तक बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

टेस्ट वर्क या उद्देश्य दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना होता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोगी निर्माण कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 1972—73 में इसी आधार पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बहुत से मार्गों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है इनमें से कुछ कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरे हो जायेंगे और कुछ पूरे न हो सकेंगे। अपूर्ण कार्यों को टेस्ट वर्क द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कराये जाने का प्रश्न इस बात पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र में दैवी आपदा के फलस्वरूप अभाव की स्थिति होगी या नहीं।

तिब्बिया कालेज, लखनऊ व इलाहाबाद को अनुदान

*24—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बिया कालेज, लखनऊ तथा इलाहाबाद को सरकार ने सन् 1972–73 में कुल कितना अनुदान दिया ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

1972–73 में 26–2–73 तकमिलुउतिब कालेज लखनऊ को 88146 0 तथा यूनानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद को 91,224 रु0 के अनुदान स्वीकार किये गये। इसमें वह धन भी सम्मिलित है जो गत वर्ष दिये गये अनुदान में से इन संस्थाओं के पास अप्रयुक्त बच गया था और समायोजित कर लिया गया। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन संस्थाओं के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के लिये कुछ और अनुदान दिया जायेगा।

जनपद गोंडा में तहसीलों के सृजन का सुझाव

*25—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) श्री महेश्वर दत्त (जिला गोंडा) श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र (जिला गोंडा) तथा श्री दीपनारायण बन (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में क्या सरकार नई तहसीलें बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा कौन परगना टप्पा किसी तहसील में होगा और नई तहसील का कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। जिला गोन्डा में किसी नई तहसील के सृजन के बारे में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

अतारांकित प्रश्न

रोहेल खण्ड में मेडिकल कालेज खोलने का सुझाव

1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहेल खंड में मेडिकल कालेज खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक खुल जायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी इस प्रकार का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। वैसे अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम 2 नये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है लेकिन उनके स्थानों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

2—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश का मेमोरेन्डम

3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को उत्तर प्रदेश ब्रांच ने कोई मेमोरेंडम अपनी मांगों के संबंध में मुख्य मंत्री को फरवरी, 1973 में प्रस्तुत किया यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां, इंडियन मेडिकल ऐसोसियेशन की उत्तर प्रदेश ब्रांच का 7 फरवरी, 1973 के पत्र के साथ एक मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्यतः मांग डाक्टरों की भरती तथा सेवा-निवृत्ति की आयु के निर्धारण, पारिश्रमिक प्रैक्टिस बन्दी वेतन, अध्ययन के लिये अवकाश, कार्य के घंटों का निर्धारण से संबंधित हैं। सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस की समाप्ति तथा पेइंग क्लीनिक्स की स्थापना की आयोजना के प्रसंग में इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

कन्डेक्ट टूर्स के आयोजन हेतु धनराशि

4---श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971-72 तथा 1972-73 के बजट में क्रमशः कन्डेक्ट टूर्स आयोजन के हेतु कितनी-कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था? 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक तथा 1 अप्रैल, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में खर्च की गई?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

पर्यटन विभाग के आयोजनागत आय-व्ययक में प्रख्यापन और आयोजित दौरों की मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 71-72 तथा 72-73 में क्रमशः 44,000 तथा 60,000 रु0 का प्राविधान किया गया। दोनों वर्षों में पूरा व्यय प्रख्यापन पर ही किया गया और कण्डेक्टड टूर्स पर कोई व्यय नहीं किया गया।

कण्डेक्टेड टूर्स पर्वतीय विकास निगम द्वारा आयोजित किये जाते हैं। शासन द्वारा इस विषय में उनसे सूचना मांगी गई है जो अपेक्षित है।

प्रदेश के पर्यटकों द्वारा पर्यटन विभाग को प्राप्त धनराशि एवं पर्यटक बोर्ड का गठन

5---श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1972-73 के बजट वर्ष में 1 अप्रैल, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक सारे प्रदेश में पर्यटकों (देशी-विदेशी पर्यटक) द्वारा पर्यटन विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? क्या प्रदेशीय सरकार निकट भविष्य में पर्यटन बोर्ड गठित करने का इरादा कर रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित आवास गृहों में पर्यटकों से आवास शुल्क के रूप में 2,49,500 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई।

सीमान्त विकास विभाग द्वारा जो पर्यटक आवास गृह बनवाये गये थे उन्हें पर्वतीय विकास निगम को लीज पर हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः उनके पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन विकास हेतु शासन ने मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पर्यटन परिषद् का गठन किया है।

पर्यटन विकास एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिये योजनायें

6—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972–73 के बजट में पर्यटन विकास के लिये पर्वतीय क्षेत्रों के लिय कोई योजनाय बनाई गई थीं तथा क्या इन योजनाओं म धनराशि का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो व योजनायें कौन-कौन हैं और उनक लिये कितनी-कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

72-73 के बजट में पर्यटन विकास के लिये पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जो योजनाएं बनाई गई हैं उनकी सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। इन योजनाओं के लिये जिस धनराशि का प्राविधान किया गया था वह भी संबंधित योजनाओं के सामने इंगित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 244 पर)

7–8—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[13 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बदायूं जनपद के बाढ़ पीड़ितों को अनुदान

9—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के बाढ़, जल प्लावन एवं अति वृष्टि के कारण जिनके घर इस वर्ष गिरे हैं उनको शासन की ओर से कोई अनुदान दिया है? यदि हां, तो कितना ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। वर्ष 1972 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जिनके घर गिरे उन्हें 40,500 रुपये का गृह अनुदान दिया गया।

वर्मा के विस्थापितों का नैनीताल में पुनर्वासन

10—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में वर्मा से आये हुये विस्थापितों की संख्या क्या है और उनके पुनर्वासों के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला नैनीताल में वर्मा से प्रत्यावर्तित 207 परिवार (925 सदस्य आये) भारत सरकार की योजना के अनुसार वर्मा विस्थापितों को पुनर्वासन हेतु 0 5,000 तक का व्यवसायिक ऋण दिया जाता है। नैनीताल में 98 परिवारों को रु0 1,70,800 का ऋण दिया जा चुका है। 10 परिवारों को शक्तिफार्म में 10 दुकाने एवं आवास गृह बनाकर दिये गये हैं, जिनकी निर्माण लागत उनसे ऋण स्वरूप किश्तों में वसूल की जायगी। वर्ष 1972–73 के अन्त तक 5 परिवारों को रु0 14,000 का व्यावसायिक ऋण और दे दिया जायेगा। मांग आने पर और ऋण दिया जायेगा।

पट्टी धनपुर को जिला चमोली में मिलाये जाने की प्रार्थना

11--श्री शेर सिंह वानू (जिला चमोली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्हें दिनांक 15 मई, 1972 का प्रश्नकर्त्ता का पत्र तथा उससे संलग्न श्री राम प्रसाद काला, अध्यक्ष, व्यापार समिति, रुद्रप्रयाग का पट्टी धनपुर को जिला चमोली में मिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और कब तक उक्त पट्टी जिला चमोली में मिलाई जाने की सम्भावना है ?

उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नकर्ता का पत्र तथा उससे संलग्न अध्यक्ष व्यापार समिति का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर पहले ही जिलाधिकारी, आयुक्त एवं राजस्व परिषद् के विचार तथा संस्तुति मांगी गई थी जो प्राप्त हो गई है। शासन द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है।

12---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[10 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

विकास क्षेत्र बढ़नी व इटावा (बस्ती) में भूमिहीन एवं हारजनों को भूमि

13---श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती विकास क्षेत्र बढ़नी व इटावा में भूमिहीन एवं हरिजनों को ग्राम समाज की बंजर भूमि व सीलिंग की भूमि, हरिजनों के निर्माण हेतु आबादी की भूमि, प्रत्येक ग्रामों में अलग-अलग किस-किस को कितनी-कितनी कौन-कौन सी भूमि वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 में दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

प्रश्नगत भूमि का विवरण इस प्रकार है:---

	1971-72	
	विकास क्षेत्र बढ़नी	विकास क्षेत्र इटावा
भूमिहीन हरिजनों को दी गई ग्राम समाज की बंजर भूमि।	..	2 ग्रामों में 9 व्यक्तियों को 9 बीघा 7 बिस्वा 15 धुर।
भूमिहीन एवं हरिजनों को दी गई सीलिंग की भूमि।	4 ग्रामों में 28 व्यक्तियों को 62 बीघा 19 बिस्वा 7 धुर।	1 ग्राम में 4 व्यक्तियों को 112 बीघा 13 बिस्वा 15 धुर।
हरिजनों के गृह निर्माण हेतु दी गई आबादी की भूमि।	32 ग्रामों में 148 व्यक्तियों को 7 बीघा 7 बिस्वा 3 धुर।	10 ग्रामों में 73 व्यक्तियों को 3 बीघा 13 बिस्वा।

1972–73		
	विकास क्षत्र बढ़नी	विकास क्षेत्र इटावा
भूमिहीन हरिजनों को दी गई ग्राम-समाज की बंजर भमि।	..	..
भूमिहीन एवं हरिजनों को दी गई सीलिंग की भूमि।	8 ग्रामों में 41 व्यक्तियों को 55 बीघा 18 बिस्वा 13 धुर।	..
हरिजनों के गृह-निर्माण हेतु दी गई आबादी की भूमि।	11 ग्रामों में 51 व्यक्तियों को 2 बीघा 11 बिस्वा 3 धुर।	44 ग्रामों में 297 व्यक्तियों को 14 बीघा 15 बिस्वा 10 धुर।

ग्रामों, व्यक्तियों तथा प्रत्येक को दी गई भूमि की सूची सदस्य महोदय अध्यक्ष, विधान सभा के कक्ष में देख सकते हैं।

पिंजरावा (हरदोई) में तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायत

14—श्री भगेलू सिंह तथा श्री शिव कैलाश—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम पिंजरावा, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में उत्तर दिशा में स्थित तालाब की जमीन पर ग्राम प्रधान ने व उनके इशारे से कुछ अन्य व्यक्तियों ने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है और इस समय रबी की फसल लगभग 15 एकड़ जमीन में तैयार खड़ी है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों न कितनी-कितनी तालाबी भूमि पर कब्जा कर रखा है और सरकार ने इनको बेदखल करने तथा दंडित करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत भूमि पर किसी व्यक्ति का अनाधिकार कब्जा नहीं है और न उसके किसी भाग पर रबी की फसल खड़ी है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पिलखी (टिहरी गढ़वाल) के निवासियों का पुनर्वासन

15—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल की पट्टी फैंगुल के ग्राम पिलखी जो पिछली बाढ़ में बह गया था उसके पुनर्वास की सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

17–8–72 को भयंकर वर्षा के कारण ग्राम पिलखी के 25 परिवारों के आवास-गृह को खतरा पैदा हो गया है। इनके पुनर्वास के लिये वन विभाग को 25 नाली वन भूमि देने के लिये लिखा गया है। मामला अभी वन विभाग में विचाराधीन है।

बहराइच जिले की शिक्षण संस्थाओं के बाढ़ पीड़ित छात्रों को अनुदान

16—श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में किन-किन शिक्षण संस्थाओं को कितनी धनराशि गत वर्ष 1971–72 में बाढ़ पीड़ित छात्रों के शुल्क अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था तथा उक्त जिले के विद्यालयों में कितनी धनराशि छात्रों को बांटी और कितना धन अभी बांटना शेष है तथा अनुदान पाने वाले छात्रों की सूची क्या है?

श्री उचित नारायण शर्मा—

बहराइच जिले की जिन शिक्षण संस्थाओं को गत वर्ष 1971–72 में बाढ़ पीड़ित छात्रों के शिक्षा शुल्क की माफी के लिये अनुदान दिया गया व उनका नाम तथा प्रत्येक को दिये गये अनुदान का वितरण संलग्न सूची में दिया गया है। इस अनुदान से लाभान्वित छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, उनकी सूची तैयार की जा रही है तथा शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 245 पर)

बांसगांव (गोरखपुर) में महिला चिकित्सालय की स्थापना एवं भवन

17—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव कस्बे में पुराने थाने की जमीन या पशु चिकित्सालय की जमीन को महिला चिकित्सालय की स्थापना के लिये देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा? मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1972 से 31 जुलाई, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और सरकार की ओर से कौन-सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला परिषद् गोरखपुर, ने 28–2–73 को प्रस्ताव पारित किया है कि वे पशु चिकित्सालय भवन को उत्तर प्रदेश शासन को बांसगांव महिला चिकित्सालय हेतु स्थानान्तरण कर देंगे। भवन उपलब्ध होने पर बांसगांव में महिला चिकित्सालय की स्थापना पर विचार किया जायगा। 1 जुलाई, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक चिकित्सा विभाग में कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद को सूखा व बाढ़ की रिलीफ की धनराशि

18—श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया में सन् 1970–71 और 1971–72 में कितनी रिलीफ सूखा और बूड़ा में दी गई है?

श्री उचित नारायण शर्मा—

सूखा और बाढ़ के कारण 1970–71 और 1971–72 में इलाहाबाद की तहसील हंडिया में जो सहायता दी गयी वह इस प्रकार है:—

	निःशुल्क सहायता के रूप में	क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु अनुदान	एक एकड़ तक के कृषकों को निःशुल्क खाद	आपदा तकावी तथा बीज तकावी	कम्बलों की सं० जो वितरित किये गये
	रु०	रु०	रु०	रु०	
1970–71	5,000	4,27,000	75,000	5,000	100
1971–72	11,725	1,400	—	1,76,000	—

इसके अतिरिक्त सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित रही है।

विधान सभा रिपोर्टर्स के प्रिमेच्योर रिटायरमेंन्ट के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपका ध्यान विधान सभा के रिपोर्टर्स के त्याग-पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । आपने पहले भी जब रिपोर्टर्स ने रिटायरमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था तो प्राइवेट बिल लाने के लिये अनुमति दी थी । आपने कहा था कि 28, 30 मार्च को प्राइवेट बिल लाने की अनुमति दी जायगी लेकिन वह तिथि हटा दी गयी । आपको रिपोर्टर्स का प्रिमेच्योर रिटायरमेंट से संबंधित पत्र प्राप्त हो गया होगा जो 15-4-73 से मांगा गया है । यहां जो रिपोर्टर्स बैठे हैं और उन्होंने जो रिटायरमेंट की प्रार्थना की है क्या उनकी सेवायें 25 वर्ष से अधिक की हो गयी हैं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्या आप उनको रिटायरमेंट दे रहे हैं या अन्य कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अखबार वाले जो प्रेस गैलरी में बैठे हैं उन्होंने क्या कसूर किया है कि आपने पंखे उखाड़ दिये । एयर कंडीशन जब होगा तब होगा । गरमी बढ़ रही है लेकिन पंखे नहीं लगे हुए हैं । यह व्यवस्था किसके जिम्मे है । यह व्यवस्था आपके ही जिम्मे है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर तथा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके बोलें ।

श्री राम गोपाल संड—

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आठ रिपोर्टर्स को आप प्रिमेच्योर रिटायरमेंट देने जा रहे हैं ? आपको उनका यह प्रार्थना-पत्र मिल गया होगा । 25 साल से अधिक की उनकी सेवायें हो चुकी हैं और उनके ये नाम हैं—माथुर, राम प्रकाश अग्रवाल, कौशिक, शंकर लाल, गुप्ता जी, कपूर जी, सोहनलाल ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम गोपाल संड—

आपको इजाजत देना चाहिये । यह लोक-महत्व का सवाल है । 8 लोगों ने आपको रिटायरमेंट के लिये नोटिस दिया है, इस पर आपको विचार करना होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको निकाल तो नहीं रहा हूं ।

श्री राम गोपाल संड—

आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । 15 अप्रैल से वह रिटायरमेंट चाहते हैं । इसके लिये उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया है । आप केवल यह कह रहे हैं कि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । प्रेस गैलरी में आपने पंखे नहीं लगवाये उनको उखाड़ दिया है । उसका आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं पंखे लेकर तो जाऊंगा नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप जायेंगे तो नहीं लेकिन इन्तजाम तो आपको ही कराना है ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे देंगे ।

जश्ने मुल्ला में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हिस्सा लेने पर आपत्ति

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)---

उत्तर प्रदेश में बड़ा अनर्थ होने जा रहा है । आप देखें यह मुल्ला साहब देशद्रोही हैं लेकिन जश्ने मुल्ला में इंदिरा जी पार्टीसिपेट करने आ रही हैं । काकोरी केस में चार को फांसी हो गयी जो शहीद हो गये लेकिन उनको फांसी दिलाने में उनका कांट्रिब्यूशन है । एक तरफ तो इंदिरा जी लाल ताम्र-पत्र दे रही हैं शहीदों की यादगार में और दूसरी तरफ जश्ने मुल्ला को मदद करने के लिये लखनऊ आ रही हैं । तो आप इस सदन की तरफ से प्रधान मंत्री को लिख दें कि वे इस जश्ने-मुल्ला कार्यक्रम में भाग लेने के लिये न आयें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आज ट्रेटर की डिफनीशन ही प्रधान मंत्री ने बदल दी है । एक तरफ तो जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान दे दी उनको यह ताम्र-पत्र दे रही हैं और दूसरी तरफ जिन्होंने प्रोसीक्यूशन में भाग लिया है उनके मामले में वे यहां पर आ रहीं हैं । तो जो यह ट्रेटर की परिभाषा बदली जा रही है, उसे वे शुद्ध कर लें ।

विधान सभा के रिपोर्टर्स के प्रिमेच्योर रिटायरमेन्ट के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें । मान्यवर, आप अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन सन् 1952 से 1967, के पृष्ट 360 और संख्या 343 देखने का कष्ट करें जिसमें कि विधान मंडल के रिपोर्टरों की अनुपस्थिति में सरकारी सचिवालय के रिपोर्टरों अथवा सी0 आई0 डी0 के रिपोर्टरों को इस सदन में आने से वर्जित किया गया था । इसमें लिखा है कि "श्री गंगवार के पुनः प्रश्न करने पर कि क्या इस समय सी0 आई0 डी0 के रिपोर्टर बुलाये गये हैं, श्री अध्यक्ष ने कहा कि वैसे मैंने सचिव, विधान मंडल से कह दिया था कि यथाशक्ति न बुलाये जांय किन्तु यदि आवश्यकता पड़े और अनिवार्यतः हो तो बुलाया जाय । यथाशक्ति न बुलाये जायं . . . ।

श्रीमन, मुझे अभी यह देखने को मिला कि इस सदन में प्रश्नोत्तर के बीच में सरकारी सचिवालय में काम करने वाले रिपोर्टर इस सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर रहे थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उनको यहां आने की इजाजत दी है ? अगर आपने इजाजत दी है तो आपके निर्णयों का क्या हुआ जिसमें लिखा है कि यथाशक्ति न आने

दिया जाय । अगर कोई असाधारण परिस्थिति हुई तो वह असाधारण परिस्थिति कौन सी हो गई है जिसके कारण कि आपने सरकारी सचिवालय के रिपोर्टरों को इस सदन में आने की इजाजत दी है ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष —

वे हमारी स्वीकृति से उपस्थित हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, आपको तो इस सदन में पुलिस को भी बुलाने का अधिकार है और कई बार आप पुलिस को बुला भी चुके हैं । उसी तरह से आप रिपोर्टरों को भी बाहर से बुला सकते हैं क्योंकि आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है लेकिन जिस प्रश्न की ओर अभी माननीय रामगोपाल जी संड और माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि जो हमारे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी हैं और खासकर के जो रिपोर्टर्स हैं उनको आप कोई सुविधा नहीं देते, उनकी तरक्की के लिये कोई रास्ता नहीं है इसलिये आप कृपा करके माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने के लिये कोई तिथि निश्चित कर दें ताकि उसमें इनकी सर्विस कंडिशन ठीक कर दी जाय । यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है कि पुलिस का मुहकमा, चकबन्दी का मुहकमा जहां रिश्वतखोरी चलती है वहां के मामले तो उठ जाते हैं और उनके मामलों पर विचार हो जाता है लकिन इन रिपोर्टर्स के मामले पर. . . .

श्री अध्यक्ष—

इनके बारे में आपका बड़ा ही कस्ट्रक्टिव सुझाव है, मैं उसे मान लेता हूं लेकिन सवाल यह है कि जहां तक मेरे पास पे-कमीशन की रिपोर्ट आने की बात है वह अभी मेरे पास नहीं आयी है, यह हिन्दी में नहीं आयी है । कल अंग्रेजी में पहली दफा आयी है, मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है । उसके बाद मैं आप लोगों को बुला लूंगा और सुनूंगा । लेकिन जिस तरह से इस प्रश्न को सदन में उठाया जा रहा है, उस तरह से इस प्रश्न को यहां नहीं उठाना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप अंग्रेजी वाली रिपोर्ट तो पढ़ ही सकते थे और उससे काम चला सकते थे ।

श्री अध्यक्ष—

कल ही तो आयी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कहा कि हिन्दी में नहीं आयी इसलिये नहीं पढ़ा । आप अंग्रेजी का कांस्टीट्यूशन तो यहां पढ़ते ही हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकारी सचिवालय के रिपोर्टरों को इस सदन में आने से मना कर दीजिये और अपने यहां का सारा काम कराने के लिये हर हालत में अपने रिपोर्टरों का प्रबन्ध कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें ऐसा दिया है कि "विधान मंडल के रिपोर्टरों की अनुपस्थिति में सी०आई०डी० रिपोर्टरों से काम लिया जायेगा ।"

श्री कल्पनाथ सिंह—

अनुपस्थिति में काम लिया जायेगा, तो क्या आपके रिपोर्टर्स अनुपस्थित हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पूरे रिपोर्टर्स हैं ही नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो आप उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—

वे मिलें तब न ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब यह इस सदन का मामला है, तो आप उनके न मिलने के कारणों में क्यों नहीं जाते ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब श्री शिवानन्द जी नौटियाल, अपना विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश करें ।

(व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के विचारार्थ पेश करता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न सबसे पहले आवेगा। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के बारे में है । जब प्रश्नों का घंटा खत्म हो गया तो उस संबंध में आप कोई व्यवस्था तो दें कि उसका क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्टरों के प्रश्न के संबंध में आपने क्या तय किया और उसमें कितना समय लगायेंगे विचार करने में ?

श्री अध्यक्ष—

उस पर विचार करने के लिये मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल और सदन के अन्य नेताओं की बैठक बुलाऊंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

प्रश्नों के संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप रिपोर्टरों के प्रश्न पर विचार करने के लिये नेता सदन के साथ-साथ सभी विरोधी दल के नेताओं को भी उस बैठक में बुला लें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

राजस्व विभाग के प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जहां तक हमारी नियमावली का नियम 30 है, तारांकित व अतारांकित प्रश्न के लिये सारे नियम बने हुए हैं लेकिन क्या कभी इन नियमों का अनुपालन होता भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही आप देख लें—नत्थी 'ख' केवल 1 ल और 2 रे प्रश्न को छोड़ कर राजस्व विभाग से संबंधित ही लगातार 3 से 10 तक क प्रश्न हैं जो लगातार कई महीने से बराबर स्थगित होते आ रहे हैं। और किसी विभाग का कार्य चाहे जो कुछ भी होता रहा हो लकिन मैं बराबर देख रहा हूं कि राजस्व विभाग से संबंधित प्रश्न करने का अवसर मुझे अनेकों बार मिला लेकिन उसका स्थगन ही होता रहा क्योंकि राजस्व विभाग से उसका उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारी इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। तो क्या आप कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके आदेश का कड़ाई स पालन कराया जा सके ? नियमों का कड़ाई से पालन कराइये।

तारांकित प्रश्न 20 दिन में आ जाने चाहिये लेकिन 5/6 महीने लग जाते हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा। एक तहसीलदार के बारे में हमने कहा था तो उन्होंने कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके माने यह हैं कि राजस्व विभाग क जितने अधिकारी हैं वे सब मनमानी करने लगे हैं और उनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के तहसीलदार या जो भी अधिकारी हैं क्या उनके ऊपर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। कितने दिनों में जवाब आना चाहिये, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें क्योंकि 6/6 महीने हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये 2/3 रोज से यह बात हो रही थी कि श्री शिवानन्द नौटियाल का प्रश्न ले लिया जाय। इसलिये मैंने उनको बुलाया है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, कल माननीय सदन में मेरे बारे में कुछ कहा गया। मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले उनका प्रश्न आयेगा। विशेषाधिकार का प्रश्न पहले आयेगा।

विधान सभा रिपोर्टर्स के प्रिमेच्योर रिटायरमेंन्ट के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पे कमीशन की रिपोर्ट एनोमोली कमेटी के सुपुर्द कर दी गई है। यह आप देखेंगे कि बराबर घोषणा होती रही है। पहल यह कहा गया कि अली जहीर साहब बीमार हैं इसलिये दस्तखत नहीं हो सके। फिर यह सवाल आया कि रिपोर्ट अंग्रेजी में है उसका हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। इसलिये देरी हुई। अब यह कहा गया है कि इसको एनोमोली कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इसलिये इसमें हमें धोखा लग रहा है और उनकी ईमानदारी में शक हो रहा है। जब 1974 के इलेक्शन नजदीक आ जायेंगे उस समय यह पे कमीशन की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम बिलास पांडेय]

अभी रिपोर्टरों का प्रश्न आया था जिस पर आपने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट के आने पर देखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो हमने कह दिया कि सभी पार्टी के नेताओं को बुला लेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

रिपोर्टरों के बिल के बारे में यह तय हुआ था जो 26 तारीख को रखा गया था, उसको किसी और तारीख को रखा जायेगा । साथ ही साथ तिवारी जी ने कहा था कि हम भी बिल लाना चाहते हैं आप उसमें तरमीम कर दें । यह कार्य मंत्रणा समिति में तय हो चुका है । अगर आप उसको अब बदलना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह बिल तो आपका आयेगा ही । लेकिन सवाल इस बात का है कि एक प्रपोजल सामने आया है कि माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं को शीघ्र बुला लिया जाय और उनसे चर्चा कर ली जाय और जो तय हो उसको लागू करने की कोशिश करें यह बात है । यह मैंने स्वीकार कर लिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हुआ....

श्री अध्यक्ष--

इस पर 5 तारीख को वक्तव्य देने के लिये कहा गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गई बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री शिवानन्द नौटियाल--

श्रीमन्, मैं इस सूचना द्वारा श्री हरीराम श्रीमाली पुत्र स्वर्गीय श्री अशर्फीप्रसाद श्रीमाली, गांव भरभसर, पुलिस थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर तथा श्री प्रेमपालसिंह रावत उर्फ बाल योगेश्वर, डिवाइन लाइट मिशन, प्रेम नगर, हरिद्वार, जिला सहारनपुर या डिवाइन लाइट मिशन, शक्ति नगर, दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रति तो हमारे पास आना चाहिये ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मैं तो सारा केस दे चुका हूं । मान्यवर, विधान सभा में 31 दिसम्बर, सन् 72 को जब होमगार्ड विधेयक पर विचार हो रहा था उस समय हमने कहा....

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इतना शोर न हो, कुछ सुनने दिया जाय।

(सदन में शोर होने पर)

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मैं कह रहा था कि सबसे पहले 31 दिसम्बर, 1972 को जब इस सदन में होमगार्ड का विधेयक पास हो रहा था उसी समय इसके साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था और उसी समय हमारे उत्तराखंड और देहरादून और सहारनपुर में डिवाइन लाइट मिशन की ओर से वहां ऐसे परचे बांटे गये जो आपत्तिजनक हैं और जो उनकी रजिस्टर्ड मासिक पत्रिकायें युद्धक्षेत्र और कुरुक्षेत्र हैं उनके अक्टूबर के अंक में यह छापा गया है कि महिला ही और नारी ही हमेशा देश के विनाश का कारण रही है, रामायण काल में शूर्पणखा और महाभारत काल में द्रौपदी और आज इस काम में भारत की शूर्पणखा भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और जिस के कारण भारत पर और समस्त देश पर लांछन लगने वाला है और इसके विरुद्ध लगना चाहिये । इसी संस्था की ओर से उनकी इन्हीं मासिक पत्रिका धर्म क्षेत्र और कुरु क्षेत्र में लिखा गया कि भारत की सरकार हिजड़ों की सरकार है मर्दों की सरकार तो पाकिस्तान की है । उसी में यह भी लिखा है कि अमरीका, फ्रांस और चीन के भविष्य वक्ताओं ने घोषणा की है कि भारत के उत्तराखंड में एक बड़े भारी बाल भगवान का अवतार हो गया है जिन के द्वारा सारे भारत और विश्व का कल्याण होगा । उन्होंने वर्ल्ड पीस के नाम पर एक संस्था भी बना ली है और उसके द्वारा डिवाइन लाइट मिशन का जगह-जगह पर देशद्रोही प्रचार हो रहा है । मोहनी रोड, शक्तिनगर में मीटिंग की गई और पोस्टर आदि भी चिपकाये गये हैं ।

होमगार्ड बिल की बहस के समय मैंने कहा था कि आज हम इस विधेयक के द्वारा एक ओर तो होम गार्ड की शक्ति को स्थापित कर रहे हैं और दूसरी ओर यहां पांखडियों का राज्य बढ़ रहा है और हर आदमी अपने को भगवान घोषित करने में लगा हुआ है । अमरीका में न्यूयार्क की चाबी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो अमरीका की नीतियों का पोषक उनकी गुप्त संस्थाओं सी0आई0ए0 आदि का सदस्य होता है, उनका एजेंट होता है । 16 जुलाई को इन्हीं बाल योगेश्वर को अमरीका में न्यूयार्क की चाबी सौंप दी गई । इस पर मैंने प्रश्न भी उठाया उसके बाद हमारी सरकार का यह उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य हो जाता है कि वह स प्रकार के यहां पनपने वाले पाखंड को अधिक न बढ़ने और पनपने दें ।

इसके अलावा 30-3-72 को इसी सदन में प्रश्न भी किया गया और कहा गया कि इस संबंध में सरकार अपने कर्त्तव्य को देखें, आप कार्यवाही में देख लें उसमें मैंने इस संस्था के देहरादून में स्थित मोहन ोड पर एक ट्रांसमीटर जो मिला था उसकी जांच करने के लिये मांग की थी । उसके विषय में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था और मुख्य मंत्री जी को उनकी कुछ पत्रिकायें धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र की दी थीं और उन से कहा था कि इन पर अवश्य जांच करा ली जाय ।

इन तमाम तथ्यों का प्रकाशन समाचार-पत्रों द्वारा हुआ । देहरदून के शक्ति-नगर में इस प्रकार का जो पाखंड का राज्य इस तरह का चल रहा है उसके संबंध में 30 मार्च, 1972 को प्रश्न भी किया था । मंत्री जी के उत्तर में यह नहीं लिखा कि किस ने प्रश्न पूछा था । मैं इसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं । यह मेरा प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

आप कोर्ट के संबंध में कुछ कह रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं अपने 30 मार्च, 1972 के भाषण का हवाला दे रहा हूं

श्री अध्यक्ष—

उसमें कौन सा पैरा है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

कम्प्लेंट का पैरा 7 देखिये।

श्री अध्यक्ष—

इसमें है—

That on March 30, 1972, it was stated by the Minister of State on the floor of the U. P. Assembly that nothing objectionable was found against the Mission.

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप पैरा 6 और 7 पढ़िये?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जो इस्तगासा दिया गया उसमें हिन्दी में जिक्र किया। मैंने इस सदन में एक अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न किया था जिसमें लगभग 40 मिनट तक सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी ओर से प्रश्न किये थे और जो भी पत्र और पुस्तकें माननीय मुख्य मंत्री जी को दी थी, उसका हवाला माननीय जायसवाल जी ने दिया था और माननीय मुख्य मंत्री से यह कहा था कि पत्र को पढ़ दिया जाय। तो माननीय ओमप्रकाश जी ने उस पत्र को पढ़ा। वह भी आपकी कार्यवाही में लिखा हुआ है। जो भी एलीगेशन मुझ पर इस्तगासे में लगाये हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखा है। वह पत्र भी सदन की पूरी तरह से प्रापर्टी बन गयी है अगर वह पहले तक नहीं थी तो उनको मालूम होने के बाद उनको मालूम होना चाहिये पत्र की भी जानकारी को समझते हुए, सदन की प्रापर्टी हो गयी है। इस प्रकार से सदन में मैंने जो कुछ कहा है मेरे अधिकार का हनन करने की चेष्टा की गयी है। 14 दिसम्बर, 1972 को भी मैंने प्रश्न किया था जिस दिन की कार्यवाही अभी छपी नहीं है लेकिन वह भी उनकी गतिविधियों के बारे में था और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि 6 लाख का सामान लाने के कारण कस्टम वालों ने....

श्री अध्यक्ष—

आपके ऊपर क्या चीज आती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कहां है?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

तो जो सारे श्न किये हैं, वे मैंने इसी सदन में किये हैं। इस सदन में सदस्य के रूप में जितने प्रश्न मैंने किये अपने इस्तगासे में दिये हैं। इनसे मेरे सदस्य के होने के नाते मुझे आतंकित करना चाहते हैं कि मैं प्रश्न भी न पूछ सकूं। मैंने यहां पर जो भाषण दिये वे पत्रों में छपे। 30 दिसम्बर, 1971 को मैंने स्पीच भी दी और इन सब तथ्यों का रिकार्ड सब यहां पर है। इनका हवाला देते हुए मेरे ऊपर जो आरोप लगाये हैं यह मेरा ही नहीं सारे सदस्यों का भी अवमान है और इस सदन की गरिमा का भी प्रश्न है। यदि इस प्रकार

के प्रश्न उठाने पर मकदमें दायर होते रहे तो हम स्वतंत्रता से अपने कार्य को भी निभा नहीं सकते हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपका ध्यान कुछ नियमों की ओर आकृष्ट करूंगा। जैसे नियम 64 में दिया हुआ है कि "जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहे वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। और जब वे लिखित सूचना देते हैं, जैसा कि माननीय नौटियाल जी ने दी और इस्तगासे की नकल दी, वह विशेषाधिकार का आधार बना है। उनका कहना यह है कि हमने कुछ प्रश्न इस सदन में उठाये, भाषण दिये बाल भगवान के विरुद्ध उस आधार पर गोरखपुर के बाल भगवान के शिष्य ने यह कार्यवाही की।

आर्टिकिल 194(1) में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधान मंडल में फ्रीडम आफ स्पीच है। 194(2) में दिया हुआ है कि विधान मंडल में किये हुए किसी भी भाषण या किसी भी प्रोसीडिंग्स के आधार पर किसी मेम्बर के खिलाफ कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। यह राइट कान्स्टीट्यूशन के अन्दर हिन्दुस्तान के विधान मंडलों को दी गयी हैं, जो स्पष्टतयः हाउस आफ कामन्स में नहीं हैं। नियम 65 के अन्तर्गत मान्यवर, यह देखेंगे कि प्राइमाफेसी इस्टेब्लिस होता है कि नहीं। इसके बाद नियम 65(ग) के बारे में निर्णय करेंगे।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो इस्तगासा की नकल पेश की गयी है, वह बड़ी चालाकी से ड्राफ्ट की गयी। कहीं-कहीं तो संभव हो सकता है कि आपके मन में भी भ्रम पैदा हो जाय। इस्तगासा के कुछ पैराज की तरफ देखें। पहले पैरे में कुछ नहीं है। उसमें वादी और गवाहों के नाम हैं। मेन एलीगेशन जो है, वह पैरा 4 में है। उसको, मान्यवर, देख लें। उसमें दिया है कि "दैट दि अक्यूज्ड नं0 2 इज फ्रेंड आफ अक्यूज्ड नं0 1, वहां अक्यूज्ड नं0 2 शिवानन्द नौटियाल हैं और एक्यूज्ड नं0 1 न्यू भारत टाइम्स के एडीटर हैं। उसमें दिया है कि—

"That the accused no. 2 is a friend and associated of accused no. 1. The two together with the common object and intention of defaming the members of the Mission aforesaid, creating an atmosphere of prejudices against them and the devotees of Shri Guru Maharaj ji and to gain publicity for themselves at the cost of the said devotees and the Mission indulged in an irresponsible compaign against the Mission inter alia through the column of the Nav Bharat Times, the Hindi daily with which the accused No. 1 is associated at News Editor."

इस कम्प्लेंट का मेन आधार है कि शिवानन्द नौटियाल और नव भारत टाइम्स के एडीटर ने मिशन और मिशन के शिक्षकों के खिलाफ इनडल्ज किया। इसके बाद पैरा 13 देख लें, मान्यवर। इसमें दिया है कि :—

"That again on August 2, 1972, as per news appearing in Nav Bharat Times and Indian Express dated 3-8-72 and in Veer Arjun dated 4-8-72, it appears that the U. P. Government, stated on the floor of the Assembly that nothing illegal or objectionable or actionable was found against the Mission."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

यानी 2 अगस्त, 1972 को इस विधान सभा में हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जो सरकार की तरफ से जवाब मिला तो इन्होंने कहा कि 2 अगस्त को सरकार ने बेरीफिकेशन दे दिया कि वह गलत था। मान्यवर, 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं। इन्होंने विशेषाधिकार की जो पिटीशन दी है, उसमें 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स भी दी गयी है। 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स में शिवानन्द नौटियाल ने कई प्रश्न पूछे हैं सरकार से और सरकार से उनके उत्तर आये हैं। यह प्रश्न ठीक वही है, जिसको कि बेरीफिकेशन कहा जा सकता है। वे हैं कि क्या उनका अमरीका से संबंध है? क्या वे राष्ट्र-द्रोही कार्य करते हैं? क्या वे भोली-भाली हिन्दुस्तान की जनता को बर्गलाते हैं? जैसा नेगी साहब ने कहा, पैरा में 5 में यह दिया गया है कि—

पैरा नं0 6, है श्रीमन्,

"That the accused published in Nav Bharat Times dated 25-1-1972 inter alia the contents of a letter addressed by accused no. 2 to the Chief Minister, U. P. making the following defamatory, annoying, insulting and intimidatory insinuations against the Mission, its members and the devotees of the Guru Maharaj ji.

यदि यह कम्प्लेंट श्री शिवानन्द नोटियाल ने जो कि चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है किसी दूसरी एजेंसी को लिखकर दिया होता तो मैं इसको कंसीव कर लेता कि इसमें एक डिफेमेटरी सूट दाखिल हो गया होता और ब्रीच आफ प्रिविलेज न होता। 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स में आप मान्यवर, पृष्ठ 3 पर देखें, उसमें माननीय अनन्तराम जी जायसवाल ने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है कि प्रश्नकर्ता श्री शिवानन्द नौटियाल न इस विषय में जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके कन्टेन्ट्स क्या हैं। श्री शिवानन्द नौटियाल ने यह पत्र नवभारत टाइम्स में पब्लिश नहीं किया। अगर पब्लिसिटी के लिये देते तो डिफमेटरी सूट हो जाता। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पत्र के कन्टेंट्स जो कि उनको लिखा गया था, पढ़कर सुना दिये। इस पत्र में उन्होंने यह सब लिखा था कि बाल योगेश्वर राष्ट्रद्रोही ह, विदेशी एजेंट हैं और हिन्दुस्तान की जनता को बरगलाते हैं और यह लेटर 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स में एसेम्बली में है और यह पैरा 5 इस इस्तगासे का फार्म करता है और यह पैरा 5 कम्पलेंट का वह ऐसेम्बली की प्रोसीडिंग्स का आधार है जो कि श्री अनन्तराम जी जायसवाल के प्रश्न क उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया और पैरा 13 भी इसी 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स का आधार है।

आपको इसमें यह राय दी जा सकती है चूंकि यह कम्प्लेंट 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स के आधार पर बेस करती है और इसमें किसी भी मीटिंग की डेट का हवाला नहीं दिया हुआ और 2 अगस्त की प्रोसीडिंग्स में पढ़े गये पत्र के आधार पर है और यह ऐसेम्बली की प्रोसीडिंग्स कान्स्टिटयूशन से प्रोटेक्टेड है। अतः आपके ऊपर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी आ गई है कि आप हम लोगों के मान-मर्यादा की रक्षा करें, इस सदन की गरिमा की रक्षा करें क्योंकि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ हुआ है और क्लीअरकट ब्रीच आफ प्रिवलेज हुआ है। अतः आप बाल योगेश्वर के शिष्य और गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट को आप इसी सदन के फ्लोर पर बुलायें अन्यथा हम अपनी हिस्टोरिकल ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न आपके सामने विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं तना जरूर कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं उसका रिपीटीशन न हो।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्री कृष्णानन्द राय जी ने जो फैक्ट्स सामने रखे हैं मैं अपना तर्क उन्हीं के आधार पर आपके सामने रखूंगा। इस्तगासे से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों चीज हमारे सामने आई हैं जो कि 2 अगस्त, 1971 की घटना यहां हुई-यदि वह स्पीच के द्वारा हुयी हो या उस लेटर के द्वारा रही हो, जो कि यहां पढ़ा गया। अब प्रश्न यह है कि क्या प्राइमाफेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है तो उस सदन की प्रोसीडिंग्स इसको सपोर्ट करेंगी।

एक बात हम मानते हैं और इसमें दो मत नहीं है कि एसेम्बली के फ्लोर पर जो कुछ बोलेंगे और करेंगे वह आरटीकिल 194 के अन्दर सुरक्षित होगा और हमारे हित की रक्षा आप करेंगे।

हम जनहित में अपने विचार व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि कहीं एक ऐसी चीज आ जाये जो किसी को अच्छी न लगे। परन्तु जो हम कहते हैं वह जनहित में कहते हैं। हमें वह कहने का अधिकार है। उस पर सरकार विचार करती है, माननीय सदस्य विचार करते हैं और सारी चीज मथकर आपके सामने आती है और तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। हमारे हित का प्रोटेक्शन कांस्टीटयूशन में है। हमारी स्पीचेज प्रोटेक्टेड हैं। अब प्रश्न है कि स्पीचज के आधार पर यह इस्तगासा है या नहीं। यह भी बात आ गयी कि उन्हीं के आधार पर है जैसा कि कृष्णानन्दराय जी ने कहा।

मान्यवर, अगर उसमें पांच ग्राउन्ड उन्हें इंक्रीमीनेट करने के होते और हमारा एक ही ग्राउन्ड होता तब भी प्राइमाफेसी कस बन जाता। हमारे पास तो वह इस्तगासा नहीं है। लेकिन अगर कोई इसका प्रोटेक्शन लेना चाहे कि उसमें अन्य ग्राउन्ड भी हैं तब भी हमसे यह मतलब है कि हमारी स्पीचेज को आधार बनाया गया है। बीस कारणों में अगर एक कारण भी हमारी स्पीच है तो हमारा प्राइमाफेसी केस बना जाता है, इसमें सोचने की बात नहीं है। यह कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है कि अगर कोई चार बात कहता है तो बेनीफिट आफ डाउट दे दिया जाय। यहां कांस्टीटयूशन हमारी रक्षा करता है, माननीय सदस्य की स्पीच की रक्षा करता है। यहां बेनीफिट आफ डाउट का प्रश्न नहीं है कि तर्क भिड़ाकर उस आर्गूमेन्ट को डिमालिश करना चाहें।

सीधी बात यह आती है कि वह स्पीच ही आधार है। लेकिन अगर विपक्ष का कुछ तर्क मान भी लिया जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि यह भी आधार है। इसलिए कोई भी प्रोटेक्शन ब्रीच आफ प्रिविलेज के खिलाफ मिल नहीं सकता। अब यह कि इसमें मजिस्ट्रेट आते हैं या नहीं तो वह भी आ गये। कायदा यह है कि एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश करने के पहले इस्तगासा पढ़ेगा। कोई कह दे कि मख्य मंत्री के हाथी कान ले गया तो ले नहीं जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि जो चीज है उसे देख लें। कोर्ट को अपना माइन्ड एप्लाई करके देखना चाहिए। यहां भी जब ऐसा मामला रखा गया और इतना इम्पारटेंट केस उनके सामने आया तो वह वकील से कहेगा कि तुम्हारा प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं। हमारी स्पीच प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए प्राइमा फेसी केस उस आधार पर गिर जायगा और आगे समन नहीं किया जा सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट ने जानबूझ कर या बगैर देखे समन कर लिया। उन आधारों पर वह व्यक्ति जिसने इस्तगासा दाखिल किया वह भी दोषी है और मजिस्ट्रेट भी इस दोष का भागी हो जाता है इसलिए कि प्राइमाफेसी केस पर अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया और इनको समन कर लिया। इसमें बहुत आर्गूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर यह डिमालिश हो गया तो सदन की रक्षा हो नहीं सकती। यह प्राइमाफेसी केस जरूरत से ज्याद बन गया इसलिए इसमें बहुत अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

यह जो मामला सदन के सामने है वह जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गम्भीर है। जो पत्र नौटियाल साहब ने दिया है इसमें आप पढ़ेंगे कि मेरे ऊपर लगभग 31-32 स्थानों में इसी प्रकार के मुकदमे दायर किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष --

आपके ऊपर ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरे ऊपर नहीं बल्कि नौटियाल साहब के ऊपर ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर इनके ऊपर किये होते तो हम समझते हैं मुनासिब होता ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मैं केवल 2-3 तथ्य सामने रखना चाहता हूं क्योंकि सारे तथ्य लगभग सदन के सामने आ गये हैं। एक बात तो यह है कि ये सारे के सारे आरोप धारा 500 यानी बदनाम करने वाली धारा में लगाये गये हैं। इसमें यह कहा गया है कि नौटियाल साहब ने इस-इस प्रकार ये-ये बातें कहीं। जसा कि मेरे मित्र कृष्णानन्दराय जी ने कहा सचमुच यह सब कार्य सदन में हुआ। यहां सदन में प्रश्न, उत्तर और प्रत्युत्तर हुए। मुझे यह कहने म भी संकोच नहीं है कि यह तो साफ अवमान का प्रश्न है और सरकार की ओर से भी होना चाहिए था। नौटियाल साहब ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था। वह तो एक प्रकार से कानफिडेंशियल डाक्यूमेंट था। न जाने हम कितने पत्र मख्य मंत्री को लिखते हैं--न जाने कितने पत्र माननीय सदस्य मुख्य मंत्री को लिखते हैं। उस पत्र का सहारा लकर डिफेमेशन सूट दायर किया गया है। मख्य मंत्री जी को लिखे गये पत्र का हवाला सदन में दिया गया। उन्होंने बतलाया कि नौटियाल साहब ने ये-ये बातें कहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी के द्वारा सदन में जो बातें बतायी गयी हैं या ओम प्रकाश सिंह जी के द्वारा बतायी गयी हैं या उनके द्वारा सदन में जो तथ्य रखे गये उनको आधार बना कर यह मुकदमा धारा 500 में बनाया गया है। यह नौटियाल साहब की ही शिकायत नहीं है बल्कि समस्त सदन की शिकायत है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें आप प्रिवलजेज का चैप्टर देखें। 16वें एडीशन के पृष्ठ 107 को देखें।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास 17वां एडीशन है। कोई बात नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह प्रारम्भ में पांचवीं पंक्ति है :

It may be stated generally that any act or ommission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or obstructs or impedes any Member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence.

तो, मान्यवर, सदन के कार्य में व्यवधान हुआ। माननीय सदस्यों के कार्य करने की क्षमता में कठिनाई पड़ी और यह मामला कन्टेम्प्ट यानी प्रिवलेज की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

अब मान्यवर, पृष्ठ 127 पर देखें--इसी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में। केवल यही नहीं है कि किसी सम्मानित सदस्य के विरुद्ध हो बल्कि यह है कि यदि किसी अधिकारी के कार्य में रुकावट डाली जायेगी तो वह भी कंटेम्प्ट हो जाता है ।

मान्यवर आप देखेंगे कि :—

To commence proceedings in a court of law against any person for his conduct in obedience to the orders of either House or in confirmity with its practice, or to be concerned in commencing or conducting such proceedings, is a breach of privilege.

मान्यवर, कोई व्यक्ति जो भी कार्य करता है सदन की कार्यवाही की परिधि के अन्दर या नियमों के अन्दर तो अगर उस सम्बन्ध में मुकदमा दायर किया जाय तो वह ब्रीच आफ प्रीविलेज है । यह प्रत्यक्ष रूप में है, यदि अप्रत्यक्ष रूप में भी किसी माननीय सदस्य की कार्य क्षमता में किसी तरह का व्यवधान हुआ है तो वह भी इसकी परिधि में आता है । इसमें कहा गया कि माननीय सदस्य श्री के0सी0 पन्त से मिलने गये थे । तो उस सम्बन्ध में भी शिकायत है । मान्यवर, इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह केन्द्र में या यहां किसी से भी मिले और किसी भी संस्था के बारे में कुछ कहे । यह उसकी कर्तव्य की परिधि में है । यह कर्तव्य पालन करना उसका अधिकार है और यदि उसको रोकने का प्रयत्न कोई व्यक्ति करे तो यह अनुचित है ।

मैं एक चीज और सदन के सामने रखना चाहता हूं । मैं नहीं चाहता था कि कोई चर्चा करूं लेकिन मेरे मित्र ने मजिस्ट्रेट का जिक्र कर दिया । तो कोई व्यक्ति जिसने इस्तगासा दायर किया है वह अनुच्छेद 194 से परिचित है । इसमें यह स्पष्ट है कि सदन के प्रत्येक सदस्य को पूरा वाक स्वातंत्र है कि कोई भी कार्यवाही उसके सम्बन्ध में किसी के भी द्वारा नहीं हो सकती है। मैं 192(2) को पढ़ना चाहता हूं :

No member of the Legislature shall be liable to any proceedings in a court of law in respect of anything said or given by him in the Legislature or in Committee thereof.

मान्यवर, जिन वकील साहब ने इस इस्तगासा को लिखा है वह इस अनुच्छेद 2 से परिचित ह कि किसी भी व्यक्ति ने जो यहां पर कार्य किया है उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है । यह सदन स्वतंत्र है । जैसा कि श्री कृष्णा नन्द राय ने कहा है यह बड़ी चालाकी से लिखा गया है और इसका श्री गोविन्द सिंह नेगी जिक्र करना चाहते थे ।

"नव भारत टाइम्स" का उल्लेख किया गया है । उसको देखने की कृपा करें कि श्री नौटियाल ने विधान सभा में तथा मख्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में साफ-साफ शब्दों में मिशन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया है । और यह भी कहा है कि देहरादून में मिशन के पास ट्रांसमीटर है जिसके माध्यम से मिशन का सम्बन्ध विदेशों से स्थापित है, आदि-आदि । फिर उसका उद्धरण है कि जो यहां पर माननीय गृहमंत्री जी, मुख्य मंत्री जी या ओम प्रकाश सिंह जी ने जिन चीजों को सदन में रखा और उसकी बिना पर ये सारी चीज आधारित हैं । इससे यह स्पष्ट है और इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता । तो मेरा विनम्र निवेदन है कि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और यही अभियुक्त नहीं बल्कि अन्य अभियुक्त जिन्होंने अदालती कार्यवाही माननीय सदस्य के विरुद्ध की है उन सबको, और यदि मुझे क्षमा करेंगे तो उन वकील साहब को जिन्होंने ड्राफ्ट किया है इस्तगासा तथा उन मजिस्ट्रेट साहब को, सब को इस सदन में बुलाया जाय और बाल योगेश्वर साहब का उसमें कितना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है, मैं कह नहीं सकता, अगर आवश्यक हो तो उनको इस सदन में बुला लें । इसको या तो यह सदन तय कर दे या प्रिविलेज कमेटी तय करे ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस वक्त विचाराधीन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ज्यादा न कहें, मैं फैसला खुद सोच कर आया हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं तब तो ज्यादा तर्क औपचारिक है । आप कह दीजिये कि आप संतुष्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पहले भी कह चुका हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने कहा कि फैसला सोचकर आये हैं, तो बिना सुने ही फैसला सोच लिया ।

श्री जयराम वर्मा--

संविधान के आर्टिकिल 194 के अनुसार इस सदन और इस सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि सदन की कार्यवाही के सबंध में माननीय सदस्य जो विचार प्रकट करते हैं उसके बारे में उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है । उनके द्वारा किसी की कही हुई बात के संबंध में या उनकी कही हुई बात के प्रकाशन के संबंध में कोई कार्यवाही कहीं नहीं की जा सकती । जो इस्तगासा दायर किया गया है उसकी कापी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो उसका हिस्सा पढ़ा गया उससे यह सिद्ध होता है कि उस दावे का आधार यहां पर माननीय सदस्य नौटियाल द्वारा कही हुई बात या गवर्नमेंट की तरफ से दिये हुए तथ्य हैं । उन पर वह मुकदमा आधारित है । हो सकता है कि उसके किसी और पोशन में कोई और आधार हो लेकिन इतना तो निश्चित है कि उसके कुछ पोर्शन का महज यहां पर माननीय नौटियाल द्वारा कही हुई बात या सरकार ने जो तथ्य दिये हैं वह उसका आधार बनाये गये । इसलिए उस इस्तगासे से उस हिस्से के द्वारा इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनमें बाधा डालने का प्रयास किया गया है और इस तरह से इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रयास किया गया है । तो इस समय जिसका भी प्रयास है यह दावा करने वाले, लिखने वाले या मजिस्ट्रेट जिन्होंने उस दावे के आधार पर नोटिस लिया है और माननीय नौटियाल जी को तलब किया है वह सभी विशेषाधिकार की अवहेलना के जिम्मेदार हो जाते हैं और सबके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, मेरा यह विचार है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक मिनट सुन लें । एक प्रश्न ऐसा है जिसने कल श्रीमन्, आपको परेशान कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको साल्व कर चुका हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एक और विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो फैसला दे रहा हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस प्रश्न को सदन में ही तय करवायें, प्रिविलेज कमेटी में न भेजें । मैं आपका ध्यान नियम 67 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि मैं क्या करूं। मैं नियम से चलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नियम 67 आप पढ़ लें, उसमें यह है कि:—

"यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये"।

प्राग्दर्शन में ऐसा लगता है कि आप इस से सहमत हैं कि सदन का अवमान हुआ है। जो आचार्य जी ने पढ़ा, जो न्यूज आइटम है वह अगर केवल मुख्य मंत्री जी को किये गये पत्र का जिक्र करता तब तो सम्भव था कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता लेकिन इस न्यूज आइटम की पहली पंक्ति को पढ़ें, श्री शिवानन्द ने विधान सभा में तथा मुख्य मंत्री को लिख गये अपने पत्र में.....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह रेपीटीशन हो रहा है। अगर आपने निर्णय ले लिया है तो फिर क्या जरूरत है यह सब रिपीट करने की ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तो आप उनको रोकिये, मैं थोड़े ही रोकूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर सदन में निस्तारण हो जाय तो इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई फैसला थोड़े ही दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं तो यह कह रहा हूं कि आप सदन में निस्तारण करा दें।

श्री अध्यक्ष—

सदन में निस्तारण चाहते हैं तो आज दिन भर में इसमें नहीं लगा सकता हूं। फिर तो दो, एक रोज लगेंगे क्योंकि बजट का जो समय है वह भी देखना पड़ेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं आज के लिये थोड़े ही कह रहा हूं। कोई और दिन रख दें। तीन, चार दिन लग जायें तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, फिर मैं सदन में ही कराऊंगा ।

मैं पहले बता देता हूं । मैं स्वयं संतुष्ट हूं इस बात के लिये कि चालाकी से यह प्रयत्न किया गया है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज के चक्कर में न आ जायं लेकिन चालाकी चल नहीं सकती । आपने बहुत सी चीजें कह दीं, एक चीज मैं और रख देता हूं । वह यह है :—

"The privilege of freedom of speech can be broadly divided into three categories-bribery, intimidation and molestation."

तो मालेस्टेशन में यह आ जाता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन्टीमिडेशन में आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं । यह मालेस्टेशन है । इंटीमिडेशन अगर होता तो उसमें यह लिखा होता कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम बदला लेंगे । इंटीमिडेशन में यह है कि आप को तंग करके, लाचार करके ताकि आप यह कहने लगें कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम मुकाबला नहीं कर सकते पैसे वालों से । तो मालेस्टेशन में यह साफ आ जाता है । और इसके बारे में एक प्रस्ताव है ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का—

"On 30 th May, 1837 the House of Commons had resolved that by the law of privileges of Parliament this House has a sole and exclusive jurisdiction to determine upon the existence and extent of privileges and that the institution of prosecution of any action, suit or other proceeding for the purpose of bringing them into discussion or decision before any court of law or tribunal elsewhere than the Parliament is a high breach of privilege."

उस पर यह डिसीशन हुआ कि इसके लिये किसी ट्रिब्यूनल के सामने जाना, यह हाइ ब्रीच आफ प्रीविलेज होगा । तो यह इसमें स्पष्ट है, चालाकी से अगर कोई इस तरह की चीज करता है तो वह गलत है । यहां पर जब कहा गया तब माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से वह पत्र पढ़ कर सुना दिया गया । ओम प्रकाश सिंह जी ने शायद सुनाया था । उसके ऊपर यहां प्रश्नोत्तर हुए । तो यह सब चीज यहां सदन में हुई थी । जो पत्र लिखा गया वह भी सदन के सामने आ गया । उस पत्र के आधार पर यहां डिस्कशन हुआ । उसमें कुछ चालाकी से यह लिखा है कि हम इस बेसिस पर मुकदमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बाहर स्पीच दी है उसकी बेसिस पर कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि वह पत्र जब यहां पढ़ कर सुना दिया गया तो वह सदन की प्रापर्टी बन गया । उसके ऊपर अगर कोई कुछ करता है तो वह कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस बन जायगा । यह क्लियर है । मैं इस नतीजे पर आ गया हूं कि यह है प्राग्दर्शन में कन्टेम्प्ट ।

अब कौन सी तारीख इसके लिये रखी जाय । फिर आप यह भी सुझाव दें कि किन किन को पकड़वाना है, किन-किन अदालतों में केस चल रहा है, माननीय शिवानन्द जी मुझे बता दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप एडवोकेट जनरल से पता लगवा लें ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ तो मुझे बताया गया है कि पटना में, गाजियाबाद में बाहर है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

वह तो कई जगह कार्यवाही कर रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे आप बता दें अगर मालूम हो तो । मैं एक चीज यह भी निवेदन कर दूं कि एक प्रश्न और यहां पर पहले उठा था जब कि हाई कोर्ट और सदन का झगड़ा उठा था और उसमें

यह तय हुआ था कि सदन के अधिकारों की सुरक्षा की वे इज्जत करें और कोर्ट के अधिकारों की हम इज्जत करें। ऐसी हालत में मैं चीफ जस्टिस को भी यह सूचना दे देना चाहता हूं कि उनके मातहत जितनी अदालतें हैं उनको वे सूचित कर दें कि अगर माननीय शिवानन्द नौटियाल वाला इस तरह का मामला उनके सामने आये तो वे उसे इन्टरटेन न करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इन्टरटेन अगर कर लें तो कार्यवाही न करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, बालयोगेश्वर को यहां बुला लें दर्शन हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब 2 तारीख को मैं इसको लूंगा। मैंने अपना फैसला कम से कम दे दिया है।

श्री जगदीश गांधी के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जब कल मैं सदन में नहीं था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

40 बोरे चीनी इस अनियमित तरीके से ले गये और अब स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि वह किसी को नहीं मिल सकती है। जब शादी में नहीं मिल सकती, ब्याह में नहीं मिल सकती तो इनको कैसे मिल गई।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

मुझे मान्यवर ने समय दे दिया है, मुझे अपनी बात कहने दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, किसी को न मिले और इनको मिल जाये यह क्या तमाशा है। एक दो नहीं 40 बोरे मिल गये। अब 40 या 20 बोरे का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जब प्रदेश में किसी नागरिक को नहीं मिलती थी, 9 करोड़ जनता के किसी व्यक्ति को एक दाना चीनी का नहीं दिया जाता था, तो इनको कैसे दी गई ?

श्री जगदीश गांधी—

जब मैं कल इस सदन में उपस्थिति नहीं था तो मेरी अनुपस्थिति में मेरे विषय में काफी कहा गया, बहुत सारी बातें कही गईं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इनके ऊपर इनका कहना यह है...

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहले आप हमारी बात सुन लीजिये तब कोई फैसला दीजिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने जो 40 क्विंटल चीनी एक सदस्य विधान सभा को सरकार द्वारा प्राप्त हुई, उस मामले में, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो मैंने आपके सम्मुख भेजा है, उसको उठाने की इजाजत दी है। प्रश्न यह है कि जब कल यह प्रश्न इस सदन में श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी ने किया था, यह प्रश्न सदन में आया, लोगों को इसकी जानकारी हुई। यदि जगदीश गांधी को इसका प्रतिवाद करना था तो वह इस बात का प्रतिवाद कर सकते थे कि उन्हें परमिट प्राप्त हुई अथवा नहीं? और यदि प्राप्त हुई है तो उस पर उनका क्या कहना है। वह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। किन्तु उन्होंने अपनी सफाई देने के पर्चे छपवाकर बांटे हैं, जिसकी एक प्रति नत्थी करके साथ में मैंने आपके पास भी भेजी है। उन्होंने उसमें कहा है, आप उसको यह पढ़ने दीजिये। उन्होंने कहा यह जो बात कही गई है, यह निराधार है। इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये हैं। आप उसकी हेडिंग जरा पढ़िये।

श्री अध्यक्ष—

इसमें उन्होंने कहा है—चीनी के मामले में निराधार आरोप।

श्री कल्पनाथ सिंह—

देखिये, निराधार कहा है, निराधार का मतलब यह है कि 40 बोरे चीनी का परमिट उन्होंने नहीं लिया। जब उनको 40 बोरे चीनी का परमिट कबूल करना है तो उसके लिये यह स्थान सदन था, न कि पर्चा छापना और उनको बांटना। इस प्रकार इन्होंने बाहर पर्चे बांट कर माननीय सदस्य ने सदन का अवमान किया है, और इस तरह उन्होंने जनता में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा को धक्का लगता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि यह भी पता लगे कि सरकार से किस-किस तरह की साजिश हो रही है और किस-किस तरह से वहां पर परमिट वाले लोग सरकार को प्रभावित करते हैं। मेरी यह जोरदार मांग है, और यह माननीय सदस्यों की मांग है। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इस सरकार की वस्तु स्थिति यह है.... (व्यवधान) दलबदलू की सरकार।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी अनुचित समझता हूं कि इस तरह से छपवा कर माननीय जगदीश गांधी ने बटवाया है। मुझे आज सवेरे उन्होंने फोन किया कि मुझे 40 क्विंटल, पार साल बाल समारोह जो हुआ, जिस वक्त रूल यह नहीं था कि न दिया जाय और उस वक्त मन्त्री माननीय बेनीसिंह नहीं थे बल्कि डाक्टर सीताराम थे। उन्होंने उसके लिये 40 क्विंटल चीनी ले लिया था। उसके बाद 20 क्विंटल खर्च हुआ, 20 क्विंटल वापस कर दिया, यह उन्होंने टेलीफोन पर कहा। मैंने कहा कि मैं माननीय बेनी सिंह से पूछूंगा। आपका वक्तव्य वाला पर्चा नहीं मिला था। लेकिन आज माननीय बेनी सिंह नहीं आये दुर्भाग्य से। दूसरी बात यह है कि आपने विशेषाधिकार का प्रश्न दे दिया। यह मेरे पास उस वक्त नहीं था। इनका कहना यह है कि 40 क्विंटल हम को दिया गया, उस वक्त रूल नहीं था कि स्काउट्स या बच्चों के लिये न दिया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह बराबर रूल था कि किसी को नहीं दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

इस साल उनको इनकार कर दिया गया क्योंकि पारसाल का रूल बदल दिया है। पारसाल रूल यह था कि शादियों में दिया जाता था।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, इस के दो पहलू हैं। अगर कल इन के ऊपर चार्ज आया कि 40 क्विंटल का परमिट जगदीश गांधी ने लिया, यहां पर चर्चा आई कि 40 क्विंटल जो दिया गया डी0 एस0 ओ0, कलेक्टर, कमिश्नर को अधिकार नहीं है, तो जरूर राज्य सरकार ने दिया होगा। उस बात पर आप कहेंगे कि इस सदन में खड़े होकर अपनी सफाई दें कि 40 क्विंटल के बजाय 20 खर्च कर दिया, 20 वापस किया। लेकिन एक बात हो गयी। आप मन्त्री जी से पूछेंगे। तो यह प्वाइंट मन्त्री जी से पूछेंगे।

एक आरोप यह है कि किसी और को 40 क्विंटल चीनी क्यों नहीं दी गयी? उत्तर प्रदेश में किसी और आदमी को ऐसा समारोह करने के लिये 40 क्विंटल चीनी दी गयी? दूसरे यह मालूम हुआ है कि इनके पास लीथो मशीन का टाइपराइटर है। जब चाहते हैं पर्चे छापकर बांट देते हैं। आप चाहे उस गलती में मुझे भी मान लीजिये, जो सरकार रहती है उसके यह कृपा पात्र बन कर लाखों रुपये का दुरुपयोग करते हैं। छाप करके परचे रात में हम लोगों को भेज दिया। विधान सभा में कही हुई बातों का स्पष्टीकरण किसी भी आदमी को बाहर, प्रेस में नहीं करना चाहिए। मैंने स्वतंत्र भारत में पढ़ा जहां रिपोर्ट छपी हुई है विधान सभा की उसमें जगदीश गांधी का स्पष्टीकरण भी है। आपको सदन के भीतर देना था। आपको प्रिविलेज है यहां पर बोलिये। बाहर देते हैं तो प्रिविलेज के खिलाफ उनकी कार्यवाही हो गयी, एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष—

प्रिविलेज का प्रश्न नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर आप कह रहे हैं, आप रूलिंग दे दीजिये कि सदन में कही हुई बात को कोई आदमी बाहर छाप कर देगा तो मैं कहता हूं कि जो अभी चल रहा था, आपकी रूलिंग उस के खिलाफ चली गयी।

श्री अध्यक्ष—

देखा जाता है कि नोटिस क्या होता है। उनके ऊपर यह हुआ उनका कहना है कि 40 क्विंटल लिया लेकिन 20 क्विंटल वापस कर दिया।

श्री बंशीधर पांडेय—

उनको यह यहां सदन में आकर कहना चाहिये था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप का भी थोड़ा बहुत उनकी संस्था से सम्बन्ध है तो आपसे जगदीश गांधी ने नहीं पूछा?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह मामला विशेषाधिकार के प्रश्न का बनता है। इस पर आप अपना निर्णय दीजिये। परसों आप निर्णय दें। इस पर आप सोच लें क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। 40 क्विंटल शकर उन्होंने सरकार की बदौलत हजम कर ली।

श्री अध्यक्ष—

20 क्विंटल वापस करने की बात भी वह कहते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब हजारों रुपया वह अपने कार्यक्रमों में खर्च करते हैं तो शकर भी ओपिन मार्केट से ले सकते थे । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप इस बात का ख्याल रखें कि जब लोग उनकी दावत में शामिल हुए तब यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बन सकता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस तरह से 40 क्विंटल शकर लेना स्टेट सरकार द्वारा ग्राइब देना है ।

श्री जगदीश गांधी—

मैंने अखबार में स्पष्टीकरण दे दिया इससे अगर माननीय सदस्यों को ठेस पहुंची है तो मुझे इसके लिये खेद है ।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय जगदीश गांधी ने जब एक प्रकाशन बाहर कर दिया है और उसके लिये पर्चे बंटवा दिये, अखबारों में निकलवा दिया तो अब यहां स्पष्टीकरण देने की क्या गुंजायश रह जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने माफी मांग ली है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप मुझे 500 क्विंटल शकर दिलवा दें मैं 5 दफा माफी मांगने को तैयार हूं । आप देखें कि यह मामला विशेषाधिकार का है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उन्होंने अपने पर्चे में माफी नहीं मांगी है ?

श्री अध्यक्ष—

वह लिख कर दे देंगे ।

श्री जगदीश गांधी—

मैं निवेदन करना चाहता हूं..... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

उनकी माफी क्या माने रखती है जब वह रोज दल बदलते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय सोच समझ कर दें ।

श्री जगदीश गांधी—

बाहर से हजारों लोग आये हुए थे, कई रोज वे यहां रहे । उनके खाने पीने का अगर अच्छा इन्तजाम न होता तो प्रदेश की बदनामी होती ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब यहां पर वह भाषण कर रहे हैं हमारे सामने...

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने माफी मांग ली है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मेरी जितनी ताकत होगी उतनी में इस विषय पर बहस करूंगा। आप उसे रिजेक्ट न करें।

श्री अध्यक्ष—

रिजेक्ट कैसे करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन शोरगुल इतना हो रहा है कि बहुत सी बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी जितना सुन पाया हूं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भाई माननीय बंशीधर जी को बहुत जोश है। वे मजबूत आदमी हैं, ताकत बहुत है और पूरी ताकत वे लगायेंगे। अब आप अपने को संभालियेगा।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

आप भी बनारस के हैं.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इससे कोई फायदा नहीं है। सदन की एक गरिमा होती है। आप लोग जब बोलते हैं तो हम उसे सुनते रहते हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो आप व्यवधान पैदा कर देते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सदन है और उसकी गरिमा को देखते हुए ही हम लोगों को काम करना चाहिये। यहां पर मामलों का स्पष्टीकरण भी होता है लेकिन अकारण किसी चीज का विरोध नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, इस मामले में दो सवाल पैदा हो गये। एक सवाल तो यह है कि उनको 40 क्विंटल चीनी क्यों दी गई? जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पारसाल युवक समारोह में 40 क्विंटल चीनी उनको सरकारी परमिट से दी गई, वह क्यों दी गई? जो युवक समारोह था वह कितना बड़ा था जिसके लिये इतनी चीनी की आवश्यकता पड़ी? कितनी चीनी उन्होंने खर्च कर दी और कितनी उन्होंने वापस कर दी। तो यह बात तो इन्क्वायरी की है। यह प्रश्न सदन में किया जाय उसका उत्तर मन्त्री जी दे देंगे और पूरा पता चल जायगा। 20 क्विंटल चीनी उन्होंने वापस कर दी थी। हमने देखा हुआ है वह कितना बड़ा युवक समारोह होता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई और वह अखबार में छप गई। उसके बारे में अपनी सफाई में माननीय सदस्य ने एक वक्तव्य दे दिया क्योंकि वह बात सदन की

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

प्रोसीडिंग्स में आ चुकी थी। अब प्रश्न यह है कि अखबार में छपी चीज के सम्बन्ध में वक्तव्य देना या परचा छापकर बांटना विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि यह सदन की एक बात थी, अनौचित्य दिखाया जा सकता है लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। इसके अलावा माननीय जगदीश गांधी ने इस बारे में खेद भी प्रकट कर दिया है अब इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ताकत का मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों के अन्तर्गत रहते हुए कार्य करने से है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ताकत का मतलब लाठी, डंडा और दल-बदलुओं से कर दिया। आप तो दल बदलुओं के जरिये से अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं लेकिन मेरी ताकत ऐसी नहीं है। मुझे जरा दुख हो गया कि आपने इस प्रकार से मेरी ताकत को महसूस किया। मैं आपसे कहता हूं कि शायद किसी स्टेट के अन्दर किसी एक व्यक्ति को आज तक 40 क्विंटल चीनी का परमिट सरकार द्वारा दिया गया हो। एक तो यह चोरी और दूसरे आप सत्ता पार्टी में रहकर उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यदि आपको क्षमा मांगनी थी तो वहीं पर मांग लेते। परचे क्यों बांटे? मैं आपसे कहता हूं कि आप आइन्दा किसी को मना नहीं कर सकते। कोई भी बाहरी आदमी ऐसा कर सकता है। जो रूलिंग आपने पिछले केस में दी है यह बात उसके बिल्कुल विपरीत जा रही है और वह गलत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, बात यह है कि जब उन्होंने माफी मांग ली तो उसको खतम करना होगा।

श्री बंशीधर पान्डेय—

यह बहुत ही अनुचित है कि इसके छपने के बाद उन्होंने माफी मांगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो फैसला दिया वह तो शिरोधार्य है और आपके फैसला देने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही उस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता लेकिन यह जो उन्होंने कहा कि 40 बोरी शक्कर का परमिट जो मिला वह किन परिस्थितियों में मिला, कितना उसका उपयोग हुआ इसकी जांच की जरूरत है। उसके साथ ही साथ यह भी जांच हो जाय कि क्या सरकार की तरफ से कोई प्रलोभन दिया गया जिससे श्री जगदीश गांधी सरकारी दल में मिल गये? जब जांच पूरी हो जाय और अगर वह प्रलोभन साबित हो जाय तो नियमानुकूल माननीय सदस्य इस सदन की सदस्यता से भी वंचित हो जायेंगे। इसलिये इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच करके उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। .....

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय बेनी सिंह जी से पूछें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे मामले की जांच कराइये और पूरी रिपोर्ट आने के बाद इस सदन की एक कमेटी बना दीजिए जो इस बात की जांच कर कि इसमें कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया था, या किसी तरह से माननीय सदस्य को लाभान्वित तो नहीं किया गया था? यदि यह साबित हो गया कि मान-

नीय सदस्य को लाभ पहुंचाने के लिये प्रलोभन दिया गया तो निश्चय ही श्री जगदीश गांधी इस सदन की सदस्यता से वंचित हो जायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी पूरी जांच करावें।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

यह तो सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ही गया। क्योंकि श्री जगदीश गांधी को 40 क्वींटल शक्कर का परमिट दल बदलने के लिए दिया गया और आज वही सरकार उनकी हिफाजत कर रही है। यह तो इस सदन के तमाम सदस्यों का अवमान है क्योंकि शादी व्याह में लोगों को शक्कर नहीं मिलती, गरीब आदमियों को शकर नहीं मिलती, फिर किस तरह से श्री जगदीश गांधी को 40 क्वींटल शक्कर का परमिट मिल गया। यह तो बहुत ही अव्यवस्था है।

गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे।

नियम 49 पर चर्चा के समय कल श्री राधाकृष्ण गोस्वामी, गृह राज्य मंत्री ने सुरेन्द्र विक्रम सिंह के लिये कहा कि वे रूलिंग रेस के हैं। इस पर श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का कहना है कि यह उनका अवमान है और इसके लिये वह कहते हैं कि हमें उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी यहां मौजूद हैं।

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, उसमें ऐसा रहा कि कल एस0 पी0 शाहजहांपुर के सम्बन्ध में जब आधे घंटे की चर्चा हो रही थी और श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जब बोल चुके तो माननीय राधाकृष्ण गोस्वामी ने उनके लिये कहा कि वे रूलिंग जाति में पैदा हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

रूलिंग रेस कहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह रूलिंग रेस के तो हैं ही। ये लोग जिनका रूलिंग रेस से कोई संबंध नहीं है क्या बात करते हैं। मैं कहता हूं कि वे रूलिंग रेस के हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पांडेय—

जब इस पर चर्चा हो रही थी तो श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने संकेत किया कि एस0 पी0 शाहजहांपुर से उनको खतरा है। और माननीय तीन विधायकों की इस चर्चा पर माननीय राज्य गृह मंत्री ने कह दिया यह रूलिंग रेस के हैं। इसके संकेत होता है कि एस0 पी0 अपनी भावना को उनके विरुद्ध बनाले। वह गलत भावना बना ले ऐसा कह कर उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मेरा दृष्टिकोण नहीं है कि मैं कुछ कहूं। वह क्षत्रिय कुलभूषण हैं। इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लिया जाय। मैंने वस्तुस्थिति पर ही प्रकाश डाला है। मैं अगर कह दूं कि मैं गोसाई हूं यह भिखमंगों का काम है तो इसमें कौन सी बात कह देता हूं।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

माननीय सदस्य विशेष जाति के हैं और निर्देश देने के फलस्वरूप आज्ञा का पालन न होने पर क्रोध आ जाता है। मान्यवर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर इसको खत्म किया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं उसमें मुझे होने का गर्व है और इस जाति के लोगों ने घास की रोटी खाई है। उसी तरह से मैं डटा हुआ हूं। चाहे इंदिरा गांधी या कोई भी हों मैं बराबर मुकाबला करूंगा। माननीय मैनेजर सिंह जहां के हैं वहां मेरी ससुराल है। वे अब दल बदलकर दूसरे जगह चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

हमारे डिप्टी स्पीकर इसी रेस के हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैंने कोई भी काम रोको प्रस्ताव आज स्वीकार नहीं किया है। इतना कह कर मैं आगे चलता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बिजली एक एनोमली रह गई है। इस सरकार के ऊपर मेरा चार्ज है कि यह सरकार फंडामेंटल राइट्स का एक्रोचमेंट कर रही है इसने 3 रुपये प्रति हार्स पावर और तीन पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिये और 21 घंटे बिजली देने के बजाय केवल 6 घंटे बिजली दे रहे हैं। एक तरफ तो आप उनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको अवसर भी नहीं देते हैं कि पूरे समय तक बिजली जला सकें। यह सरकार का काम फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिये आप कृपा करके इस पर चर्चा करने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिये।

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 18–शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—शिक्षा, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,32,68,700 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आज इस सदन में शिक्षा के आय व्यय के मद की धनराशि प्रस्तुत की जा रही है। इसके पहले कि मैं माननीय सदस्यों के सुझाव सुनें, मैं अपने विचार वर्तमान शिक्षा पद्धति, शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय, शिक्षा के क्रिया कलापों के बारे में, सदन अवगत हो, मैं आवश्यक समझता

हूं कि एस समय शिक्षा के जो क्रिया कलाप हैं, रूपरेखा है जो सिद्धान्त हैं और जिन पर शिक्षा का 1973–74 का आय-व्ययक बनाया गया है, उस पर कुछ सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाल दूं।

यह एक ऐसी मद है जिसकी आवश्यकता के बारे में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में दो रायें नहीं हो सकती हैं आज के इस युग में जब कि देश के सामने और प्रदेश के सामने अनेक परिस्थितियां हैं। इस समाजवादी बजट में हमने शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। 1,38,32,68,700 रुपये का शिक्षा के लिये प्राविधान करके हमने टोटल बजट का 22.9 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव किया है।

आजादी के बाद जबकि टोटल बजट में वृद्धि 19 गुनी हुई है वहां शिक्षा में 59 गुनी वृद्धि हुई है। जब तक शिक्षा की कोई व्यापक व्यवस्था न होगी, जब तक जनसाधारण को शिक्षा सुलभ नहीं होगी तब तक देश शक्तिशाली और उन्नत नहीं हो सकेगा। बिना शिक्षा के कोई भी शासन अपने लक्ष्य को कल्पना और स्थापना नहीं कर सकता। आज की व्यवस्था में वर्तमान सरकार कटिबद्ध है कि 6 साल से ऊपर का हर बालक शिक्षित हो, हमारा यह प्रयास है और हम इस संकल्प में लगे हैं। इस शिक्षा में उत्तरोतर बढ़ने का प्रयास हो रहा है।

1972–73 में बालकों की शिक्षा की स्थिति यह थी कि 72 लाख विद्यार्थी थे, बालिकाओं की संख्या 44 लाख थी और 73–74 में 73 लाख और 46 लाख हो जायगी। इस वर्ष में हम बालकों को शतप्रतिशत शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। इस सदन के माननीय सदस्यों के बहुत से सुझाव आयेंगे, उनके ही आधार पर हम अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और शिक्षा के कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन जो बजट आपके सामने प्रस्तुत है उसके साथ आप 'शिक्षा की प्रगति' 72–73 का थोड़ा सा हिसाबलोकन कर लें, उससे काफी माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जायगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे आपको निराशा हो। यदि आप उसको उदारतापूर्वक देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आलोचना की ओर न जाकर आप केवल स्वस्थ सुझाव ही प्रस्तुत करने में सफल होंगे, ऐसी मुझे आशा है।

आज इस प्रदेश में हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने प्रारम्भिक शिक्षा को लिया है क्योंकि हम समझते हैं कि यदि मूल की ही व्यवस्था उचित न होगी जिस स आगे की रूप-रेखा बन सक, शिक्षा व्यवस्था में भविष्य में सुधार हो सक तो आगे चलकर बड़ी कठिनाई होगी। जब स्थायी निकायों की देखरेख में प्रारम्भिक शिक्षा चलती थी उसका हमें सबको अनुभव है। अबतक प्रारम्भिक शिक्षा के साथ अन्याय हो रहा था और उसको वह रूप रेखा नहीं मिल रही थी जो उसे मिलना चाहिये थी और इसीलिये वर्तमान शासन ने अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में लिया है और उसके लिये कई बोर्ड बनाये हैं जिनकी देखरेख में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है।

यह एक बड़ा प्रदेश है, पहले यहां केवल एक शिक्षा निदेशक होते थे जिनके द्वारा उचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी और न सबके साथ समान रूप से न्याय हो पाता था, इसलिये हमन अब शिक्षा निदेशालय को 4 भागों में बांटा है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इन सब के अलग अलग निदेशालय बने हैं। यह एक ऐसा कदम है कि जिस से हर शिक्षा निदेशालय अपने उत्तरदायित्व का समुचित रूप से निभा सकेगा और अच्छी व्यवस्था कर सकेगा। इस तरह से पिछले 25 साल के कटु अनुभव को देखकर शिक्षा के कार्य को एक नई दिशा दी जायगी।

हमारे यहां प्राइमरी एजूकेशन के स्कूल 62 हजार हैं, जूनियर विद्यालय 12 हजार हैं, हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट संस्थायें 4000 ह, डिग्री कालेज 300 हैं और 7 यूनिवर्सिटीज हैं। औद्योगिक प्राविधिक शिक्षा देन वाले 7 डिग्री कालेज हैं और डिप्लोमा देने वाले 34 कालेज हैं।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

सन् 47 से पहले इस प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था में वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। शासन हर तरीके से हर तरह के क्रान्ति कदम उठाकर शिक्षा की प्रगति के लिये बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

आप यह देखें कि प्रारम्भिक शिक्षा में 62 हजार विद्यालय हैं। इनमें से बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर भवन नहीं हैं, और बालकों को सिर छुपाने की जगह नहीं है। इसीलिए हमने 9 करोड़ पये का प्राविधान किया है ताकि 15 हजार विद्यालयों के भवन बन सकें। इसीलिये हमने रुड़की में प्रिफैब्रीकेटेड मैटीरियल के द्वारा इन विद्यालयों के निर्माण का प्रयास कर रहें हैं। बालकों के विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। हमारा प्रयास यह है कि किसी भी बालक को दूर न जाना पड़े और जहां तक हो सके गरीब के बच्चे अपने गांवों में ही शिक्षा पा सकें और अधिक से अधिक यदि बाहर भी जाना पड़े तो 1–2 मील से ज्यादा किसी भी विद्यार्थी को न जाना पड़े।

प्रारम्भिक शिक्षा जो कि शिक्षा की मूल है, जहां बालकों को एक दिशा मिलती है गांधी जी के सपनों को भी साकार करना है और शिक्षा की कमियों को भी दूर करना है। केवल किताबी शिक्षा के आधार पर हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों के दासता काल शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यह था कि केवल नौकरी के लिये उन्हें व्यक्ति मिल सकें और उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं था। आज हमारे बालक श्रम से दूर होते चले जा रहें हैं। उसके नजदीक नहीं जाना चाहते हैं। ये अनुभव करते हैं कि श्रम करना बहुत गिरी हुयी बात है और इसे अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं समझते हैं लेकिन आज बहुत से माननीय सदस्यों का यह अनुभव है कि और यह आवश्यकता भी देखते हैं कि शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये लेकिन यह ऐसी समस्या है कि जिस पर कोई प्रदेश एक बारगी निर्णय नहीं कर सकता।

एजूकेशन को एक सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड की अभी कुछ दिन हुये एक मीटिंग हुयी थी जिसके सारे प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री थे। उसमें बडी गम्भीरता से विचार किया गया कि कौनसी शिक्षा पद्धति अपनायी जाय जिसमें श्रम को भी जोड़ा जाय जिससे उनके मां बाप पर उनकी शिक्षा के कारण बोझा न पड़े। यदि इसकी शुरुआत हम प्रारम्भिक शिक्षा से नहीं करते हैं तो बालक में आरम्भ से इस प्रकार की टेन्डेन्सी पैदा नहीं होती है, जिसकी आवश्यकता है। आज इन्टरमीडिएट कालेजों में और डिग्री कालेजों में सभी बालक एक फाइल सी लेकर चले जाते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूलों में रहने के बाद उसके समय का दुर्पयोग होता है, वे कोई काम नहीं करते हैं। विदेशों में बालकों को श्रम करना सिखाया जाता है, वे पार्ट टाइम जो करते हैं, श्रम के महत्व को समझते हैं और कोई भी काम करने में हिचक नहीं करते हैं।

हमारे यहां पर शिक्षा प्राप्त करना सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही एक मात्र उद्देश्य है और यदि यही दृष्टिकोंण बना रहा तो कैसे काम चल सकता है। महात्मा गांधी जी का स्वप्न कि बालक श्रम से ही काम करे चर्खा कातें, आर्ट और क्राफ्ट सीखें और जब ये चीजें आगे चलेंगे तो उसके आधार पर वे बालक काम करेंगे और वे श्रम से दूर नहीं भागेंगे बल्कि अपने साथ लेकर चलेंगे। इस दृष्टिकोंण को अपने ध्यान में रखकर शासन ने प्रारम्भिक शिक्षा को अपने हाथ में लिया है और इसके लिये एक निदेशालय भी बनाया है और इसी रुपरेखा को ध्यान में रखकर हर जिले में एक-एक बेसिक अधिकारी को भी नियुक्त किया है। महिलाओं की शिक्षा के लिये भी 25 जिलों में अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों (महिलाओं) की हमें स्वीकृति मिल गयी है और इस आधार पर बालिकाओं की शिक्षा भी आगे बढ़ रही है।

हम इस बात का भी प्रयास कर रहें हैं कि गरीब के बालक जिसके संरक्षक शिक्षित नहीं हैं अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते हुये अपने बालक को पढ़ाने के लिये विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो उनके लिये पुस्तकों का और पौष्टिक आहार की योजना भी है। अभी पूरे प्रदेश में यह लागू नहीं कर पाये, लेकिन फिर भी हम प्रयत्नशील हैं हम जितनी अधिक से अधिक सुविधा दे सकें, देने का

प्रयास करें जिससे कि इस देश का हर बालक स्वस्थ वातावरण में स्वावलम्बी बनकर शिक्षा प्राप्त कर सके और जब इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। अभी हम प्रि-प्राइमरी की ओर बहुत थोड़ा देख पाये हैं। केवल 5/6 लाख रुपये खर्च कर पाये हैं उस ओर। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बालकों को हम सन् 1973–74 में सही रूप में निश्चित रुप से स्वस्थ वातावरण में शत-प्रतिशत शिक्षित कर सकेंगे। प्राइमरी एजूकेशन में टीचर्स की समस्या है। बेकारी दूर करने के लिये और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अनेकों दीक्षा विद्यालय खोले हैं, करेसपांडेंटस कोर्स खोले हैं। हमारे माननीय सदस्यों को उसमें हमको सहयोग देना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके जन-जन का सहयोग होना चाहिये।

इसके माध्यमिक शिक्षा आती है। प्राइमरी एजूकेशन के बाद ही माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। इस समय प्रदेश में 4 हजार ऐसे विद्यालय हैं। लेकिन आज भी ये विद्यालय पूरे प्रदेश की शिक्षा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रायवेट मैनेजमेंट का बहुत योगदान रहा है। आज ये 4 हजार विद्यालय उन सबकी देन हैं। इस बीच इस क्षेत्र में बहुत सी कमियां आ गयीं और जिस अध्यापक का गुरु का स्थान था, उसके अधिकारों पर अनेकों तरह के आघात होने लगे। हमने उनके वेतन के वितरण का दायित्व अपने ऊपर लिया और इनको टेक-ओवर करने का विचार शासन कर रहा है। इन विद्यालयों की बिल्डिग के लिये सहायता, विज्ञान की लेबोरेटरी के लिये सहायता, अन्य व्यवस्थायें करते हुये हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारे विद्यालयों में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो कि जिससे हमारे नवयुवक अधिक से अधिक शिक्षित हों। लेकिन परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्यायें हैं। उनका समाधान आलोचना से होने वाला नहीं है। उनका समाधान हमको और आपको बैठकर सोचना है। आज जब हायर सेकेण्डरी स्कूल के टेक ओवर का विचार हम कर रहें हैं और शासन निश्चित रूप से इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुका है, तो यह जन-जन का उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसकी क्या रुपरेखा हो। क्या मैनेजिंग कमेटीज को खत्म कर दिया जाय? क्या अकेले शासन सारी माध्यमिक शिक्षा का समाधान कर लेगा? क्या जनता का सहयोग हमको नहीं लेना चाहिये।

यह एक ऐसी चीज है और अगर टेकओवर भी हो तो किस तरह से हो, यह बात आज हर प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी को सोचना है कि उसकी क्या रूपरेखा हो। केवल एकांकी सोचने से इस समस्या का समाधान सुन्दर नहीं होगा, वैसे होगा और उसमें भी माननीय सदस्यों को आलोचना का विषय मिलेगा और शायद वह स्वीकार न करें। इस तरह से अनेक समस्या सामने हैं। इसमें हरएक का सहयोग अपेक्षित है। मान्यवर इसके साथ ही साथ यह भी देखने की बात है कि हमारे प्रशिक्षण विद्यालय किस प्रकार हमारे नवयुवकों को प्रशिक्षित करें और इन संस्थाओं को दें। एक समय था कि हमें प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते थे लेकिन आज प्रायः इस समस्या का समाधान हो गया है और हमारे विद्यालय प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में बालकों को शिक्षित करने में लगे हुये हैं। आज विज्ञान की शिक्षा का बड़ा महत्व है, इसके लिये विज्ञान संस्थान है। हम चाहते हैं कि प्रारम्भिक एजूकेशन के समय से ही हमारे बालकों को विज्ञान में रुचि पैदा हो और इसके लिये हम चाहते हैं कि कम से कम तीसरे दर्जे से ही इस प्रकार की सुविधा हो। इसके लिये हमारा विज्ञान संस्थान लगा हुआ है।

साथ ही साथ मनोविज्ञान के लिये हमारी मनोवैज्ञानिक विज्ञानशाला है तथा सेकेन्ड्री इन्स्टीट्यूशन्स हैं जहां पर शिक्षा के संबंध में अनेक शोध कार्य हो रहे हैं और मान्यवर इसी शासन की देख-रेख में हमारा यह प्रयास चालू है और चल रहा है।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी मांग इस देश की आदि भाषा संस्कृति के संबंध में रही है। यह एक ऐसी भाषा है जिस पर इस देश को गौरव है और संसार में इसी संस्कृति भाषा

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

पर इसका अपना एक स्थान रहा है। बीच में अवश्य इसमें शिथिलता आयी। शासन ने फिर इस ओर वेला और एक डिप्टी डाइरेक्टर, संस्कृत, का पद सृजन कर एक अधिकारी की नियुक्ति की। साथ ही साथ जो सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं के हैं, उनकी संख्या में वृद्धि की और जो संस्कृत पाठशालायें हैं उनको एक नया रूप देकर, उनके अध्यापकों को विशेष सुविधायें देकर तथा अन्तरिम सहायता देते हुये इन पाठशालाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं साथ ही साथ जो संस्कृत के अच्छे विद्यार्थी हैं, संस्कृत के अच्छे लेखक हैं, उनको पुरूष्कृत करते और उनका उत्साहवर्धन करते हैं।

जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, यह एक बहुत बड़े तबके की भाषा है। माननीय सदस्य मौलाना जब उर्दू के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो बड़े क्रोध में बोल रहे थे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हम उर्दू को इस देश की भाषा मानते हैं। उर्दू और हिन्दी दोनों ही इस देश की भाषा रही हैं। दूसरे देशों में ऐसा कहीं नहीं है। हम इसके बारे में प्रयत्नशील नहीं हैं, जब ऐसा आरोप लगाया जाता है तो हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता। मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि उर्दू के उत्थान के लिये हमने एक डिप्टी डायरेक्टर, उर्दू का पद सृजन किया है और उस पर एक अधिकारी की नियुक्ति की है। सारे नगरपालिका के स्कूलों में उर्दू की शिक्षा के लिये हमने पूरी सुविधा कर दी है, वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी है। हमने कक्षा एक से लेकर प्राइमरी और जूनियर हाई-स्कूलों तक उर्दू की पुस्तकों की व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि उर्दू ऐकेडेमी का एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले श्री काजी जलील अब्बासी जो अभी हाल में मुख्य मंत्री जी तथा अधिकारियों की बैठक में उर्दू के बारे में विचार-विमर्श करने आये थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रदेश में उर्दू के लिये जितना हो रहा है, देश के दूसरे प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है इसके मुकाबले। मान्यवर, इन शब्दों के बाद भी अगर मौलाना संतुष्ट नहीं होते तो.....

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

मैं तो यही कहने के लिये बैठा हुआ हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आप —अपने भाषण में कहें।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह प्रश्न सामने है कि हम हायर सेकन्डरी एजूकेशन के साथ-साथ उच्च शिक्षा की समस्या को देखें। आप अनुभव करिये कि 1947 के पहले इस प्रदेश में कितने डिग्री कालेजेज थे और कितनी यूनिवर्सिटीज थी। अब 300 से ऊपर हमारे महाविद्यालय हैं और 7 विश्वविद्यालय हैं। इसके साथ पिछड़े क्षेत्र में चाहे वह दुध्दी का ही क्षेत्र हो वहां भी हम डिग्री कालेज खोलने जा रहे हैं। पहाड़ों पर दो विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं जिनमें एक का हैडक्वार्टर नैनीताल और दूसरे का श्रीनगर होगा। फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं जहां कृषि और अन्य विषयों का पठन-पाठन होगा। इस तरह से उच्च शिक्षा की ओर भी हमारा कदम है।

हायर सेकन्डरी एजूकेशन में अध्यापकों को पूरी सुविधा दे दी है। उनके वेतन वितरण की समस्या हल कर दी। डिग्री कालेज में अभी यह समस्या है। शासन उसके बारे में जागरुक है। बिल भी इस समय विचाराधीन है और उन अध्यापकों को भी पूरी सुविधा देने के लिये कटिबद्ध हैं। बालकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर एक प्रश्न सामने आ जाता है। यह सोच रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि एक टर्मीनल पाइन्ट एजूकेशन का हो जहां से निकलने के बाद बालक को हायर एजूकेशन में जाने की आवश्यकता न पड़े। सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी आफ एजूकेशन में विचार हुआ कि एक टर्मीनल पाइन्ट बना दें जहां से निकलने के बाद बालक देश और प्रदेश की हर सर्विसेज में जा सके। हायर एजूकेशन के लिये केवल प्रतिभावान विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रमुख कार्य शोध है वहीं जायं।

अभी तो यह है कि चाहे थर्ड डिवीजन पास लड़का हो वह भी बी0 ए0 में चला जाता है। बी0 ए0, एम0 ए0 में बहुत से लोग तो दस-बारह साल तक यूनिवर्सिटी में बने रहते हैं और वहां केवल समय बिताते हैं। कुछ बड़े लोगों ने तो इसको एक तरह का फशन बना रखा है कि विश्वविद्यालय में साल ब साल रहते हैं। यह निश्चय करने के लिये प्रयत्नशील हैं कि बारहवीं कक्षा के पश्चात् टर्मीनल पाइन्ट आ जाय और बालक देश व प्रदेश के किसी भी कम्पटीशन में भाग ले सकें। केवल प्रतिभावान बालक ही उच्च शिक्षा के लिये जायं। इस तरह से जो ऐसे विद्यार्थी वहां पहुंच जाते हैं जो विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करते हैं और अच्छे विद्यार्थियों के लिये अभिशाप बनते हैं उनसे भी सुरक्षा हो जायेगी। शिक्षा ऐसा प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से विचार करना है। यह एक ऐसी समस्या है कि इतना करने के बावजूद भी हम संतोष अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज बेकारी की समस्या इसीलिए विकराल रूप में है कि शिक्षा का श्रम के महत्व से सम्बन्ध नहीं है। ऐसा वातावरण नहीं है कि हर विद्यालय के साथ कोई वर्कशाप या इंडस्ट्री हो।

आज तो भौतिक विकास का युग है जहां शिक्षा के साथ इन सब चीजों का कोई तालुक नहीं रहा। भौतिक उपलब्धियों के लिये शिक्षा का महत्व नहीं रहा। यहां शिक्षा तो ज्ञान के लिये थी और आज के युग में, आपको नहीं कहता, शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नौकरी रह गयी है। यदि यही स्थिति बनी रही तो माननीय सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए कि 10 लाख बच्चे हाईस्कूल व इन्टरमीडियट परीक्षाओं में हर साल बैठते हैं। अगर दसों लाख बच्चे नौकरी ही चाहें तो कौन सी व्यवस्था हो सकती है जो सबको नौकरी मिल जाय।

आज आप यह भी अनुभव करें कि इस प्रदेश में माध्यमिक बोर्ड कितना बड़ा काम कर रहा है। इतनी बड़ी परीक्षा का वह संचालन कर रहा है। उसका संसार में अपना एक स्थान है। तो, मान्यवर, हम उसके भी विकेन्द्रीकरण की सोच रहे हैं क्योंकि एक स्थान इलाहाबाद में बैठकर पूरे प्रदेश की इतनी बड़ी परीक्षा का संचालन नहीं कर सकते हैं। मेरठ, वाराणसी व इलाहाबाद में इस बोर्ड की शाखाएं होंगी। मेरठ में तो कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

इसके अलावा, हम इन्टरमीडियट ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात भी सोच रहे हैं। यह रूपरेखा उस समय बनी थी जिस समय हमारे प्रदेश में 400–500 विद्यालय थे और आज 4,000 विद्यालय हैं। प्रशासन यह चाहता है कि ऐक्ट में एमेन्डमेंट हो।

पहली से आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। जो बाकी विषय हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है। हायर सेकेंडरी एजूकेशन में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके नेशनेलाइजेशन के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा ही एक्सप्लाटेशन होता है। बड़े-बड़ धन्नासेठ और पब्लिशर्स लाखों रुपये कमाते हैं और उससे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। तो एक निगम की स्थापना होगी। देश और प्रदेश के अनकूल पुस्तकें लिखवायेंगे और शासन की देखरेख में पब्लिकेशन होगा ताकि कोई ऐसे तत्व न आ जाएं जो कि मेक्सिमम लाभ ले जाएं, केवल बुद्धिजीवी और लेखक ही उसका लाभ लें।

आज शासन यह लोक कल्याणकारी लक्ष्य लेकर चल रहा है। उसके सामने शिक्षा का अपना महत्व है। आप देखें कि शिक्षा में उत्तरोत्तर कितनी प्रगति हो रही है चाहे साधन कितने ही सीमित क्यों न हों। जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिये बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय सदस्यगण यदि आलोचना करना ही अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न रोकने का अधिकार ही है। अगर वे बहुमूल्य सुझाव देंगे तो मेरे साथ बड़ा न्याय करेंगे। वह हमारे लिए बड़ा ही वरदान होगा। यदि माननीय सदस्य जैसे कि वे हमेशा आक्रोश में जो चाहते हैं कह जाते हैं वही आलोचना करेंगे तो वह बहुत उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में शिक्षा का आय-व्ययक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आप से बहुमूल्य सुझाव देने के लिये अनुरोध करता

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

हूं। मुझे आशा है कि आप 1973–74 की मांगों को गंभीरता से देखेंगे। माननीय अनन्तराम जी नहीं हैं। होते तो उनसे अनुरोध करता। माननीय सण्ड जी भी बैठे हैं। उनका भी कटौती का प्रस्ताव है। वह देखें कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या शासन के लिये संभव है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी जो सोशलिस्ट पार्टी द्वारा कटौती के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, उनको मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह देखते हुए कि वर्तमान शासन सीमित साधनों में कार्य कर रहा है, उसमें कितनी कमियां हैं और कितना कर सकता है, इसका सही माने में मूल्यांकन करते हुए जो सुझाव देंगे, उन्हें हम स्वीकार करने को तैयार हैं। उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आलोचना की दृष्टि से कोई माननीय सदस्य जो उनकी कल्पना में हैं, ऐसे सुझाव दें, जो पहुंच के परे हैं, वह संभव नहीं हो सकते हैं। शिक्षा का ऐसा विषय है जो तानाशाही से नहीं चल सकता है, सुझावों से ही चल सकता है। यह कन्ट्रोवर्सल सब्जेक्ट नहीं है। इस पर जो सुझाव अच्छे होंगे उन्हें हमें स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

आपने कहा कि 3 विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, तो क्या 1973–74 में भी कोई विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी कुछ दिन पहले शिक्षा सचिव को मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि नैनीताल और श्रीनगर विश्वविद्यालय खोलने के बारे में तत्काल ओ0 एस0 डी0 की नियक्ति कर दी जाय। यह विश्वविद्यालय खोलने का मामला घरौंदा बनाना नहीं है। ओ0 एस0 डी0 की नियुक्ति हो जावेगी तो वह रूपरेखा तैयार करेगा और यु0 जी0 सी0 से सम्पर्क स्थापित करेगा। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उसकी कार्यवाही का प्रयास करना है। मैं सूचना देना चाहता हूं कि शासन की ओर से नैनीताल और श्रीनगर में विश्वविद्यालय खुलेंगे और उसके लिये ओ0 एस0 डी0 की नियुक्ति होने जा रही है। इससे माननीय सदस्य को संतोष हो जावेगा। यह प्रारम्भिक चरण है। यह आगे चलकर विश्वविद्यालय का रूप लेगी।

मैं इन शब्दों के साथ इसको आपके सामने प्रस्तत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी उदारता का परिचय देंगे और सुझाव देंगे जिससे मतदान न हो और कटौती का प्रस्ताव वापस हो जाय। इसमें कोई मतदान की आवश्यकता नहीं है। जो सुझाव आपके ऐसे होंगे जिन्हें मैं स्वीकार कर सकता हूं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आय-व्ययक को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से जो मंत्री जी ने शिक्षा का अनुदान पेश किया है उसमें अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रूपनाथ सिंह यादव––

हम लोगों के सुझाव ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी नहीं, यह कटौती का प्रस्ताव है।

श्री रामकुमार दीक्षित––

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने उसमें जिस ओर संकेत किया और शिक्षा की प्रगति के संबंध में जो पुस्तिका वितरित की है, अगर उसे पढ़ा होगा तो उससे वह भ्रम निवारण हो जायगा कि जो इस सरकार ने शिक्षा के विषय में किया है, करना चाहती है या करेगी। मैंने श्रीमन्, उसको पढ़ा है और उनके भाषण को सुनने के बाद, उस पुस्तिका के अध्ययन करने के बाद और इन 25 वर्षों का चित्र सामने रखने के पश्चात् जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वह यह है कि शिक्षा के चित्र में मुझे स्वयं, इस प्रदेश और इस प्रदेश के शिक्षा विशारदों को बड़ी निराशा हुई और वह सारा उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जिनके हाथ में 25 वर्षों तक इस प्रदेश की शासन सत्ता आयी है। चाहे जो सरकार रही हो, जो भी लोग सरकार में रहे हों, निश्चित रूप से प्रदेश ने 25 वर्षों में जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान और पतन देखा है उस उत्तरदायित्व से भागना उनके लिए शोभा नहीं देता। उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री जी ने उन उपलब्धियों की केवल चर्चा की जिन उपलब्धियों को हमने उनकी निदेशिका में पढ़ लिया था, लेकिन उन तथ्यों की ओर उनका ध्यान नहीं गया जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं शिक्षा के जगत में। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको इसका ज्ञान नहीं है। एक शिक्षा जगत के वे व्यक्ति हैं, इसलिए उनको उसका ज्ञान होना ही चाहिए। इस कुर्सी पर मंत्री की, बैठने के बाद वह भूल जायं, ऐसी अगर परम्परा रही है पहले से और उन पर भी वह प्रभाव पड़ा है तो दूसरी बात है कि शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर वह बातें जो आज के पहले वह कहा करते थे या शिक्षा-शास्त्री कहते हैं वह सारी की सारी भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मंत्री जी वास्तविकता से दूर चले गये और उन्होंने एक बिलकुल धूमिल नकशा हमारे सामने रख दिया कि हम बड़ी प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं और आगे कुछ कहने के पहले इन 25 वर्षों की उपलब्धियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने 25 वर्षों में शिक्षा के व्यय की राशि काफी बढ़ा दी है। 1945–46 में खर्चा था 2.57 यानी 10 प्रतिशत कुल बजट का व्यय शिक्षा पर होता था। उसके बाद कई पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन हुआ। उनके माध्यम से यह आशा देश और प्रदेश को हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति और विकास होगा। हमने देखा कि 1950–51 में 7.37 हमारा व्यय हुआ यानी कुल बजट का 14.1 प्रतिशत हुआ। फिर तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बीत जाने के बाद उसमें व्यय 1,38,32 लाख जिसका कि अनुदान पेश किया वह हो गया। इस प्रकार से कुल बजट का 20.9 परसेंट आप शिक्षा के क्षेत्र में आज व्यय करने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि स्वाधीन भारत के पूर्व जो 10 प्रतिशत 1945–46 में शिक्षा पर बजट का व्यय होता था, 1973–74 में आप उसको 20.9 प्रतिशत बजट का करने जा रहे हैं। यह आपकी उपलब्धि है 25 वर्षों की।

शिक्षा की मद में आप केवल दूने व्यय की धनराशि रख रहे हैं। धनराशि चाहे जो हो, लेकिन बजट के प्रतिशत व्यय के हिसाब से इसको आप देखें। धनराशि तो गौण विषय है। 1945 में क्या मूल्य थे, क्या अध्यापकों वगैरह के वेतन थे, क्या व्यय किया करते थे और आज क्या है, उन सबको देखते हुए हम तो प्रतिशत से अनुमान लगाते हैं कि जो प्रगति की है इन

[श्री राम कुमार दीक्षित]

25 वर्षों में शिक्षा पर धनराशि व्यय करने के मामले में वह केवल 20.9 प्रतिशत आपने खर्चा किया। यानी पहले से लगभग दूना आप कर पाये।

यह तो आपने रुपये पैसे की बात कही और उससे यह अन्दाजा लगाया गया कि आज कितनी प्रगति कर रहे हैं खर्चे की दिशा में और प्रदेश और देश में शिक्षा की क्या प्रगति हुई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कोठारी आयोग की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसकी यह रिपोर्ट थी कि 18 वर्ष की आयु के बच्चे जन-संख्या के हिसाब से 50 प्रतिशत मान लिये जायं। यानी, इस प्रदेश की जन-संख्या 9 करोड़ है तो साढ़े 4 करोड़ छात्र 18 वर्ष की आयु के हैं जिनकी शिक्षा की जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की मानी जाय। कहा गया कि हम 73–74 में इस चेष्टा में हैं कि सारे, बालक, बालिकाओं को शिक्षित कर दें। यह कैसे होगा यह बात समझ में नहीं आती। इस समय कुल छात्र संख्या 145 लाख है नर्सरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा के विद्यालयों तक। तो साढ़े 4 करोड़ में से 3 करोड़ छात्र अब भी ऐसे हैं इस प्रदेश में जिनको आपकी शिक्षा व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या यही आपकी प्रगति का नमूना है? यह सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है।

एक नमूना प्रगति का और देख लें। सारे भारतवर्ष में साक्षरता का प्रतिशत 29.34 है जब कि उत्तर प्रदेश का केवल 21.64 है। अब यह संख्या सारे देश के अनुपात में किस नम्बर पर है जब इसको हम देखते हैं तो लज्जा से हमारा सिर तो झुक जाता है, माननीय मंत्री जी का वह स्वयं जानें। सारे देश में इस प्रदेश का नम्बर 15वां है। तब भी आप बड़ी डींग मारते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर ली।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की कि बालिकाओं की शिक्षा के लिये बड़े प्रयत्नशील हैं। समूचे भारतवर्ष का बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत 18.44 है जब कि उत्तर प्रदेश का 10.18 है। उत्तर प्रदेश की स्थिति नारी शिक्षा के क्षेत्र में सब से नीचे है और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी प्रगति की।

आपने अभी कहा कि हम 62,410 प्राइमरी स्कूल स्थापित कर चके हैं। संविधान के आर्टिकिल 45 में यह दिया हुआ है कि 10 वर्ष की अवधि में, यानी 1960 तक 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिये। यदि सन् 1950 से सन् 60 तक आप यह व्यवस्था नहीं कर सके तो यह किसकी असफलता है? क्या यह विरोध पक्ष में बैठे हुये लोगों की असफलता का प्रतीक है। आज 23 वर्ष संविधान को लागू हुये हो गये लेकिन आज भी आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यह घोषणा कर सकें कि संविधान में जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में उसका पालन हो रहा है माननीय मन्त्री जी ने एक बात यह कहीं कि अब हर एक डेढ़ मील के क्षेत्र में देहात में स्कूल हो गया है। मैं माननीय मन्त्री जी के सामने यह आंकड़े रखना चाहता हूं। इस समय 1972–73 तक प्रदेश भर में 62,410 प्राइमरी स्कूल हैं जब कि गांव पंचायतों की संख्या ही 72,292 है। मैं गांव की संख्या नहीं बता रहा हूं, यह पंचायतों की संख्या बता रहा हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं यह कहा था कि किसी भी छात्र को एक, डेढ़ मील से अधिक नहीं जाना पड़ेगा।

श्री रामकुमार दीक्षित—

यह कैसे सम्भव होगा। मैं देहात का रहने वाला हूं मैं जानता हूं देहात की स्थिति को। गांव की दूरी का व्यवहारिक ज्ञान मन्त्री जी को नहीं होगा। मैं व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बता रहा हूं। आप की यही घोषणा बिलकुल गलत है, आप इसको छानबीन कर लीजियेगा। पहली बार जब गांव पंचायतों का गठन हुआ तो 250 की आबादी पर एक गांव पंचायत का गठन

हुआ था। कोई गांव पंचायत ऐसी नहीं है जो एक मील से दूरी से ज्यादा न हो तो जब एक गांव पंचायत में एक स्कूल नहीं है तो आपकी यह घोषणा कैसे ठीक हो सकती है। मान्यवर, मैं मजरे और पुरवे को तो छोड़े देता हूं, गांव की संख्या हमारे प्रदेश में एक लाख 12 हजार 67 है। यह उपलब्धि आपकी 25 वर्षों की है कि आप केवल 62,410 स्कूल ही अब तक खोल पाये। फिर आप कहते हैं कि बड़ी प्रगति कर रहे हैं। क्या यही आपकी प्रगति का नमूना है और इसी आधार पर आप घोषणा करते हैं कि अब किसी भी छात्र को एक मील से अधिक नहीं जाना पड़ेगा। आपकी घोषणा तथ्यों के आधार पर ही गलत मालूम होती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी तथ्यों के आधार पर सही स्थिति पर विचार किया करें। प्रगति जैसी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है वास्तविकता कुछ और है और सामने कुछ और रखा जाता है।

मान्यवर, शिक्षा की स्थिति का अभी गुणात्मक अध्ययन ही किया हमने। कितने स्कूल खोले गये, कितने लड़के पढ़ रहे हैं आदि पर हमने विचार किया। यह इस प्रदेश का अभाग्य है कि शिक्षा की अधोगति यहां है। अगर इनके जैसे लोग ही इस पर विचार करते रहेंगे तो शिक्षा की क्या दशा होगी मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके केन्द्र के शिक्षा मन्त्री श्री यादव जी ने एक बयान हाल ही में दिया है। यह बात कही है जोकि अखबार में छपी है। उन्होंने कहा है—"सरकार की असफलता पर कोई आंसू न बहाए जायें।" यह आपके डी० पी० यादव साहब का कहना है, जो आपके दल के हैं और आपके दल की सरकार है। यह केन्द्रीय सरकार के उप शिक्षा मन्त्री हैं, उनका यह कहना है।

श्रीमन्, हम आंसू नहीं बहायेंगे, आप बहा रहे होंगे। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें स्वयं निराशा है। मान्यवर, मन्त्री जी जब यह बात कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, तो मुझे बड़ी निराशा होती है। इसका मुझे बड़ा खेद है और क्लेश है कि उन्होंने गांधी जी का नाम ले लिया। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, यदि वह अनुचित न मानें कि आप गांधी जी का नाम ऐसी बातों में घसीटना बन्द कर दें। समाजवाद की बात कहें, साम्यवाद की बात कहें, कोई बात कहें, लेकिन आप गांधी जी का नाम लेना बन्द कर दीजिये। आपने कहा कि हम गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर इस प्रदेश में शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं।

गांधी जी क्या चाहते थे, क्या आपने कभी इस पर शुद्ध हृदय से सोचा है? नहीं सोचा है, तो एक-दो बातें गांधी जी की मैं आपको बतलाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था—शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मानव का निर्माण करना है, शिक्षा का उद्देश्य मानवता का विकास करना है, शिक्षा का उद्देश्य हृदय को शिक्षा देना है और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इस लायक बनाना है कि वह अपने जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सके। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री लेकर आपके दरवाजे-दरवाजे भटकने वाले व्यक्ति का निर्माण करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि डिग्री प्राप्त किये हुए विद्यार्थी दफ्तर और पूंजीपतियों के दरवाजों पर घूमते फिरें। ज्ञान अर्जन शिक्षा का उद्देश्य था। वह चाहते थे कि इस प्रकार की शिक्षा का प्रसार हो, जिससे छात्र स्वावलम्बी हो कर शिक्षा ग्रहण करें और प्रत्येक शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए अपनी जीविका का प्रबन्ध कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

यह चीज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो उसके अनुयायी हैं, जो उनके दल के हैं मैं उनको गांधी जी का अनुयायी मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि उनमें से अधिकांश दलबदलू हैं वे गांधी जी के बताये सिद्धांतों पर, आदर्शों पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो उनके सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाली सरकार थी उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रयोग किया, उसे आप

[श्री राम कुमार दीक्षित]

देख लें, तो आपको ज्ञात हो जायगा कि वह क्या करते थे। गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि आप ऐसी शिक्षा पद्धति अपना लें, जिससे हमारी दिशा ही बदल जाए और हम दूसरी दिशा में चलने लगें। शिक्षा का क्या उद्देश्य है और वह क्यों आवश्यक है। इस बात को स्वयं मन्त्री जी ने स्वीकार किया है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसे स्वीकार तो किया है, किन्तु क्या उसके लायक, उसके अनुकूल शिक्षा आज हो रही है ?

मेरा ऐसा विश्वास है, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास है। मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिये, यदि वह वास्तव में सच्ची शिक्षा सही मा में दी जा रही है। यह जब हम देखते हैं कि क्या मनुष्य का मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, क्या आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम किसी क्षेत्र में इस ओर प्रगति होते नहीं पाते हैं। हम क्या नहीं देखते कि आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है।

कहीं मानसिक चेतना विद्यार्थियों की बढ़ रही है, कहीं विद्यार्थियों के चरित्र का विकास हो रहा है, कहीं यह दिखायी नहीं देता। यह किसका दोष है? शिक्षा पद्धति का दोष है? या उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले दोषी हैं या वह शिक्षक वर्ग दोषी है जिसके माध्यम से वह शिक्षा दिलायी जा रही है ? कौन दोषी ? अगर आप इस बात का पूरी तरह से निराकरण नहीं कर सकते तो आज का विद्यार्थी कल का चरित्रवान नागरिक बने क्षमा करेंगे इस प्रकार की शिक्षा से आशा नहीं है। कालांतर उनसे देश कालाभ नहीं होगा न सामाजिक स्थिति सुधर सकेगी। इस लिये इस दिशा में आप सोचें कि किस तरह से शिक्षा ऐसी बनायी जा सकती है जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो।

शिक्षा राष्ट्रीय एकता की देन है। जब हम इस दिशा में देखते हैं तो क्या जो आज आंध्र में हो रहा है वह राष्ट्रीय एकता का परिचायक है? उसमें कौन शामिल हो रहा है। युवक हो रहा है, नौजवान हो रहा है। हो सकता है उसमें ज्यादा पढ़े लिखे विद्यार्थी हों। क्या यह शिक्षा की पद्धति का दोष नहीं है कि देश की राष्ट्रीय एकता टूट रही है।

शिक्षा से राजनीतिक चेतना आनी चाहिये। कितनी राजनीतिक चेतना आयी है। रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, रेलें तोड़ते हैं, सरकारी सम्पत्ति का नाश करते हैं। यूनिवर्सिटी घुस कर तोड़ते फोड़ते हैं और पढ़ने वाली सामग्री नष्ट करते हैं जिससे शिक्षा प्राप्त होने वाली है राजनीतिक चेतना के विरुद्ध हो रहा है। शिक्षा के द्वारा आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता ही इस दिशा में सोचें कि कितना आर्थिक विकास हुआ है, एम०ए० पास करने के बाद सौ रुपये की नौकरी के लिये आपके द्वार पर भटकते। वे आत्मस्वावलम्बी नहीं बन सके। वह नहीं कह सकते कि उन्होंने बी० ए० पास कर लिया अब किसी के द्वार पर नहीं भटकेंगे उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे जहां से जीवन का मार्ग निर्दिष्ट कर सकेंगे। यह आपकी शिक्षा पद्धति का दोष है। यदि आप चाहते हो तो निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना पड़ेगा।

समाजवाद की बात कर देने से सामाजिक परिवर्तन नहीं आयेगा। समाजवाद शब्द से जादू नहीं हो जायगा। जो आधारभूत सिद्धांत है उनको लेकर चलेंगे तो कुछ सामाजिक परिवर्तन इस देश में हो पायगा। शिक्षा की पद्धति निश्चित रूप से वह दृष्टिकोण इस प्रदेश को दे सकती है जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

मैं एक लाइन कोठारी कमीशन की पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—"एजूकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेन्ट आफ सोशल, इकोनमिक ऐंड पालिटिकल चेंज।" शिक्षा आज के जमाने में एक मात्र साधन है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप को इस प्रकार के कमीशनों की फाइंडिंग्ज पर जरूर विचार करना चाहिये। लेकिन खेद है कि इस देश और प्रदेश की सरकार ऐसे आदमियों को बिठा देता है जिससे उनकी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों

चली जाय, उनका दायित्व उनके ऊपर न हो, यदि इस प्रकार के आयोग और कमीशन बिठाने के बाद उनके सुझावों को मानते नहीं, उनके सुझावों के अनुसार आचरण नहीं करते उसके

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

अनुसार नियम और कानून नहीं बनाते तो निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोग बैठाना निरर्थक साबित होगा।

कोठारी आयोग की रिपोर्ट सन् 64 में आई और 64 से 73 तक इस सरकार ने रिपोर्ट को कार्य प में परिणित करने के लिये कुछ नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उस रिपोर्ट को देखे और शिक्षा को आत्म निर्भर बनाने के लिये कदम उठाने हेतु यह देखे कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से चेंज लाया जा सकता है, उस दिशा में वह प्रयास करे। मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उस ढंग को अपना सकेंगे जिससे शिक्षा के क्षत्र में वास्तविक लाभ हो सकेगा।

इस समय एक बड़ा फैशन हो गया है यह कहना की कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय मन्त्री नुरूल हसन के भाषणों को आप पढ़ें हर स्थान पर उनका यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कौन आमूल परिवर्तन लायेगा? कहने का काम सरकार का है और आमूल परिवर्तन लाने का काम सरकार ने किसके जिम्मे छोड़ रखा है? कोई नहीं कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अमुक-अमुक आमूल परिवर्तन अमुक-अमुक समय में हम लायेंगे। न केन्द्र के शिक्षा मन्त्री न प्रान्त के शिक्षा मन्त्री यह बात कहते हैं और फैशन वाली परिवर्तन की बात को कहकर इस देश तथा प्रदेश की जनता का ध्यान वे दूसरी दिशा की ओर खींचना चाहते हैं। जैसे इस सरकार को "झूठे नारों पर विश्वास है उसी तरह से झूठे नारे शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार लगाती है, मेरी प्रार्थना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये झूठे नारे लगाना वह बन्द करे।

शिक्षा के क्षेत्र में उप राष्ट्रपति तथा शिक्षा मन्त्री ने जो कुछ कहा है उनके दो शब्दों को मैं कोट करूंगा। गोपाल स्वरूप पाठक ने कानपुर में भाषण देते हुए कहा कि शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु योग्य एवं अनुशासित नागरिक निर्माण करने चाहिये। शिक्षा संस्थायें उस दिशा में अब तक पूर्णतया असफल रही हैं यह उप राष्ट्रपति कहते हैं। शिक्षा मन्त्री ने पंजाब में जब शिक्षा शास्त्रियों की बैठक हुई तो उसमें यह परामर्श दिया कि विश्वविद्यालय समाज सेवा की व्यापक योजनायें बनायें और उनका त्रिसूत्री कार्यक्रम ही एकमात्र समाधान है जो विद्यालयों को समाज सेवा के क्षेत्र में ले जायगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अब ओपिन यूनिवर्सिटी का चलन इस देश में होना चाहिये जो विदेशों में चल रहा है। यह उन्होंने नहीं कहा कि उसके लिये वह क्या कर रहे हैं? इतना कह दिया कि दिल्ली में ओपिन यूनिवर्सिटी का प्रयोग अभी हाल में किया है। इतना बड़ा काम और खाली दिल्ली में उसका प्रयोग शुरू हुआ है जिसके द्वारा वह समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे तौर से परिवर्तन हो जायगा।

इतना ही नहीं, उन्होंने इस सिलसिले में एक बात और कही। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के ीक्षान्त समारोह में उन्होंने कहा था "चौथी पंच वर्षीय योजना में तो इस देश में सबके लिये समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि पांचवीं योजना में सबके लिये समान शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी।" यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था जिसके बारे में कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री को बड़ा गौरव था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री कहते हैं कि चौथी ोजना में हमें सफलता नहीं मिली, पांचवीं योजना में शिक्षा की व्यवस्था हो जायगी। एक बात और कहना चाहता हूं, इसी सिलसिले में, कि हमारी प्रधान मन्त्री का भी मैंने वक्तव्य पढ़ा और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री का

[श्री रामकुमार दीक्षित]

वक्तव्य भी पढ़ा। दोनों व्यक्तियों के दृष्टिकोण में भे दिखाई दिया। प्रधान मन्त्री कहती हैं "इस देश को उच्च विश्वविद्यालय की शिक्षा बहुत आवश्यक है" लेकिन हमारे केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री कहते हैं "विश्वविद्यालय की शिक्षा इस देश के लिये उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि प्राथमिक, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता है"।

प्रधान मन्त्री और शिक्षा मन्त्री दोनों के विचारों में भेद है। आप कहते हैं कि हम शिक्षा-जगत में एक आन्दोलन ला पायेंगे। आपके केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री नहीं ला पाये, प्रधान मन्त्री नहीं ला पाये तो आप क्या ला पायेंगे। वे तो कहते हैं कि शिक्षा तो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। पंजाब में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में लोगों से बात करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने कहा था "शिक्षा तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के ऊपर छूट है वह इसके लिये कानून और नियम बना सकते हैं जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलपरिवर्तन किया जा सकता है।" अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रेस रिपोर्टरों को उत्तर दिया था कि समाजवादी सरकार बनाने के लिये आज की शिक्षा पद्धति पर्याप्त नहीं है।

आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आपके केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री कहते हैं कि इसके लिये वर्तमान शिक्षा पर्याप्त नहीं है। यह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रधान मन्त्री जी ने 16 फरवरी को लखनऊ में साक्षरता निकेतन के 20 वें अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा था कि लोकप्रिय शिक्षा की मांग पूरा करना इस देश में बहुत आवश्यक है इस दिशा में हमारे कदम नहीं बढ़े हैं। 25 वर्ष तक आप लोकप्रिय शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके। उन्होंनेकहा था "जब तक लोकतंत्र पक्का नहीं होगा तब तक जनता शिक्षित नहीं होगी"। लोक तंत्र जिस पर आपकी आस्था है उसके लिये कहते हैं कि वह तब तक पक्का नहीं होगा जब तक कि जनता शिक्षित नहीं होगी। आगे वे कहती हैं कि आज के ये विश्वविद्यालय, आज की शिक्षण संस्थायें शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यह प्रधान मन्त्री की फाइंडिंग्स हैं। आगे वे कहती हैं कि ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने हेतु सामाजिक संस्थाओं का गठन किया जाय। यह आपके दिवालेपन का प्रतीक है।

आज माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने 4 निदेशालय कर दिये। पहले एक था अब चार कर दिये। मैं कहता हूं कि आपने कहां उसको बड़ा किया? कितनी उपलब्धि आपको उससे हुई? जब एक निदेशालय था तब कितनी उपलब्धि थी और जब आज 4 निदेशालय हैं तो कितनी उपलब्धि हो गई? निदेशालय बढ़ा देने से हमारी मांगें पूरी होने वाली नहीं है और न ही प्रदेश का हित होने वाला है। आपको जनता को सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में हमने यह प्रगति की है।

शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक कोई प्रगति नहीं है और न ऐसा करने का आपका कोई इरादा है। मैं तो आपके खिलाफ चार्ज लगाता हूं कि आपकी नीयत नहीं है कि इस प्रदेश की जनता को शिक्षित करने की दिशा में कदम उठायें। क्यों आपकी प्रधान मन्त्री कहती हैं कि लोकतंत्र के पनपाने लिये शिक्षा की आवश्यकता है और आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आपकी दिशा दूसरी ओर लोकतंत्र के बरक्स जा रही है। आप पूरी तरह से सचेष्ट होकर शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं करते जिसके द्वारा उस ढंग का परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। आपके योजना मन्त्री श्री घर कहते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति रोजगार मूलक नहीं है और हमारे माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे आदमी स्वावलम्बी होकर अपनेजीवन निर्वाह का रास्ता तय कर रहे हैं। पता नहीं किसकी बात सही है योजना मन्त्री की बात सही है या माननीय मन्त्री की बात सही है।

आपके योजना मन्त्री जी कहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति रोजगार मूलक नहीं है और आज दम्भपूर्ण ढंग से आज सदन में जो व्याख्यान देते कि हमारे यहां शिक्षित नवयुवक शिक्षा पाने

के बाद अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। अभी-अभी हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने बड़े जोर से कहा कि हमने बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना कर दी है। बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना तो कर दी है लेकिन इस पर भी कभी आपने ध्यान दिया कि उसकी दुर्दशा क्या है? मुझे बड़ा खेद है कि पिछले साल बजट भाषण में माननीय मन्त्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने जा रहे हैं और शिक्षा मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुए बड़े दम्भ के साथ कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके तथा प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके इस प्रदेश का बहुत ही उद्धार किया है। क्या उद्धार किया है कि प्रत्येक जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया है।

मैं पूछता हूं कि वे बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कोई इम्पोर्टेड आदमी है जिसके द्वारा आप शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं? आपके शिक्षा निदेशालय गांधी जी की पुस्तकों को देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है या आचार्य विनोबा की जो संहिता है उसके आधार पर शिक्षा पद्धति को बनाने जा रहा है? उसमें तो वही सारे के सारे आई० ए० एस०, वही डिप्टी इंस्पेक्टर हैं जिन्हें इस प्रदेश का कोई ज्ञान नहीं है, मैं वे गन्दी बातें नहीं कहना चाहता, वही डिप्टी इंस्पेक्टर आज बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिनके लिये आप कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन होने से देश का भविष्य उज्जल हो जायगा।

आपकी असफलता का प्रतीक है और वह प्रतीक यह है कि एक वर्ष हो गया और जिला शिक्षा परिषद् का गठन नहीं हो सका है। क्या रुकावट है, आप नामिनेशन ही कर देते। आपके सामने क्या रुकावट थी, क्या दिक्कत थी। इसी वर्ष हर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन क्यों नहीं किया गया। मेरा तो चार्ज है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति को कुंठित करने का काम किया गया है और शिक्षा को उस दिशा में ले जाने का जो आपका उद्देश्य है वह निरर्थक है, निराधार है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि टंडन जी के मन में यह चीज हो कि बेसिक शिक्षा पद्धति से इस प्रदेश का लाभ हो तो उनको चाहिये कि स्वराज्य के पहले गांधी जी ने जो कुछ कहा था, और स्वराज्य के बाद आचार्य विनोबा भावे ने जो कहा था वह यह था कि बुनियादी शिक्षा इस देश में होनी चाहिये।

जब तक बुनियादी शिक्षा इस देश में न होगी, जब तक उस प्रकार की पद्धति इस देश में न होगी, तब तक प्राथमिक शिक्षा का बेसिक आधार नहीं बन सकेगा और इस देश का चरित्र निर्माण जिसके लिये आप कहते हैं कि हमने बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके उस दिशा में कदम बढ़ाया है, उसमें आपकी पूरी असफलता का दर्शन है।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)––

माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे हायर सेकेंडरी शिक्षा का प्रान्तीयकरण चाहते हैं या नहीं?

श्री रामकुमार दीक्षित––

एक गैर सरकारी प्रस्ताव था उस पर मैंने भी भाषण दिया था। लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण––

हमने प्राइमरी एजूकेशन का जो किया है उसको भी आपने नहीं माना।

श्री रामकुमार दीक्षित––

मैं उसका विरोध नहीं करता।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

मान्यवर, चाल चल रहे हैं लेकिन जब यह चलने दें तब तो परेशानी न हो ।

श्री रामकुमार दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उर्दू के बारे में बहुत सी बातें कह दीं । हम उसकी प्रगति कर रहे हैं । ठीक है होनी चाहिये । वह हमारे देश की दूसरी भाषा है । हम लोग उसका आदर करते हैं और दूसरी भाषा के रूप में उसको देखना चाहते हैं । लेकिन एक चेतावनी के साथ देखना चाहते हैं कि इसको साम्प्रदायिकता के रंग में न लाइये । हमें आपकी नियत पर संदेह होता है कि आप इस प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग को प्रसन्न करने के लिये उर्दू का नारा देकर एक राजनीतिक नारा दे रहे हैं । आप चाहते हैं कि उर्दू की बात कह कर उर्दू जुबान के मानने वाले लोगों को प्रभावित करें । यदि आपकी यह नियत है तो मैं जरूर इसका विरोध करता हूं । लेकिन अगर आप इसको दूसरी भाषा के रूप में मानने के लिये तैयार हैं और इसको सुविधा देने के लिये तैयार हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं ।

मान्यवर, उर्दू का विकास होना चाहिये क्योंकि उर्दू इस देश की भाषा बनी रही है । किसी विशेष वर्ग का दावा इस पर कभी नहीं रहा है । इस प्रदेश के दूसरे धर्म के अनुयायी उर्दू को बोलते रहे हैं, पढ़ते रहे है और लिखते रहे हैं । इसलिये आप इसको मुस्लिम समाज के हित में ले जाना चाहेंगे तथा अल्प-संख्यकों से कह कर विकास करना चाहेंगे तो उससे हमें संदेह अवश्य होगा । आप इसको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिससे साम्प्रदायिकता का सृजन नहो ।

हमने देखा कि 18 लाख 18 हजार रुपया उर्दू के विकास के लिये रखा गया है । अल्प-संख्यक लोग जानेंगे, उर्दू जानने वाले जानेंगे कि आप उर्दू के विकास के लिये कितना काम करना चाहते हैं । आपने काजी जलील अब्बासी का एक श्लोक सुना दिया । उर्दू के लिये जितना यह प्रदेश कर रहा है उतना हिन्दुस्तान का और कोई प्रदेश नहीं कर रहा है । उर्दू इसी प्रदेश की मुख्य भाषा थी और इस प्रदेश के लाखों आदमी उर्दू पढ़ते थे, बोलते थे और लिखते थे । आप कोई अहसान नहीं कर रहे हैं । आप उर्दू के लिये वह नहीं कर रहे जो करना चाहिये था। निश्चित रूप से आप उर्दू की सेवा कर चुके हैं जैसे उर्दू एकेडेमी की स्थापना तथा प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के मास्टर रखना और प्राइमरी पुस्तकों का लिखा जाना, लेकिन इससे कुछ काम नहीं चलेगा बल्कि सोचना होगा कि किस तरह से उर्दू का विकास होगा ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप और आपकी पार्टी उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

आपने पार्टी शब्द जोड़ ही दिया । आप मुख्य मंत्री जी से कह दीजिये कि उसी पार्टी के नेतृत्व में वह फाइनेंस मिनिस्टर रहे ।

श्री राज मंगल पांडेय---

आप हमारा उत्तर दें ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप यह बता दें.....

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह से आपस में बात न करें ।

श्री रामकुमार दीक्षित––

प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ही केवल इस प्रदेश की सामाजिक स्थिति और भविष्य को बदलने के लिये काफी नहीं हैं। शिक्षा को रोजगार मूलक होना चाहिये और यहां प्राविधिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और आपको कृषि और तकनीकी शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिये। आप इस प्रदेश में कृषि की शिक्षा के विकास के लिये क्या कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा के लिये आपने क्या किया? ठीक है आपने कुछ संस्थायें और ट्रेनिंग सेन्टर खोल दिये हैं लेकिन क्या वहां से निकलने के बाद उन विद्यार्थियों को क्या अपने ज्ञान का पूरा लाभ इस क्षेत्र में मिलता है जिसमें वह प्रवेश करते हैं। उन्हें आज वहां अधकचरा ज्ञान मिल रहा है और उन्हें कोई दक्षता प्राप्त नहीं होती जिससे जीवन के मार्ग को वह प्रशस्त पा सकें। कृषि तथा तकनीकी शिक्षा में विशेष सुधार और ध्यान देने की आवश्यकता आज बहुत अधिक हो गई है।

आप प्रदेश में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। इस प्रदेश में कृषि के विश्वविद्यालय खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है और उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। कानपुर में जो कृषि विज्ञान संस्थान है उसके बारे में सुना जाता है कि वह हटाया जा रहा है और उसे भी पंतनगर ले जा रहे हैं। आज हर प्रकार के कृषि के ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखते हुये हमें अधिक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर फौरन ध्यान देना चाहिये। कानपुर के कृषि संस्थान को भी कृषि विश्वविद्यालय का स्थान देना चाहिये और यह आपका प्राथमिक कदम होना चाहिये।

परीक्षा पद्धति बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। क्षमा करेंगे मंत्री जी, मैं पहले ही उनसे क्षमा मांग कर यह बात कहता हूं, हो सकता कि मेरी जानकारी पूरी न हो। परीक्षाओं में कितनी बेईमानी और भ्रष्टाचार होता है इसकी एक मिसाल की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहूंगा कि अभी बलरामपुर अस्पताल के विशेष वार्ड का आप निरीक्षण करें कि वहां क्या हो रहा है? इस समय 3 बज रहे हैं, वहां हमारे मुख्य मंत्री जी का पोता बीमारी का बहाना करके अस्पताल में पड़ा है, 3 बजे उसे वहीं पर्चा मिलेगा और वहां वह परीक्षा देगा। यह बड़े शर्म की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस साल अपने पोते को परीक्षा दिला रहे हैं और पिछले वर्ष उनकी पोती बीमारी का बहाना लेकर अस्पताल में परीक्षा दिलाई गई और नकल करायी गई, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने लड़के लड़कियों ने बीमारी के कारण परीक्षा नहीं दी और न उपस्थित होने के लिये आवेदन-पत्र दिया है कि वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं? मुख्य मंत्री जी के पोते और पोती में कौन से सुरखाव के पर लगे हैं कि वह सरकारी गाड़ी में जाते हैं अस्पताल में वह बैठे रहते हैं और इनविजिलेटर उनको नकल करा देते हैं। ये सारी सुविधायें आपके अधिकार में हो रही हैं। आप इसका निरीक्षण करें, 3 बजे से बलरामपुर अस्पताल में परीक्षा हो रही है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण––

क्या डाक्टरी प्रमाण-पत्र को भी माननीय सदस्य चैलेन्ज कर रहे हैं। जेल में भी जब लड़के होते हैं तो उनको वहां भी परीक्षा के लिये इजाजत दे दी जाती है और अगर अस्पताल में लड़के होते हैं तो उनको भी वहां पर इम्तिहान देने की आज्ञा दे दी जाती है।

श्री बंशीधर पांडेय––

यह ठीक बात है, डाक्टरी प्रमाण-पत्र के लिये कोई नहीं कहता लेकिन क्या आप आश्वासन देंगे कि अगर किसी गरीब का लड़का बीमार हो जाता है तो डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर उसकी परीक्षा उसके घर पर देने की आप इजाजत दे देंगे?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

घर पर रहने पर तो वह कभी नहीं दी जाती है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

अस्पताल को तो वे अपने घर के रूप में कन्वर्ट करते हैं । गरीबों की और मेरी ताकत नहीं कि वे अस्पताल में भर्ती हो जायें । इसलिये वे शिक्षा से महरूम रह जाते हैं ।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

विश्वविद्यालय में भी होती है और अस्पतालों में भी होती है, घर में परीक्षायें नहीं होती है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह आश्वासन चाहता हूं कि जिस गरीब आदमी का लड़का अगर बीमार होता है तो उसको भी वे ही सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी जो एक मंत्री के लड़के को होती हैं । आप मंत्री हैं, आप अपने लड़के को अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं और उनकी परीक्षा का भी प्रबन्ध कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

अस्पताल में भर्ती होकर आप परीक्षा दे सकते हैं ।

श्री राम कुमार दीक्षित---

गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री का पोता बीमार हुआ और हाई स्कूल की परीक्षा दी । वह भी उसी अस्पताल में रहा है । इस वर्ष उनकी पोती बीमार हो गयी और अस्पताल में भरती होकर परीक्षा दे रही है । इस प्रकार से अनेक बेईमानी के रास्ते को बढ़ावा दिया है । परिणाम यह हुआ कि इस साल अस्पताल में पोती भर्ती होगी परीक्षा देने के लिये । यह आपकी शिक्षा की पद्धति ? आपकी परीक्षा पद्धति बिल्कुल ही मखौल है, दोषपूर्ण है और इसमें आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है ।

(श्री जगदीश गांधी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है कि . . . .

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम कुमार दीक्षित---

आज हमारी परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के जो उपाध्यक्ष श्री सतीशचन्द्र जी हैं वे कानपुर आये थे । उन्होंने कहा था कि आज की परीक्षापद्धति संतोषजनक नहीं है । उसमें अविलम्ब बदलाव किया जाय । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि 10वीं कक्षा तक तो परीक्षा पद्धतिसमाप्त की जाय यह आपके शिक्षा मंत्री की घोषणा है और आपके सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड का भी यही मत है । शिक्षा मंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि कुछ स्टेट्स ने तो इसे लागू भी कर दिया है । जब आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स के उपाध्यक्ष भी कहते हैं कि आज की परीक्षा-

पद्धति दोषपूर्ण है। इसको सफल बनाने के लिये उन्होंने जो पहला कदम उठाया है वह यह है कि हाई स्कूल तक की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाय। आप उस घोषणा को उत्तर प्रदेश में कब करने वाले हैं ?

आप हाई स्कूल की परीक्षा पद्धति को समाप्त करें, इस प्रदेश में जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी का संकेत है। यदि नहीं करेंगे तो कभी मुख्य मंत्री जी का पोता या कभी मंत्री जी का पोता अस्पताल में डाक्टरों की कृपा से परीक्षा में सम्मिलित कराया जायगा और पास कराया जायेगा। यह बेईमानी, यह भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। परीक्षार्थी छुरे की नोक पर नकल करते हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा जगत में शांति है। जो मौजूदा पद्धति है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। एक अभिभावक कितना परेशान होता है उस अवस्था में जबकि एक लड़का नकल करते हुए पकड़ा जाता है और सैकड़ों लड़कों का रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाता है। ऐसी दशा में हमारे पास केवल एक ही सुझाव है और वह यह है कि आप इस परीक्षा पद्धति को समाप्त कर दें। जिस प्रकार से पी० एच० डी० डिग्री मिलती है, उसमें कौन सी परीक्षा होती है। आपको किताब दे दिया, पर्चा दे दिया और कह दिया कि घर से नकल कर लाओ। उसके ज्ञान और क्षमता के बारे में एग्जामिनर को आभास होना चाहिए, नकल के बाद भी।

श्रीमन्, आज क्या हो रहा है। पांचवी की परीक्षा हो रही है और डिप्टी साहब नकल करवा रहे हैं। लड़के की कितनी हाजिरी है, उसका चरित्र कैसा है, शिक्षक की उसके प्रति क्या धारणा है, इन सब बातों को देखा जाना चाहिए। लेकिन आज बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 10 लाख लड़के इम्तहान में बैठते हैं और पास कितने होते हैं ? कभी आपने इस पर सोचा है ? क्या पर्सन्टेज है ? आज वे छुरे की नोक पर नकल करके पास होते हैं। आपका इनविजलेटर कहता है कि नकल करने वाले लड़के को हम नहीं पकड़ेंगे, उसकी कापी नहीं छीनेंगे, कापी में नोट नहीं करेंगे। जब इस तरह की हालत है, तो क्यों नहीं घोषित कर देते कि 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा नहीं ली जावेगी। आज आपकी शिक्षा-पद्धति में निश्चित रूप से दोष है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विकेन्द्रीयकरण कर दें। 3, 4 या 5 जगह कर दें या चाहे जितने कर दें। लड़का जहां पर्चा छपता है, वहां जायेगा, कापी घर ले आयेगा और नकल करेगा। आपके परीक्षा के सुपरेन्टेंडेंट और आपकी सारी शक्ति उसको रोक नहीं सकेगी।

श्रीमन्, आज कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है, हिंसा है, विश्वविद्यालयों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, गोली चलती है, लाठी चलती है, और आये दिन घटनायें हो रही हैं। इसका क्या कारण है ? इसको रोकने का क्या उपाय है ? हमारा यह संदेह है और चार्ज है कि विद्यार्थियों में अनावश्यक राजनीति का प्रवेश आपने किया है। उस राजनीति के प्रवेश का यह प्रतिफल है कि आज वह आग भड़क उठी है और जो आज हिंसा के रूप में प्रकट हो कर दिखाई पड़ती है। यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी शिक्षा पावे तो आपको इस बात के लिये एक आचार-संहिता का निर्माण करना होगा और उसमें हम लोगों या विरोध पक्ष के लोगों को भी जोड़ना होगा कि हम विद्यार्थियों को सस्ती राजनीति में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको सस्ती राजनीति में उपयोग नहीं करेंगे और जो दल चाहे शासक दल हों या विरोध पक्ष, अगर छात्रों का इस्तेमाल राजनीति में करेगा तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे और इस प्रकार का वातावरण पैदा करेंगे कि विद्यार्थी राजनीति से परे रहकर वह शिक्षा ग्रहण करे जिसके लिये वह स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाता है।

लेकिन हमें आपकी नियत में संदेह है क्योंकि जब सन् 1970 में यूनियन के सम्बन्ध में बिल आया था, उस समय श्री चरनसिंह जी की गवर्नमेंट थी और आप उसमें साझीदार थे और आपकी राय से पास हुआ था और उस समय यह कहा गया था कि यूनियन की सदस्यता वैकल्पिक कर दी जाय, अनिवार्य न रहेगी जिसको बड़े एजीटेशन के बाद इस प्रदेश के युवक वर्ग ने स्वीकार कर लिया था और शांत हो गये थे। आपने गद्दी पर आरूढ़ होते ही पहला काम यह किया

[श्री रामकुमार दीक्षित]

कि उस बिल को निरस्त कर दिया और यूनियनकी सदस्यता उसी रूप में अनिवार्य कर दी जिस रूप में थी। तो इस बात का स्पष्ट सबूत है कि आप विद्यार्थियों से राजनीति करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को राजनीति में घसीटना चाहते हैं, उनके द्वारा आपना राजनैतिक स्वार्थ साधन कराना चाहते हैं। यदि आप यह चाहते हैं तो होगा यह कि अराजकता होगी, हिंसा होगी, घिराव होगा। किसका ? उपकुलपति का। आश्चर्य है कि घिराव कौन करता है--स्नातक। किसका ? उपकुलपति का। क्या यह शिक्षा पद्धिति की सफलता का प्रतीक है कि उपकुलपति का घिराव उसका स्नातक ही करे।

आप कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में काफी सफलता मिल रही है ,हम काफी प्रगति कर रहे हैं। हमारा एसा विश्वास है कि आप इसमें प्रगति नहीं कर रहे हैं। स्वयं हमारे राष्ट्रपति जी ने बंगलौर अधिवेशन में कहा है कि देश के समस्त राजनीतिज्ञों से अनुरोध है कि वह शिक्षण संस्थाओं को निषेध क्षेत्र समझकर उनसे दूर रहें। इसी प्रकार उन्होंने छात्रों को परामर्श दिया है कि वह सक्रिय राजनीति से दूर रहें क्योंकि युवावस्था केवल अध्ययन के लिये है। वास्तव में वह जो उनकी सलाह थी वह आज की परिस्थितियों को देखते हुए थी।

आज जिस प्रकार से राजनैतिक हस्ताक्षेप है छात्र समुदाय में, उसको देखते हुए दी थी। अगर यही दशा बनी रही तो आपके विश्वविद्यालय राजनैतिक अखाड़े बन कर रह जायेंगे। विश्वविद्यालयों से राजनीति संचालित होगी। अगर हम यह बात कहें कि आप बहुत कुछ राजनीति का संचालन इन विश्वविद्यालयों से अपने वर्ग के उन विद्यार्थियों से कराते हैं जो आपकी स्वार्थ साधना , और आपकी लिप्सा की भावना से प्रेरित घिनौना काम विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। आपको उन्हें बचाना चाहिए। आपको शिक्षण संस्थाओं से उनको बचाना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से आप ऐसा मान लें कि यह छात्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे और स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। स्वयं गांधी जी ने कहा था कि छात्रों को राजनीति से पृथक रहना चाहिये। यह बात उन्होंने अनेक बार दोहराया था।

श्रीमन्, हिन्दी राष्ट्रभाषा के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। आप दुहाई देते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई, लेकिन आये दिन विधान सभा में यह सवाल उठता है कि अमुक कार्यालय में अंग्रेजी में काम हो रहा है, न्यायालयों में अंग्रेजी में काम-काज हो रहा है, हिन्दी को पूरी तरह से उतना प्रश्रय और संरक्षण नहीं मिल रहा, जितना कि उसको मिलना चाहिये। क्या कारण है ?. श्रीमन्, अगर आप क्षमा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि आपके ऊपर पाश्चात्य प्रभाव ज्यादा है, अंग्रेजी भाषा का आपके ऊपर दबाव है और हिन्दी की आप उपेक्षा कर रहे हैं। हिन्दी को उतना स्थान नहीं मिला जितना कि उसको मिलना चाहिये।

हिन्दी की क्या स्थिति है ? सारे विश्व में उसके बारे में क्या राग है ? श्रीमन्, आपके यहां हिन्दी उपेक्षित है लेकिन दुनिया के देशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। अमेरिका के 19, पश्चिमी जर्मनी के 14, बेलजियम के 6, जापान और रूस में 5-, इंग्लैंड में 3, लंका में 2 और ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं और भी विशेष बात है। आपका जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय है उसमें 21 देशों के 176 विद्यार्थियों ने नाम दर्ज कराया है जो पत्राचार के माध्यम से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। यह हिन्दी के प्रतिसारे संसार का राग है। आपका राग हिन्दी के बारे में कुछ नहीं दिखाई देता। इस बजट भाषण में भी एक शब्द नहीं सुना। शिक्षा निर्देशिका में दो लाइन नहीं पढ़ी कि हिन्दी जो इस प्रदेश की राष्टभाषा है उसका स्तर गिर रहा है तो उसको किस तरह से कायम रखना चाहते हैं। मेरी आपसे मांग है कि हिन्दी को वह स्थान प्रदान करें जो उसका है और वह स्थान प्रदान करने के लिये आपका ध्यान संस्कृत भाषा की ओर जाना चाहिये।

संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने एक दो लाइन कह दी कि संस्कृत का एक निदेशालय बना रहे हैं । यह बड़ा वहम हो गया है कि निदेशालय बना देने से संस्कृत भाषा का उत्थान हो जायगा । आप देखें कि संस्कृत विद्यालय की स्थिति क्या है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि संस्कृत देव भाषा है । वाणी तो अच्छी लगी । लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है । यह कलंक किसके मत्थे पर लगेगा । पंडित कमलापति त्रिपाठी की सरकार पर यह कलंक लगेगा क्योंकि वह भी संस्कृत के प्रेमी हैं । आप संस्कृत विद्यालयों की ओर उनके अध्यापकों की दशा सुधारना नहीं चाहते । कुछ निरीक्षक या उप निरीक्षक बढ़ा देने से ही दशा नहीं सुधार जायगी । आप देखें कि संस्कृत विद्यालयों में क्या स्थिति है, क्या आर्थिक दशा है, किस तरह से लड़के पढ़ते हैं, किस तरह से अध्यापक पढ़ाते हैं ? यदि इन सारी बातों को देखकर आप उन्हें संरक्षण नहीं देंगे तो संस्कृत उन्नति नहीं कर सकती । और जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक हिन्दी भी राष्ट्र-भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकती ।

एक बात हमारे मुख्य मंत्री जी ने कह दी थी कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन बना दें । हमने केन्द्रीय सरकार का यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन सुना था । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की स्थापना कर देंगे और उसकी स्थापना करके तीन वर्षीय डिग्री कोर्स कर देंगे । जब मैंने शिक्षा निदेशिका के पन्ने उलटे और सारा देख डाला तो मुख्य मंत्री जी की घोषणा का कहीं समावेश नहीं दिखाई पड़ा । क्या मिथ्या और आधारहीन बातें बाहर कहते हैं कि इस प्रकार का कमीशन बनायेंगे । यदि वह बात सही थी तो आपके इस बजट भाषण में उसका समावेश होना चाहिये था । आपको उसका स्पष्ट रूप से चित्र प्रस्तुत करना चाहिये था कि किस तरह से 3 साल में डिग्री कोर्स को समाप्त करेंगे । बाहर जो मुख्य मंत्री जी ने कह दिया वह अधूरा मालूम होता है ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं । मैंने एक अखबार में पढ़ा जो अमेरिका के राजदूत श्री गेलब्रेथ ने हमारे देश में कहा कि हिन्दुस्तान में जो अमेरिकी सहायता का ह्रास हो रहा है उसका क्या कारण है ? उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में अमेरिकी सहायता का ह्रास इसलिये हो रहा है क्योंकि यहां एजूकेशन पर फोर्स नहीं है । इस देश में आपको भीख, दान व दक्षिणा से जो कुछ मिलता वह इसलिये नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी योजना निकम्मी है और सही रूप से उसका कार्यान्वयन नहीं कर पा रहे हैं । वह अव्यवहारिक है । तो आप इस बात पर विचार करें कि इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं । रूस जिसकी गोद में आप बैठे हो एक दिन आपको सहायता देना बन्द कर देगा जिसका सहारा लेकर आप इस दश का विकास करना चाहते हो।

एक बात कहूंगा बेरोजगारी मिटाने के सिलसिले में । योजना बनती है कि शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटायी जायेगी और उन्हें रोजगार दिये जायेंगे । अच्छी बात है । मैं ज्यादा आंकड़े तो नहीं रखूंगा लेकिन आप देखें कि शिक्षित बेरोजगारों की कितनी बेरोजगारी आप दूर कर पाये हैं । मार्च 1970 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 3.4 मिलियन थी जो मार्च 1971 में बढ़ कर 4.2 मिलियन हो गयी । 1 साल में इतनी वृद्धि हो गयी । 4,000 शिक्षित बेरोजगारों को काम मिल गया तो समस्या का समाधान नहीं होगा । मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बेरोजगारी घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है ।

आज इस प्रदेश के सामने बेरोजगारी की भयावह समस्या है । इस प्रदेश में अराजकता हो जायेगी, कानून का राज्य नहीं रहेगा, अव्यवस्था हो जायेगी और अशान्ति हो जायेगी । आपने केन्द्रीय सरकार को 56 करोड़ रुपये की योजना भेज दी जैसे कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल जायगा । रोजगार क्या मिलता है गांवों में प्रौढ़ स्कूल खोले गये हैं । वेतन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कम से कम वेतन 165 रखा है और आप जो प्रौढ़ पाठशालाओं में अध्यापकों को वेतन देंगे वह होगा 60 रु0 मासिक । मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतन तो 165 रु0 और शिक्षक का वेतन 60 रु0 । कैसे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को मिटायेंगे ? यह सब मिथ्या है, आधारहीन बात है । इसमें सच्चाई नहीं है ।

[श्री रामकुमार दीक्षित]

मैं थोड़ा सा शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में एक दो बात कह देना चाहता हूं। इस सदन में हमारे नेता गुप्ता जी ने कहा था कि एक प्रिंसिपल को स्कूटर देना पड़ा इस बात के लिए कि उनके अनुदान की राशि को बढ़ा दिया जाये। हमारे माननीय नेता ने इतना बड़ा चार्ज आप पर लगा दिया। आपने उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे पता लगता है कि वह चार्ज सत्य है कि प्रदेश में मान्यता के लिये रिश्वत देनी पड़ती है, ग्रान्ट के लिये रिश्वत देनी पड़ती है।

अध्यापकों की पदोन्नति और स्थानान्तरण में रिश्वत देनी पड़ती है। आपके यहां इस तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है। यह पद्धति दोषपूर्ण है। मान्यता की पहली सीढ़ी जिला विद्यालय निरीक्षक है। दूसरी सीढ़ी इलाहाबाद में है और तीसरी बोर्ड है। सभी जगह दान-दक्षिणा देनी पड़ती है। चार-चार दरवाजों से छनकर जाना पड़ता है। इससे बच कर सीधे-सीधे आदमी जिस देवता के पास भी पहुंचना है पहुंच जाय और दान-दक्षिणा दे दे जिससे उसको मान्यता मिल जाय। जो आदमी मान्यता के लिये आता है उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। आप स्वयं शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते है इसलिये वह इसमें योग प्रदान करता है। जब तक आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तब तक मान्यता के रास्ते में रोड़े अटकाना लज्जा की बात है। ऐसा करने से लोगों को रुपये-पैसे का सहारा लेना पड़ता है। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। मंत्री जी अपने कर्मचारियों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे। मान्यता के नियम बहुत पेचीदा हैं।

मैं सीनियर बेसिक शिक्षा की मान्यता की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि 20 25 का कमरा हो, 25 30 का विज्ञान कक्ष हो, तभी मान्यता दी जाय। मैं पूछता हूं कि जिला परिषद द्वारा स्थापित कितने विद्यालयों में ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस पर जोर न दें। सन 1969 में ऐसी राजाज्ञा गई थी कि इससे पहले की जो मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं उनको इससे छूट दे दी जाय। अब बेसिक शिक्षा परिषद् गठित हो गई है। यह शिक्षा संस्थाय 60, 62 में स्थापित हुई थी। उस समय इस प्रकार का रूल नहीं था। उनके पास भवन है लेकिन जितने बड़े आप चाहते हैं वह नहीं हैं, तो उनको मान्यता न देकर, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना है। उनको मान्यता बिना हिचकिचाहट के मिल जाना चाहिये। इन संस्थाओं का निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस ओर कोई न कोई कदम उठावें।

श्रीमन्, अभी आपने कह दिया कि 9 करोड़ से 15 हजार विद्यालय इस सूबे में बनायेंगे। यह मैं एक वर्ष से सुन रहा हूं। रुड़की इंजीनियरिंग सर्विस बनायेगी। द्रुत योजना में बनेंगे। कहीं से इमारत ढल कर आवेगी और वहां रख दी जायेगी? ये कहानियां और किंवदन्तियां यह प्रदेश बहुत समय से सुन रहा है। आप से भी सुन लिया कि 9 करोड़ रुपये से 15 हजार भवन 1974 के लिए बनाने का लुभावना नारा दे रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता और विद्यार्थियों के साथ जो धूप में, पेड़ के साये में, लू में बैठकर शिक्षा पा रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या कोई हिम्मत कर सकता है आप में से कि धूप और लू में पेड़ के नीचे अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेज दें? और अगर नहीं कर सकता तो सारे कामों को रोक कर इस काम को पहल करना चाहिये। आपके पास रुपया है तब इमारत क्यों नहीं बनती? साधन नहीं है, रुपया नहीं, वह बात अलग थी, लेकिन जब धन है और रुड़की इंजीनियरिंग सर्विस है तो कहां दोष है? बात यह है कि फुर्सत किसे है, समय किसके पास है? जो भाषण में लिख दिया वह यहां आपने सुना दिया। आपने चेष्टा नहीं की जानने की कि आखिर कितने स्कूल बन गये और कितने बनने की स्थिति में हैं, क्या दशा हो रही है। हम चाहेंगे कि उनका ध्यान इस ओर जाय।

अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि शिक्षा माताओं की नियुक्ति करेंगे। नाम तो दिया 'शिक्षा माता' और वेतन रखा है केवल 30 रुपया लज्जा नहीं आती कहते हुए (एक--आवाज——यह शब्द पहले से चला आ रहा है।) कभी से चला आ रहा हो, आपने क्या परिवर्तन किया ? आपका पे-कमीशन कहता है कि कम से कम 165 रुपया वेतन देंगे और स्कूल माता को 30 देंगे आप। और भी दशा खराब है। आपके काफी विद्यालयों में खादिमाएं हैं जिनको केवल 10 रुपया, 20 रुपया वेतन मिलता है। यह कहां का इंसाफ है ? कब तक 10 रुपया, 20 रुपया देकर इन खादिमाओं से सेवा कराओगे ?

"रहिमन आह गरीब की हरि सों सही न जाय।"

इससे आगे वाली पंक्ति नहीं कहूंगा कि क्या होगा उनकी आह से। इसलिए इन शिक्षा माताओं, खादिमाओं और शिक्षा विभाग में जो चपरासी हैं, जूनियर बेसिक स्कूल्स में चपरासी हैं उनकी दशा सुधारें। उन चपरासियों को आप केवल 53–56 रुपया देते हैं। यह बेइंसाफी कब तक चलेगी। आप कहते हैं कि हमने शिक्षकों की, माध्यमिक शिक्षकों की समस्या हल कर दी, केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्या रह गयी। खैर, जो हुआ होगा वह सामने आ जायगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं और चार्ज लगाता हूं कि आपने इन स्कूल के चपरासियों, शिक्षा माताओं और खादिमाओं की समस्या के समाधान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए आवश्यक है कि आपका ध्यान उधर जाय और उनके जीवन निर्वाह के लिए उतना वेतन मिले जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। यह नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से उन गरीब लोगों और निम्न-वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ आपकी ज्यादती और अन्याय होगा।

श्री अधिष्ठाता——

कितना समय आप लेंगे और अभी?

श्री रामकुमार दीक्षित——

10–15 मिनट तो और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता——

आप तो इसके बाद उत्तर भी देंगे। जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामकुमार दीक्षित——

अब मैं पाठ्य पुस्तकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने कह दिया कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके लिये आपने घोषणा कर दी कि कोई निगम बना देंगे। इस सरकार के पास हर मर्ज की दवा निगम है, दूसरी कोई दवा नहीं है। निगम बनने से कुछ लोगों की रोटी-रोजी की व्यवस्था हो जायगी। लेकिन अगर आप पाठ्य पुस्तकें बनाने का, उनको तय करने का यही खिलवाड़ रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जिस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सामने आना चाहिये वह नहीं आयेगा और विद्यार्थी को संतोष नहीं हो सकेगा।

तीसरे दर्जे के विद्यार्थी के पास आज दस सब्जेक्ट्स हैं। एक छोटी आयु के बालक पर, जिसका शिशु मस्तिष्क है आपके पाठ्यक्रम की वह पुस्तकें एक बोझ के रूप में उसके ऊपर पड़ती हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसका बौद्धिक विकास हो सकेगा ? नहीं हो सकेगा। इसलिये जो निगम आप बनाने जा रहे हैं कृपा करके आप उसमें राजनीतिक लोगों को न रखें, अपने खुशामदी और चापलूस लोगों को रखने की चेष्टा न करें बल्कि आप उसमें ऐसे शिक्षा

[श्री रामकुमार दीक्षित]

शास्त्रियों और इस प्रदेश के योग्य लोगों को रखें जिनका शिक्षा पर विश्वास है, जो चाहते हैं कि इस प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा आये। इसमें बहुत ज्यादा विलम्ब न लगायें नहीं तो बहुत दिनों तक अफसरों से पुस्तकें लिखायी जायेंगी अफसरों की पुस्तकें लिखने की हाबी हो गयी है। आप कहेंगे तो मैं 10-5 के नाम गिना दूंगा जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो मन्जूर भी हो गयी है और उससे वह कमा रहे हैं। जब आपने घोषणा कर दी कि हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया तो निश्चित रूप से वह रूपरेखा आपको सामने लानी चाहिये।

मैं "उत्तर प्रदेश की शिक्षा की दुर्दशा" एक अखबार में आर्टिकल निकला था उसकी दो-एक लाइनें पढ़ दूं। दैनिक जागरण दिनांक 17-1-73 के एडीटोरियल में सम्पादक ने लिखा है "उत्तर प्रदेश केवल अर्थक्षेत्र में ही नहीं, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसका एक मात्र दायित्व इस राज्य की सरकार की अकर्मण्यता, राजनीतिक पक्षपात और ढुलमुल नीतियों पर है।

अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने स्वीकारा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये कोई उपयुक्त उपकुलपति की तलाश में अधिकारी असमर्थ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा विशारदों की कमी है? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं हैं, जो विश्वविद्यालयों के उच्च पदों में आसीन हो सकें और इनका संचालन सुचारु रूप से कर सकें? यदि सच्चाई से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय तो यह नकारात्मक ही होगा". . . ." "मैं इतना ही अंश पढ़ रहा हूं"। अखबार निष्पक्ष माने जाते हैं। यह अखबार की राय मैंने पढ़ी है। इन पर किसी का प्रभाव नहीं होता, हो सकता है तो केन्द्र का या हमारे टंडन जी का। पर इस प्रकार की निष्पक्ष राय जो अखबारों में निकलती है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि आपके प्रदेश में शिक्षा की पद्धति बहुत खराब है। यह सब आपकी अकर्मण्यता और ढुलमुल नीति के ही कारण है। बेसिक शिक्षा परिषदों का गठन नहीं हो पा रहा है, आपको उप कुलपति नहीं मिल रहा है, तो यह क्या बताता है! क्या यह आपकी प्रगति के लक्षण को बताता है? यह आपकी अस्थिर नीति आपके लिये और प्रदेश के लिये बड़ी ही घातक होगी।

आपके केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने अभी हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त अभिभाषण में और बाद में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा है कि हम शिक्षा में एक नई क्रांतिकारी फिलासफी लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि "पांचवें पंचवर्षीय योजनाकाल में शिक्षा के सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय योजना क्रियान्वित की जायगी उस में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने वाली मौजूदा प्रणाली के स्थान पर सब के लिये शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी"। इसका मतलब है कि शिक्षा मन्त्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अब तक अर्थात् चौथी योजना तक आपकी शिक्षा नीति दोषपूर्ण रही है। वह एक विशेष वर्ग के हित की रही है।

अब पांचवीं योजना में आप सबके लिये समान अवसर वाली शिक्षा नीति लाने की बात आप कर रहे हैं। 5वीं योजना में भी आप कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि इस योजनाकाल में शिक्षा की मद में जो आपने धनराशि रखी है वह पहले से घटा दी है। आपने 3,250 करोड़ के स्थान पर अब 2,250 करोड़ ही रखी है। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी क्रांतिकारी फिलासफी की बात शब्दों का केवल जालमात्र है। आप कुछ करना नहीं चाहते। आपका जो तंत्र है, जो कर्मचारी वर्ग है, वह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब हमारे यहां शिक्षा में तीन-तीन मन्त्री हो गये तो हमने सोचा था कि अब अवश्य कोई नया क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में आयेगा और इस क्षेत्र में प्रदेश प्रगति करेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पहले ही की तरह यह लोग मस्त हाथी की तरह चले जा रहे हैं, इनको कोई चिन्ता नहीं है इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने की। कल्पना करते हैं किन्तु आप उसे लाना नहीं चाहते।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वह यदि वास्तव में शिक्षा को आदर्श स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा, उन पद्धतियों को इस प्रदेश में अपनाना पड़ेगा जो देश का सांस्कृतिक आधार, पौराणिक स्वरूप और सांस्कृतिक स्तर, जिस चीज के लिये वातावरण प्रस्तुत करता हो। उसके अनुकूल शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी तो चरित्रवान नागरिक बनेंगे, जो देश की बागडोर अपने कुशल हाथों में संभालेंगे, नहीं तो यह हिप्पी ब्राण्ड नागरिक इस देश को कहां ले जायेंगे, इसका मन्त्री जी स्वयं अनुमान करके देख लें। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप यह कह कर बच नहीं सकते हैं कि आमूल परिवर्तन हम कर रहे हैं, आपको उस दिशा में मजबूत कदम भी उठाने चाहिये और एक निश्चित कार्यक्रम पेश करने चाहिये।

अब पहाड़ के बारे में दो-एक बातें कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। शिक्षा में असमानता को दूर करने की दिशा में टिहरी-गढ़वाल, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, जहां आज भी 20–25 मील से कम दूर पर कोई हाई स्कूल नहीं है, पर समुचित ध्यान दिया जाए। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिये आप वहां भी ऐसे हाई स्कूल खोलें जो छात्र दूर-दूर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिये समीप में शिक्षालय उपलब्ध हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए, माननीय मन्त्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है, उसका विरोध करता हूं।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)——

मान्यवर, शिक्षा मांग पर चलती हुई चर्चा में जो आपने भाग लेने का अवसर दिया है उसके लिये हम आपके बड़े अनुगृहीत हैं। मैं, शिक्षा मांग का जो प्रस्ताव इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है इस सम्मानित सदन में उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के शिक्षा जगत में कुछ ऐसी विशेष उपलब्धियां हुई हैं, इसके बावजूद कि उसमें कुछ खामियां हैं, स्वीकार करना होगा कि वह सराहनीय हैं। अभी शिक्षा मन्त्री जी इस पर प्रकाश डाल रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की दिशा में एक निर्णय लिया गया है तथा निदेशालय कायम हुआ है। निदेशालय अभी हाल में कायम हुआ है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसके सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में इसी सम्मानित सदन में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये थे और जो बातें कही गई थीं कि सम्भवतः वे ब्लाक स्तर पर शिक्षा, राजनीति की अखाड़ा आंकड़े होती चली जा रही हैं। उन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। हम इसको तीन भागों में और मैं तो कहूंगा चार भागों में बांट कर इतने बड़े प्रदेश के शिक्षा के कार्य को संचालित करेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक उच्च तथा प्राविधिक। मैं समझता हूं यह बहुत ही उचित कदम है।

प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, यह चार विभाग हो गये, इन चारों विभागों में अब कार्य हो रहे हैं। आशा है कि उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जैसा कि मंत्री जी ने कहा था पिछले वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिये 8 हाजर 2 सौ अध्यापक रखे गये और 110 उसमें विद्यालय खोले गय। इस वर्ष 60 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। 7 हजार 2 सौ अध्यापक रखे जायेंगे। ठीक उसी प्रकार लघु माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालय खोले जा रहे हैं। वहां पर भी स्कूल भवन बनाने का प्राविधान किया जा रहा है।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है वहां स्पष्ट है कि तीन विश्वविद्यालय प्रस्तावित हैं। इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है कि वह किस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। लेकिन इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा की दृष्टि सरकार के सामने है और उस तरफ ध्यान

[श्री डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

दे रही है कि किस प्रकार उसको बढ़ाया जाय। दो राजकीय उपाधि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है एक जखनी में और एक जेरीखाल में। यह इस बात को प्रतिपादित करता है कि हमारी उपलब्धियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र म भी कुछ हो रही हैं। स्कूल भवनों के लिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। फिर भी जो योजना फैब्रिकेटेड स्कूल बनाने की है वह देखी जाय हमें उसमें कितनी सफलता मिलती है। इसलिए जो कदम उठाये जा रहे है, उसमें हम को संतोष है और इन्हीं कारणों से मैं इस शिक्षा के मांग प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

फिर भी जहां हम समर्थन कर रहे हैं हमें वहां पर पिछले कार्यकलापों का सिंहावलोकन, विश्लेषण भी करना होगा पिछले कार्यकलापों का। पिछले कार्यकलाप हमारे कैसे रहे हैं और उनका इस दृष्टि से सिंहावलोकन और विश्लेषण करना होगा कि आगे का कार्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाय। हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो 1972 में शिक्षा प्रगति की पुस्तिका प्रकाशित की गयी है उसी आधार पर हम जो आंकड़े पा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि स्कूल भवनों की बढ़ोत्तरी दूनी हो गई है। अगर 1951 को आधार माना जाय और साथ पुस्तक के आधार पर 1970–71 को आधार मान लिया जाय तो इस प्रकार की प्रगति हुई है। अगर 31 हजार हमारे स्कूल थे तो अब 62 हजार स्कूल भवन हो गये हैं। उन स्कूलों की स्थिति के बारे में नहीं कहता कि बड़ी अच्छी हालत में हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि 31 हजार की जगह पर 62 हजार तक पहुंच गये हैं।

ठीक उसी प्रकार अध्यापकों की संख्या 70 हजार से दो लाख हो गयी है। बालक एक करोड़ से अधिक बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रगति 20 वर्ष में कुछ संतोषजनक है लेकिन मानना पड़ेगा कि स्कूलों में दूनी, अध्यापकों में तीन और विद्यार्थियों में साढ़े तीन गुनी बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में तीन गुना, अध्यापकों में तीन गुना और छात्रों में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है। उच्चतर माध्यमिक में तीन गुना और उच्च शिक्षा में 40 उपाधि महाविद्यालयों से बढ़कर संख्या आज 281 हो गई हैं और विद्यार्थियों की संख्या 21 हजार से बढ़कर सवा लाख हो गई है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की संख्या सात गुना बढ़ गयी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वालों की अनुपात में अधिक बढ़ी है। तो इस दृष्टिकोण से आप विचार करें और इन तीनों प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा का विश्लेषण करें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी उच्च शिक्षा में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है।

हमारे ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आया है। क्योंकि उस काल की जन-संख्या पर अगर विचार करें तो उसकी बढ़ोत्तरी भी उसी अनुपात में हुई है। 14 वर्ष से कम वालों की बढ़ोत्तरी इस प्रकार हुई है कि 1951 में जो संख्या 2 करोड़ थी वह 1961 में 2.9 करोड़ हो गयी और 71 में बढ़कर 3.7 करोड़ हो गयी। आज भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी अवस्था 6 से 14 वर्ष के बीच की है लेकिन वे विद्यालयों में नहीं जा पा रहे है और उनके लिये सरकार को प्राविधान करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनको शिक्षा दें।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें बड़ी तेजी के साथ बढ़ोत्तरी हुई है। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा जैसे पुस्तिका में यह कहा गया है कि जहां संख्यात्मक दृष्टि से हम बढ़े हैं वहां गुणात्मक दृष्टि से नहीं बढ़ सके और वह संतोषप्रद स्थिति नहीं है। 1951 में अगर आप अध्यापक तथा छात्रों का अनुपात लें तो 70 हजार अध्यापक थे तो छात्र की संख्या 2,727 हजार थे। इसके मानी यह हुए कि एक अध्यापक पर लगभग 40 विद्यार्थी थे और आज उसके मुकाबले में एक अध्यापक पर 50–51 विद्यार्थी पड़ते हैं। गुणात्मक दृष्टि से छात्र-अध्यापक संख्या को कम करना पड़ेगा और उत्तरोत्तर तभी हम कह सकते हैं कि अध्यापकों और छात्रों का उचित समानुपात है। गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों दृष्टि

से इस बात की आवश्यकता है कि हम प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा की ओर ध्यान दें और उसे उत्तरोत्तर बढ़ाने की चेष्टा करें।

एक और बात सिद्ध होती है कि 1951 में जो हमारा दृष्टिकोण शिक्षा का था और जो उपलब्धियां हमारे यहां हैं उनके आधार पर हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि वही दृष्टिकोण आज 71 में भी है। जो ढांचा 51 में था, जो पाठ्य क्रम था उसी प्रकार का ढांचा तथा पाठ्य-क्रम आज भी ह वह ढांचा स्वीकार करने लायक नहीं है, जो अच्छा ढांचा नहीं कहा जा सकता। इसमें परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है। पिछले 30–40 वर्षों से अंग्रेजों के समय से विश्व-विद्यालयों में दीक्षान्त समारोह हो रहे हैं और उनमें दिये गये भाषणों का अगर हम अध्ययन करें तो सब में यही कहा गया कि इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है लेकिन काम इतना कठिन है, समस्या इतनी महान है कि अगर एक तरफ हाथ डाला जाता है तो दूसरी तरफ जटिल समस्या उठ खड़ी होती है। इसलिये कोई भी सरकार रही हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई परिवर्तन करने की। उसका कारण यही रहा कि यह बड़ा जटिल काम है, इस जटिल काम को करने में समय लग सकता है और बहुत सूझबूझ की उसके लिये आवश्यकता है। उसकी दिशा में परिवर्तन होना चाहिये लेकिन दिशा में किस तरह से परिवर्तन किया जाय यह प्रश्न उठेगा ?

इसके लिये 1953–54 में मध्यम वर्ग के शिक्षित बेकारी की दर अगर 8.6 प्रतिशत के करीब थी तो आज वह बढ़कर 20 के करीब हो गई है। जो पद्धति हमने अपनाई है उसमें पढ़-लिखे लोगों में बेकारी बढ़ रही है और वह तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर बेकारी बढ़ रही है तो क्या शिक्षा को बन्द कर दिया जाय ? एसा नहीं हो सकता है लेकिन ऐसी शिक्षा हम दे सकते हैं जिससे बेकारी समाप्त हो जाय।

आप पूंछेंगे कि वह कौन सी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है ? इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारी विकास की दर रही है वह 5 से 7 प्रतिशत तक की आशा की होगी लेकिन वास्तविक बढ़ोत्तरी 3 प्रतिशत से आगे नहीं गई। विकास की जो दर है, विकास की जो गति है उससे हम अपनी शिक्षा को समन्वित नही कर सके, उसमें हम समन्वय और तारतम्य न ला सके।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी विकास की योजनायें हैं, जो हमारा विकास का ढांचा है उसको सामने रख कर शिक्षा की पद्धति को परिवर्तित करना होगा और इस प्रकार परिवर्तित करना होगा जिससे कि विकास के कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों को रुचि पैदा कर सके, उसमें हम शिक्षित लोगों को लगा सकें। यह बात एक सुझाव के रूप में कही जा सकती है। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 20–25 वर्षों से सम्भवतः हमारी फोल्टी मैन पावर प्लानिंग रही है। उसे जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हम नहीं कर पा रहे है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मैन पावर प्लानिंग इस देश में करें जिससे हमारा कार्य उत्तरोत्तर अच्छी तरह से चल सके।

अभी पहाड़ों में दो डिग्री कालेजेज खोलने की बात कही गई है और यह भी कहा गया कि शिक्षा का प्रतिशत कम है। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पुस्तिका आप हमें दी गई है उसके आधार पर बहराइच में साक्षरता का प्रतिशत 11 है, गोंडा में 13, बस्ती में 15, देवरिया में 17, गोरखपुर में 19, बदायूं में 12 और रामपुर में 13 है। इसके अलावा देहरादून में 45, नैनीताल में 32, अल्मोड़ा में 28, चमोली में 28, पिथौरागढ़ में 31 हैं.....

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)——

और गढ़वाल में....

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

वहां भी 13 और 16 प्रतिशत से अधिक ही होगा। मैं यह नहीं कहता कि पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था न की जाय, वहां होनी चाहिये। वहां पर जो दो डिग्री कालेज खोलने की बात कही गई है उसमें क्या पढ़ाया जायगा, कैसे विश्वविद्यालय होंगे, यह तो बाद में विचार करने की बात है .....

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

पूर्वी जिलों के लिये भी तो मांग करेंगे ?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

मांग करेंगे। जब विश्वविद्यालय की बात आयेगी तो कहेंगे। हमारे जो विश्वविद्यालय बने हुये हैं वे ही अधूरे हैं। उनका ही कार्य पूरा नहीं हुआ है। यह कह देना कि एक विश्वविद्यालय देवरिया में, एक बहाराइच में, एक बस्ती में खोल दिया जाय, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना विश्वविद्यालय शब्द का माखौल करना होगा। डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि बहराइच की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे बहराइच में एक महाविद्यालय है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है। बहराइच, गोंडा, बस्ती, ये ऐसे पिछड़े जिले हैं जो प्रदेश के अन्दर केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़े दिखलायी देते हैं। आवश्यकता है कि वहां कुछ राजकीय कालेज खोले जायं। वहां के लोग अगर कालेज खोलने के लिये तैयार हों तो वहां राजकीय कालेज खोलना आवश्यक है।

दूसरा सुझाव हम प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में देना चाहते हैं। इसके विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि दर्जा 8 में पब्लिक एक्जामिनेशन करें। आप प्राथमिक शिक्षा के लिये कहीं पर पब्लिक एक्जामिनेशन होल्ड करते ही हैं, फिर दर्जा 10 में पब्लिक एक्जामिनेशन होल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। आज आवश्यकता इस बात की है कि दर्जा 11 खोला जाय। उत्तर प्रदेश के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे यहां के विद्यार्थी जो डिफेन्स के कम्पटीशन में बैठना चाहते हैं तो वे उसमें इसलिये बैठ नहीं पाते कि वहां पर इंटर या हायर सेकेंडरी परीक्षा पास हुए लड़कों की ही गुंजायश रहती है।

बहुत से स्टेट्स हैं जिन्होंने दर्जा 11 को स्वीकार कर लिया है और जिसे हायर सेकेंडरी के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में और एकाध स्टेट में ही इंटरमीडिएट का कोर्स रखा गया है वरना हर जगह सारे देश में दर्जा 11 तक की परीक्षा को स्वीकार कर लिया गया है। उनमें सामन्जस्य न होने की वजह से हमारे यहां के विद्यार्थी दिल्ली के किसी कालेज में प्रवेश पाने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं क्योंकि वहां तीन वर्ष का कोर्स है बी0ए0 और बी0 एस-सी0 का और हमारे यहां इस प्रकार का कोई समन्वय नहीं होता है। हम समझते हैं कि आज जो स्थिति है, और आज जो परिस्थिति हमारे सामने है उस परिस्थिति में अपने यहां तीन वर्ष का कोर्स स्वीकार कर लेना चाहिये।

दर्जा 8 पास करने के बाद दर्जा 9, 10 और 11 जिसको हयार सेकेंडरी के नाम से पकारते हैं, उसका एक इम्तहान कर दिया जाय और एक दर्जा 8 का इम्तहान कर दिया जाय। इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में जिसको हयार सकेंडरी के नाम से पुकारते हैं डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा यानी दर्जा 11 तक जो शिक्षा दी जाय उसका पाठ्यक्रम ऐसा हो कि दर्जा 11 पास किया हुआ लड़का अगर किसी ट्रेड में जाकर कोई दूसरा काम करना चाहे तो वह उसे आसानी से कर सके।

हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल का पाठ्यक्रम डेवलपमेंट ओरिएन्टेड और ट्रेड ओरिएन्टेड होना चाहिये जिससे हयार सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद कोई लड़का किसी ट्रेड में जाना चाहे तो वह उस ट्रेड में जा सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हयार सेकेंडरी स्कूल तक डेवलपमेंट ओरिएटेंड और ट्रेड ओरिएन्टेंड स्कीम रखनी चाहिये। उसके लिये ऐसा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम रखने की जरूरत है।

एक बात और कही गयी महिलाओं के बारे में। यहां के कुछ आंकड़े दिये गये हैं, आप देखेंगे कि बहराइच मे जहां 11 फीसदी पुरुष शिक्षित हैं वहां महिलायें केवल 4 प्रतिशत शिक्षित हैं। इसी तरह से सब जगह की हालत है। वहां महिलाओं और बालिकाओं के लिये कोई कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। महिलाओं के लिये कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बन सके हैं। मान्यवर, मुझे जिला परिषद् का अध्यक्ष रहने का भी थोड़ा सा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि जिला परिषदों में शिक्षा के नाम पर अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ा दी जाय। दर्जा 1, 2 तथा 3 की संख्या बढ़ा दी गई रिपोर्ट आ गई कि 96 प्रतिशत बालकों की और 64 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि यह सत्यता से परे है। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है।

एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 1951–1972 तक के व्यय को देखें प्राथमिक शिक्षा में 12 गुना व्यय बढ़ गया, माध्यमिक शिक्षा में 22 गुना तक विश्वविद्यालय की शिक्षा स्तर में दस गुना व्यय बढ़ा है और ट्रेनिंग कालेजों में चार गुना बढ़ा है। जहां हम 1951 में 6 लाख रुपया खर्च करते थे वहां आज 27–28 लाख रुपया खर्च करते हैं अर्थात् 5 गुना करते हैं आपके सामने है कि आप अच्छा ह्यूमन मैटीरियल बनाना चाहते हैं, आप अच्छे आदमी बनाना चाहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग पर बल देना आवश्यक है।

आप अध्यापकों का वेतनक्रम भी अच्छा करने जा रहे हैं। आपनें इंटरमीडिएट के प्रवक्ता का भी अच्छा वेतनक्रम कर दिया है और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों का भी वेतन-क्रम अच्छा हो गया है तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जब लड़के हाई स्कूल, इंटर या बी० ए० कर लेते हैं तो उसको ट्रेनिंग दी जाय। अगर डाक्टर को लम्बी ट्रेनिंग दी जा सकती है, इंजीनियर्स को लम्बी ट्रेनिंग दी जा सकती है और उसके बाद उनके लिये कहा जाता है कि वे टैक्निकल हैन्ड हैं तो कोई वजह नहीं है कि अध्यापकों को ट्रेनिंग न दी जाय। जब उनको ट्रेनिंग दी जायगी तो वे भी उस विषय के एक्सपर्ट हो जायेंगे। इसलिये जब आप इतने डायरक्टोरेट बनाने जा रहे हैं तो एक ट्रेनिंग का भी डायरेक्टोरेट बना दीजिये। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आप बेसिक ट्रेनिंग भी देगें, हायर सेकेंडरी की भी ट्रेनिंग देंगे, इससे आगे चल कर बी० ए० करने के बाद एल० टी० तथा बी० एड० की ट्रेनिंग देते हैं। इसलिये आज आवश्यकता है कि ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया जाय और इसके ढांचे को परि-वर्तित करके अच्छा बना दिया जाये जिससे अच्छा कार्य संचालित हो सके।

यह बात सही है कि आजकल ग्रांटस में भ्रष्टाचार होता है हम समझते हैं और सब इसको स्वीकार करते हैं। आज विरोधी भाई भले ही कह दें कि जब भ्रष्टाचार है तो अनुदान में पैसा क्यों देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के जब इलाहाबाद के कार्यालय में जाते हैं या इंस्पेक्टर के कार्यालय में जाते हैं तो वे ग्रांट पाने के लिये सोचते हैं जब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इस तरह की चीज क्यों न कर दी जाय जिससे ग्रांट मिल जाय। यह डिस्क्रीशन की बात है। जहां डिस्क्रीशन को बदलने की बात है वही हमारी आनेस्टी का प्रश्न उठता है। अगर हमारे पास डिस्क्रीशन का पावर नहीं है तो वहां ईमानदार या बेईमान का क्या मापदंड हो सकता है। जब डिसक्रीशन होगा तभी आनेस्टी की बात आती है।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[डाक्टर हरि प्रसाद शाही]

मान्यवर, यह जो शिक्षा आय का ब्योरा पेश किया गया है वह 138 करोड़ रुपये का किया गया है। कुल 38 करोड़ रुपया शुल्क के रूप में आ सकता है, 110 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में मिलता है। अगर एक परसेंट भी घूस के रूप में चला जाता है तो करीब एक करोड़ रुपया चला जायेगा। यह रुपया कहां गया? यह ब्लेक मनी में गया। काले धन में चला गया। यह हमारी आर्थिक व्यवस्था को गड़बड़ कर देगा। अगर यह एक करोड़ रुपया सर्कुलेशन में चला जायेगा तो हमारी इकोनोमी को भ्रष्ट कर देगा और यह उस स्थान का ही रहा है जिसे हम विद्या मंदिर कहते हैं वह स्थान जिनको विद्या के मन्दिर कहकर पुकारते हैं कम से कम वहां तो ऐसा न हो। दूसरी जगह ऐसी-एसी बा क्षम्य हो सकती है लेकिन विद्या मन्दिरों में नहीं इसलिये इस अनुदान व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान और अधिकारियों का ध्यान जाना चाहिये।

दो शब्द विश्वविद्यालयों के विषय में कहेंगे। विश्वविद्यालयों के सामने आज एक ही प्रश्न है और वह उनके स्वायत्तता का। विश्वविद्यालयों का कहना है कि हमको अधिकार होना चाहिये कि हम अपने को स्वयं संचालित करें। बात सही है, विश्वविद्यालयों का जन्म ही दो विचारों से हुआ है सेल्फ डिफिनीशन और सेल्फ डायरेक्शन मतलब यह है कि वे स्वपरिभाषित हों और वे स्वयं अपने कार्यकलापों का निर्देशन करें। उन को परिभाषित करने का अधिकार प्राप्त हो कि वह किस दायरे में कार्य करें, वे स्वयं सक्षम हों अपने दायरे को घटाने और बढ़ाने के लिये, अपने कार्यालयों को बढ़ाने का और उनको घटाने का उनको स्वयं अधिकार हो।

बारहवीं शताब्दि में जब इंगलैण्ड में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी तब से ही यह भावना उन दिनों वहां पनपी और हमारे यहां की भावना तो बहुत पुरानी है और यहां भी सेल्फ डिफिनीशन और सेल्फ डायरेक्शन के आकार पर संस्थायें खड़ी करने का प्रयास हुआ। उस प्रयास को सुरक्षित रखते हुये आज की स्थिति में जब हमारे सामने सामाजिक न्याय का एक मापदंड खड़ा है जिसको कि हम सोशल जस्टिस के नाम से पुकारते हैं जिसे हम एक मिक्स्ड एकनामी के नाम से पुकारते हैं और जब हम राजनैतिक दृष्टिकोण से सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी की बात स्वीकार करते हैं तो सैद्धान्तिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी एक ढांचे को हम ने स्वीकार किया है। जिसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एक अच्छे ढंग से रहे और उसका एक मापदंड, एक तरीका और एक आदर्श हो उसे क्या हम सेल्फ डिफिनीशन और सेल्फ डायरेक्शन के सिद्धान्त के साथ रख सकते हैं? यह बड़ा भारी प्रश्न है।

इसका सामंजस्य किया जाय या नहीं, कुछ दिन पहले माननीय गुप्ता जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार के केन्द्र हैं जहां पर विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। यह तो ठीक है लेकिन यह भी कि सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भी अब हमारे सामने आ गया है, हम किस अंश तक उसका समावेश कर रहे हैं, इसको देखना हमारा बड़ा भारी उत्तरदायित्व है।

20 साल तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में काम करने का मेरा अनुभव है और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारा विश्वविद्यालय विधेयक आया तो उसमें कुछ बातें ऐसी थीं कि जो खलती हैं, जो कुछ अच्छी भी हैं वहां के अध्यापकों के संबंध में और वहां के वातावरण के सम्बन्ध में। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व किसका हो? इसका सारा उत्तरदायित्व अध्यापक का है। मैं स्वयं 25 वर्ष तक अध्यापक रहा हूं। और 20 वर्ष तक मैंने विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा क्षेत्र में काम किया है और मैं कह सकता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार हम शैक्षिक वातावरण विश्वविद्यालयों में बनायें।

आज की स्थिति क्या है ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत अधिक दुखदायी स्थिति है और अध्यापकों का दृष्टिकोण ही आज दूसरी प्रकार का हो गया है और एक कुचक्र सा बन गया है। अध्यापक कहते हैं कि विद्यार्थी अनुशासित है और विद्यार्थी कहते हैं कि अध्यापक कुछ नहीं पढ़ाते। एक अजीब विशेष सर्किल बन गया है, एक कुचक्र बन गया है और पता नहीं लगता कि दोषी कौन है ? यह हमारे लिये कठिनाई पैदा करने वाली स्थिति है कि हम ठीक से पता लगायें कि दोषी है कौन। डाक्टर श्रीमाली ने ठीक ही कहा हवाई अड्डे पर अधिक दिखलाई देते हैं अपेक्षाकृत कक्षाओं में और विश्वविद्यालय के प्रोफसरों के बारे में तो मैं आंकड़े दे सकता हूं। एक विश्वविद्यालय, जिसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी में मैं 10 वर्षों से हूं, जानता हूं कि एक अध्यापक ने अंग्रेजी के एक पेपर में साल में केवल 3 लैक्चर्स दिए। क्या जस्टीफिकेशन है, इतना कम पढ़ाई क्यों ? प्रोफेसर्स लोगों का ज्यादातर कार्य निरीक्षण का, बोर्ड आफ स्टडी का, मोडेरेशन का और कान्फ्रेन्सेज का और प्रैक्टिकल परीक्षा का विशेष रह गया है। उनका सारा समय इन्हीं कार्यों को करने में व्यतीत हो जाता है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में करीब 72 कालेजेज हैं, उनकी मान्यता का प्रश्न उठता है। इस वर्ष 56 कालेजेज की मान्यता का प्रश्न है। यदि एक कालेज के निरीक्षण के लिए तीन अध्यापक को भेजा जाय तो आप सोच सकते हैं कि कितने अध्यापक हमारे निरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं, और सबके कार्यों को तो छोड़ दीजिए ? गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थ शास्त्र विभाग में एक भी लड़का पिछले दस वर्षों में पी० एच० डी० वहां के प्रोफेसर के अन्दर नहीं किया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोफेसर के रहने की क्या आवश्यकता है जब वहां पर कोई शोध कार्य होता ही नहीं है।

जब हम 1,600—1,800 के विशेष वेतन क्रम में प्रोफेसर्स को रखते हैं तो क्या तात्पर्य है कि वहां पर शोध कार्य न कराया जाय ? जब इस प्रकार की दशा है तो मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों के प्रवेश में दोष है प्रवेश का जो ढांचा बना हुआ है वह ठीक नहीं है लेकिन यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में अच्छा शैक्षिणिक वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व जितना विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के ऊपर है, उतना और किसी के ऊपर नहीं है। कानून बना है कि अध्यापक 1 हजार रुपये से ज्यादा परीक्षा शुल्क एक विश्वविद्यालय से एक सत्र में नहीं ले सकते हैं लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्रोफेसर 10,000 रुपये से कम रैम्युनरेशन एक सत्र में देश के सभी विश्वविद्यालय का नहीं पाता है लेक्चरर को अवसर नहीं मिलता है। यही कारण है कि प्रोफेसर्स और लैक्चरर्स में भी घोर असन्तोष है। अन्ततोगत्वा जितना इस स्थिति को ठीक करने का उत्तरदायित्व इन प्रोफेसर्स के ऊपर है, उतना किसी और के ऊपर नहीं है।

जहां तक वाइस चान्सलर्स का सम्बन्ध है मैं यह कहता हूं और इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के सामने विनम्र निवेदन करता हूं कि इनके कारण विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी दोष है। एक उपकुलपति एक विश्वविद्यालय में कोई छूट दे देते हैं, तो दूसरे विश्वविद्यालयों में वही मांग हो जाती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारे एक वाइस चान्सलर श्री राव ने कहा कि विद्यार्थी जुलाई में फीस दे दें और मार्च के महीने में फीस देना। कोई हर्ज नहीं है। वहां का एक विद्यार्थी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आज लखनऊ विश्वविद्यालय का भी छात्र संघ का प्रेसीडेंट हो गया। मार्च में परीक्षा के समय लड़के फिर माफी के लिये घेरते थे और छूट दी जाती थी। हाजिरी की भी छूट दे दी गई जो लड़के एक दिन भी कक्षा में हाजिरी नहीं दिये उनको भी परीक्षा में बैठने की छूट दे दी गई। तो उन्होंने मांग की कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कन्सेशन दिया गया है, वह लखनऊ विश्वविद्यालय में मांग का रूप ले लिया।

[डाक्टर हरि प्रसाद शाही]

3 वर्ष के लिए एक वाईस चन्सलर एक विश्वविद्यालय में जाता है, वह एक तरह का दृष्टि-कोण अपनाने की चेष्टा करता है, नयी परम्परा डालने की कोशिश करता है और जब नया आदमी आता है अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरी परम्परा डालने का प्रयास करता है। एक डालता है तो दूसरा उसे तोड़ता है। इस प्रकार की भावनायें आज हमारे विश्वविद्यालयों में बन रही हैं। यह हो सकता है कि मैंने आवेश में 50 प्रतिशत कहा हो लेकिन 33 फीसदी तो हम कह ही सकते हैं, इसका उत्तरदायित्व हमारे वाइस चांसलर महोदय को है।

मणी जी रजिस्ट्रार के लिये कह रहे हैं मैं तो समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति तो विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से रहे रजिस्ट्रार पद को स्थानान्तरण का अखाड़ा बनाने से कोई लाभ नहीं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ऊपर का अफसर अच्छा है और वह दृढ़ता के साथ अपना काम करता है, तो अधीनस्थ कर्मचारी भी उसके मुताबिक चलेगा। इसलिये यह कहना कि रजिस्ट्रार के या उसके अधीन कर्मचारियों के हटाने से विश्वविद्यालय के दोष कि इससे वह दूर हो जायेगी, तो इससे दूर नहीं होगी। मैं सुझाव देना चाहता हूं विश्वविद्यालयों में आप अच्छा प्रशासन दो तरीकों से ला सकते हैं, एक तो है एकेडेमिक और दूसरा प्रशासनिक। शैक्षिक अधिकार तो अध्यापकों को पूरा-पूरा दे देना चाहिये। बजट में धनराशि का प्राविधान कर दिया जाय और उनको स्वतंत्रता हो कि वह विभाग के प्रोजेक्ट को कैसे चलायेंगे। कौन-कौन पुस्तक खरीदेंगे आदि यह उनकी स्वतंत्रता है कि कौन सी किताब खरीदेंगे। यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कोर्ट में हो। कोर्ट में करेंगे तो कार्यकारिणी परिषद् में क्यों नहीं करेंगे? कार्यकारिणी तो और महत्वपूर्ण है। कोर्ट में बैठे, तो कार्यकारिणी में क्यों न बैठें?

मान्यवर, मैं मिर्जापुर की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां एक महोदय विशेषज्ञ होकर गये थे। विद्यार्थियों को करना कर स्टेशन पर ही इतना परेशान किया गया कि वह भाग आये। तो स्पाट होकर आये हों; चलो। तो यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। चुनाव समिति बैठकर वहीं के अध्यापक को चुनली। जो परीक्षा अधिकारी है, और जो परीक्षा का कार्य करता है। उसके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं, इनको उस प्रशासन की इकाई बना दें। जहां तक शैक्षिणिक कार्य है, उसका उत्तरदायित्व अध्यापकों को दे देना चाहिये। इससे अध्यापकों को संतोष होगा। इस प्रकार का जो सुझाव है, इससे अच्छा कार्य हो सकता है। मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् में आज भी अध्यापकों का बाहुल्य है। विश्वविद्यालयों में जो पालिटिक्स है वह इसी वजह से है। मद्रास विश्व-विद्यालय, सिंडीकेट विश्वविद्यालय में प्रध्यापकों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है फिर भी वहां का कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। तो हमारे विश्व-विद्यालय में अगर अध्यापकों के प्रतिनिधित्व को कम कर दें, तो कोई दोष की बात नहीं हो सकती है।

जहां तक यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन की बात आई है, वह हम चाहते हैं कि उसे जीवित संस्था बनाई जाये। ग्रान्ट देने का कार्य इस संस्था के माध्यम से किया जाये। नहीं तो डर यह है कि जो दोष अनुदान देने के माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में आ गये हैं वही कहीं विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा क्षेत्र में न आ जायं। वह दोष अब जो उपाधि महाविद्यालयों पर है, पोस्ट ग्रेजुएट कालजों पर यह दोष आ सकता है। अगर इनका निरीक्षण ग्रान्टस कमीशन द्वारा हो जाया कर और निरीक्षण कर लिया करे तो मैं समझता हूं कि शासन को सुविधा प्राप्त हो जायेगी और उसके आधार पर वह ग्रान्टस सरकारी तौर पर उनको दे सकेंगे। अब एक बात मैं विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं.....

श्री रामगोपाल संड—

आप एक-एक आदमी को कितना समय दे रहे हैं?

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

मुझे एक मिनट और दे दें ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

आप 55 मिनट बोलिये, मैं भी 55 मिनट बोलूंगा ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

विश्वविद्यालय जरूर बढ़ें लेकिन उनके कार्यक्रम में एक मोड़ देने की आवश्यकता है । इन शब्दों क साथ में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं और सरकारी पक्ष के जितने लोग बोलेंगे वह इसके समर्थन में बोलेंगे । इसलिये आज जब कि इसके आलोचना की आवश्यकता है, कन्स्ट्रक्टिव सुझाव की जरूरत है, इसके लिये आपको अधिक से अधिक समय विरोध पक्ष को देना चाहिये, क्योंकि विरोध पक्ष की सभी बातों का उत्तर हमारे मंत्री जी दे ही देंगे । यही मैं कहना चाहता हूं । यह मैंने आपके विवेक पर छोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कटौती के प्रस्ताव पर श्री दीक्षित कितना समय बोले ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

करीब डेढ़ घण्टा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहें तो 10—10 मिनट दे दिया जाय ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

10 मिनट में क्या होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

डेढ़ दिन का समय होता है, समय तो नहीं बढ़ाया जा सकता । आज का दिन तो बीत गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

विरोध पक्ष को ज्यादा समय देना चाहिये क्योंकि बोलने की आवश्यकता इधर वालों को है । आपको पहले से ही समय निश्चित कर लेना चाहिये ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, जहां तक शिक्षा जगत की बात है अगर हम 25 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल का सिंहावलोकन करें तो ऐसा लगता है कि यह सरकार अंग्रेजी सरकार की वारिस है, लेकिन उद्देश्य रहित है । यह जो शिक्षा की पद्धति चालू है यह मैकाले द्वारा चलाई हुई है । मैकाले का एक उद्देश्य था क्लर्क पैदा करना, लेकिन इस सरकार का उद्देश्य क्या है ? यह तो उद्देश्य रहित है । चाहे दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुये हों, चाहे लखनऊ की कुर्सी पर बैठे हुये हों । श्रीमन्, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि यह कह सकें कि उद्देश्य क्या है, किस रुप में यह शिक्षा को देंगे और कैसे देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

आज यह शिक्षा जगत की दुर्दशा है। माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत से आंकड़े दे दिये कि इतने स्कूल खोले, इतने अध्यापकों को रखा, वगरा-वगैरा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निरक्षरों की संख्या क्या है? निरक्षरों की संख्या 78 सैकड़ा है। 25 वर्षों में शासन काल में जिस प्रान्त में 78 सैकड़ा निरक्षर हों यह आपकी प्रगति की निशानी है। हिन्दुस्तान की हालत क्या है। एक हजार के पीछे पढ़ने वाले लोगों की संख्या तीन है और उत्तर प्रदेश में डेढ़ के करीब आती है। यह आपकी प्रगति की निशानी है।

यह श्रीमन् गांधी जी की बात भूल गये, अब तो नेहरू और इन्दिरा गांधी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। क्या यही है गांधी जी के स्वप्नों का प्रभाव। गांधी जी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के घोर विरोधी थे। गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी जनतंत्र में सरकार की शक्ति को कमजोर करना चाहते थे और जनता की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी ने 'सपनों का भारत' में लिखा है कि मैं राजकीय सत्ता की वृद्धि को बड़े से बड़े भय की दृष्टि से देखता हूं। इसी प्रकार स्वराज्य की कल्पना करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्ति होने के लिए लगातार प्रयत्न करना। फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। स्वराज्य हो जाने पर लोग अपनी हर छोटी बात के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दें तो वह सरकार किसी काम की नहीं होगी।

गांधी जी यह चाहते थे कि शिक्षा शासन से बिल्कुल मुक्त हो। इस तरह से गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी। शिक्षा जगत को स्वतंत्र रखें यह गांधी जी कहते थे। उनका कहना था कि जैसे न्यायालय हैं और सरकार वहां तनख्वाह देती है लेकिन उनके निर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं होता इसी प्रकार शिक्षा संस्थाओं पर भी शासन का नियंत्रण नहीं होना चाहिये। वह शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे बल्कि विद्यालयीकरण की बात करते थे। वह चाहते थे कि शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध वहां के शिक्षक और अभिभावक मिल कर करें। इस तरह वह विद्यालयीकरण की कल्पना करते थे। लेकिन आप तो एक मंत्र जप रहे हैं राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। आपने प्राथमिक शिक्षा का नाम बदल कर बेसिक शिक्षा कर दिया। इससे क्या फर्क हुआ?

बुनियादी शिक्षा पर गांधी जी ने एक किताब लिखी थी। हरिजन में भी हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिये इस पर गांधी जी ने काफी लेख लिखे। लेकिन उनको न कोई पढ़ने की कोशिश करता है और न उन पर चलने की कोशिश करता है। बस एक रट लग गयी कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो। जब अंग्रेजी शासन था तो उनसे हम आमूल परिवर्तन की बात कहते थे। लेकिन आज शासन में कौन बैठा है? आज सारे इन स्थानों पर आप बैठे हैं, इन्दिरा जी बैठी हैं और पंडित जी बैठे हैं। क्या कठिनाई है समझ में नहीं आता है शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने में जिससे चरित्र निर्माण होगा और राष्ट्र निर्माण होगा। गांधी जी कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा को दस्तकारी से, शिल्प से जोड़ना होगा। क्या दिक्कत है इसमें? इससे तो आमदनी बढ़ेगी और शिक्षार्थी मेहनत करेगा---पुरुषार्थ करेगा।

दूसरी बात यह है कि अनुशासन कहां गया? रोज तोड़फोड़, स्त्रियों से छेड़छाड़, आगजनी सिनेमे के गाने—एक आम बात हो गयी है। सिनेमे के स्टेंडर्ड हमारे जीवन के आदर्श बन गये हैं। शिक्षा जगत में पंडित जी वृद्धि कर रहे हैं।

आज परीक्षाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं कि 90 सैकड़े लड़के छुरी और चाकू लेकर नकल करते हैं। जब मुख्य मंत्री के गोतेया पोती से बीमारी का बहाना लेकर नकल करायी जाती है तो लड़कों पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। वे सोचते हैं कि अगर मुख्य मंत्री के पास एक साधन और शक्ति है तो हमारे पास चाकू छुरा है, हम टेबिल पर रखकर नकल करेंगे। इसलिए मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप वह काम कीजिये

जो कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा संस्थाओं को राजनीति के अखाड़े से दूर कर दें। श्रीमन्, मेरा यह विश्वास है कि जिस दिन राजनीतिक नेता शिक्षा संस्थाओं के अहाते से दूर कर दिए जाएंगे उसी दिन शिक्षा जगत का सुधार होगा। इसीलिए गांधी जी विद्यार्थियों से कहा करते थे। उन्होंने कहा है:

विद्यार्थियों के लिये समाजवाद है नहीं, कम्यूनिज्म है नहीं, कांग्रेस है नहीं। उसका एक काम है विद्याभ्यास करना जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, हड़ताल उनके लिए निकम्मी है, यह सबके लिए घातक है।

ये विद्यालय राजनीति के अखाड़े बन गये हैं। आज कल छात्र राजनीति अधिक करते ह, पढ़ते कम हैं। उसका नतीजा यह है कि आपके कार्यकाल में जितने विश्वविद्यालय और कालज बन्द हुए हैं, पुलिस के बर्बरतापूर्ण आक्रमण हुए हैं उतने आज तक किसी शासन में नहीं हुए। अगर आप राजनीति को हटाना चाहते हैं तो भारतीय क्रान्ति दल पीछे नहीं रहेगा।

राजनीति के अखाड़े मे जो छात्र संगठन बन रहे हैं, आप उनसे दूर हो जायं। इससे शिक्षा में आमूल परिवर्तन आवेगा। छात्रों के अन्दोलन यदि इस कार्य के लिये होते कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो ठीक होता। यदि इस तरह का आन्दोलन होता तो देश का भविष्य उज्ज्वल होता लेकिन छात्रों को कांग्रेस और समाजवाद के खेमों में बांट दिया गया है और वह समुदाय इस कारण अपना हित नहीं समझ पा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात को रोकने के लिये विरोधी दल को आमंत्रित करें। ऐसा नहीं होगा तो प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसको आप देखे। हम लोग भी पढ़े हैं। पहले ब्रह्मचर्य पर शिक्षा दी जाती थी, अब परिवार नियोजन पर शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के पाठ्यक्रम में यदि नसबन्दी पर पाठ होगा तो क्या उन पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिये मेरा कहना है कि पाठ्यक्रम सोच समझकर रखिये। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिये। उसके लिये राजनीति छोड़कर कमेटी बननी चाहिये जिसमें दूसरी पार्टीज के लोग भी लिये जा सकें। आपका प्रशिक्षण जो है वह ठीक नहीं है। जो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं उसमें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है। आपको इसके कारणों पर ध्यान देना होगा। 16 वर्ष का पाठ्यक्रम एक छात्र का बना लिया जाय। इसको चार भागों में बांट दिया जाय। कक्षा 1 से 4 तक के लड़के के लिये आप 3 घंटे की शिक्षा रक्खें, 5 से 8 तक की कक्षा के लिये लड़के के लिये आप 4 घंटे की व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा रक्खें। 9 से 12 तक की कक्षा के लड़कों के आप व्यवसायिक शिक्षा रक्खें और 13 से 16 तक की कक्षा के लड़कों के लिये टेक्निकल ज्ञान रक्खें।

श्री रामास्वामी आयंगर ने अमेरिका की शिक्षा के बारे में बतलाया था कि वहां जो गांव हैं वह प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन खुद करते हैं। पाठ्य पुस्तकें कैसी होंगी, अध्यापक कौन होंगे, यह वह खुद तय करते हैं। अमेरिका में हर विद्यालय के साथ कोई न कोई फार्म लगा हुआ है। आप इस समय सीलिंग कर रहे हैं तो आपको भी इसके लिये जमीन मिल सकती है। आप इसके लिये प्रयत्न करें और ऐसा करें कि माध्यमिक शिक्षा स्वावलम्बी बना दें।

ठीक है, आप कहते हैं कि पढ़ाई करेंगे और पढ़ने वाले सब नौकरी में जायंगे तो करेंगे, लेकिन यह किसका दोष है? यह छात्र का दोष थोड़े ही है। वह तो बी० ए०, एम० ए० की डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं, बेकारों का कारखाना बढ़ाते हैं और श्रम करने से भागते हैं। श्रम करना पाप समझते हैं। हमारे यहां तो श्रीमन्, ऐसे ही लोगों की बिरादरी सबसे बातूनी है। उन्होंने कह दिया कि श्रम करना ही पाप है। इसी कारण आज के छात्र किताबी

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

कीड़े मात्र रह गये हैं। मंत्री जी सुन लें। आपने नौकरी का संबंध जोड़ा है डिग्री से। मैं कहता हूं कि इसे तोड़िये। जब तक नौकरी का संबंध डिग्री से रहेगा तब तक नकल तो होती ही रहेगी, छुरी भी चलती रहेगी और अध्यापक भी पिटते जायेंगे।

अमेरिका की पद्धति है कि वहां नौकरी डिग्री के आधार पर नहीं मिलती। चाहे कल-कारखाने की नौकरी हो या सरकारी हो। सब की परीक्षा होती है। यहां तो जितनी अच्छी-अच्छी नौकरियां हैं केवल दरख्वास्त आमंत्रित और उसी की बुनियाद पर नियुक्ति। न कोई परीक्षा, न कुछ। इसके पहले जो सरकारें थीं, परीक्षाएं करके नियुक्तियां करती थीं। इंजीनियरिंग, ओवरसीयर, पी० डब्ल्यू० डी० में, सिंचाई में भी यही हो रहा है। एक नहीं हर विभाग की हालत यही हुई है कि लोगों की न मौखिक परीक्षा, न लिखित परीक्षा। केवल दरख्वास्त दीजिये और नियुक्ति। अब मंत्री के ऊपर है, उसके सचिव के ऊपर है, आफिस के ऊपर है। और हमको तो यह सूचना मिली है, आंकड़े गलत नहीं होंगे कि ऐसी जब नियुक्तियां होती हैं तो भ्रष्टाचार वहां पनपता है, आप रोक नहीं सकते और निजी सचिवों ने एक-एक नियुक्ति में 5—5 सौ, हजार-हजार रुपया लेकर अनेक नियुक्तियां की हैं---यह मेरे पास खबरें हैं। तो इसको आप खत्म कर दें।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा पद्धति। इसका बदलना अनिवार्य है, यह देख लें। अमेरिका और रूस में तो परीक्षा में पास फेल का निर्णय इस तरह से नहीं होता, वह अभ्यास पर निर्भर करता है---3 घंटे की परीक्षा पर नहीं। अध्यापक महीने भर अभ्यास कराते हैं, छात्र करते हैं और साल भर के बाद भी डिग्री नहीं मिलती पास, फेल केवल। आप इस प्रकार की बात करेंगे तो नतीजा यह होगा कि आपका विद्यार्थी शिक्षार्थी बनेगा और परीक्षा उसकी अगर कराते रहेंगे तो वह परीक्षार्थी नहीं बनेगा। आज परीक्षार्थी होकर पास होने के लिए, जैसे मैंने बताया, वह अनेक हथकंडे अपना रहा है।

मैं अधिक न कहकर, माननीय मंत्री जी ने सुझाव देने के लिये कहा था, तो सुझाव दे दिया। लेकिन यह सुझाव तो मानेंगे नहीं। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराय, यही हालत है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

एक मेरी प्रार्थना है। हरद्वार म्युनिसिपैलिटी के एक चेयरमन हैं राममूर्ति जी, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया दूसरी पार्टी के कुछ व्यक्तियों ने जिसके कारण चारों तरफ असन्तोष है। वह आदमी गिरफ्तार तक नहीं किया गया। उसको बचाने के लिये दूसरे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी दुर्घटना वहां हो जायगी अगर इस प्रकार का असन्तोष फैलेगा। आप उसको नियम 51 में मंजूर कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

अल्पसूचित प्रश्न आप पहले कर लें तो ठीक होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप उनके पास भेज दीजिये तो बड़ी कृपा होगी

श्री उपाध्यक्ष—

भेज तो देते ही हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह प्रश्न पहले भी उठाया था । आपने कहा था कि आप रेपीट कर दें तो हम स्वीकार कर लेंगे । वह इतना महत्वपूर्ण है कि हरद्वार में अगर आप जायेंगे और स्टेशन से नीचे पैर रखेंगे तो वहां हाय-हाय मची हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पुलिस बजट अभी है । अवसर मिल सकेगा । वह मरे नहीं हैं, तेजाब फेंकने की बात है । इसे स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

राजनीतिक हत्या का प्रश्न है । 51 में स्वीकार न करें तो केवल वक्तव्य ही करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोहनलाल कपूर का है चमड़े का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने से जूते बनाने के कुटीर उद्योग तथा कारीगरों को क्षति ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

चमड़ा इतना महंगा हो गया है कि लाखों आदमी जो चमड़े का व्यापार करते थे आज बेकार हो गये हैं । वे चमड़ा खरीद ही नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—

महंगाई तो हर चीज की है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

चार रोज की चीज एक ही दिन रख दी जाय तो हमारा क्या दोष है । जिस दिन दिया गया उसी दिन मंजूर करना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

इसमें व्यापारियों की बात नहीं है बल्कि छोटे-छोटे आदमी जो जूते बनाते थे उनके लिये चमड़ा बहुत महंगा हो गया है । ये गांव-गांव में फैले हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक माननीय हरिनाथ तिवारी का है जनपद मिर्जापुर की सूखे से पीड़ित जनता द्वारा प्रदर्शन किये जाने पर पुलिस द्वारा अत्याचार । यह भी अस्वीकार है ।

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने दिया है कस्बा रूरा, जिला कानपुर के श्री महेन्द्र सिंह तथा श्री अजय सिंह को गत ब्लाक चुनाव में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना । यह विषय नियम 51 के योग्य नहीं है ।

ए 5 माननीय गोपालदत्त ओझा का है दिनांक 12-3-73 को एवं उसके दरम्यान पिथौरा-गढ़ जिले में ओला वृष्टि से गेहूं की फसल एवं सब्जी को नुक्सान । यह भी अस्वीकार है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

एक दूसरा माननीय कल्पनाथ सिंह का है गोरखपुर जिले के बड़हलगंज कस्बे में महुवामार इंटर कालेज के प्रिंसिपल को स्थानीय पुलिस की साजिश से गोली मारना। यह तो पुलिस बजट में कहा जा सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

और देख लें। नीचे यह भी लिखा हुआ है कि चन्द्रभाल नामक उस कस्बे के एक निवासी ने अपने भाई को पलिस की साजिश से गायब करने का आरोप लगाया है और उसका भाई गुम है, उसका पता नहीं है। उसके गोली लगी है .....

श्री उपाध्यक्ष—

उसका उपचार अदालत में है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अदालत में पुलिस मामले को भेज ही नहीं रही है । या तो आप नियम 51 को ही कार्य सूची से निकलवा दीजिये या....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप मंत्री जी से 3 दिन में उत्तर भिजवा दें। मैं अल्प सूचित प्रश्न कर लूंगा, पर मुझे शक है वह स्वीकार होगा नहीं । मैं प्रश्न भेज दूंगा। जिम्मेदारी आपकी है...

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी जिम्मेदारी क्या है ? नियमों के अनुसार ही तो काम होगा । वक्तव्य के लिये जितने स्वीकार हैं उन्हीं के लिये समय नहीं है ।

श्री मोहनलाल कपूर—

इन्टरमीडियेट में सामान्य हिन्दी का पर्चा आऊट हो गया है, उस संबंध में आप मंत्री जी से कह दें, यह हजारों मेधावी छात्रों का मामला है, यह पर्चा दोबारा बने। दो रोज सदन होगा नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष—

और सब अस्वीकार किये हैं मैंने ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने एक और नियम 51 में आयुर्वेदिक कालिज के संबंध में दिया था डीयरनेस अलाऊन्स आदि के संबंध में.....

श्री उपाध्यक्ष—

मेडिकल ग्रान्ट पर बोलने का समय मिलेगा, तब आप कहें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उस वक्त समय कहां होगा, आप वक्तव्य दिला दें । मैंने सुना है सरकार ने कुछ निर्णय ले भी लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह बजट के समय आप कह सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, उस वक्त समय नहीं मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये जितने स्वीकार हैं उन्हीं के लिये समय की कमी पड़ रही है। अभी जो आये भी थे उनको स्थगित करना पड़ा । आगे समय का अभाव है यह भी तो देखिये ।]

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ठीक है, मान्यवर, मगर वक्तव्य दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आइटम नं 9 लिया जायेगा । 5.10 से 7.10 तक वह चलेगा ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जिस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह चर्चा शुरू हो रही है, वह मैं ऐसा मानता हूं न केवल हमारे देश की बल्कि सारे विश्व की महानतम शिक्षा संस्थाओं में है । एक ऐसे वातावरण में जिसका जन्म हुआ था, जो हमारे देश के उच्च कोटि के नेता थे, समाजशास्त्री थे और सारी शिक्षा संस्थाओं को जो उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में वहां पर जन्म दिया, वह विश्व के इतिहास में एक बेजोड़ बात है । मान्यवर, काशी विश्वविद्यालय की घटना को सारे विश्व की शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त वातावरण में जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि काशी विश्वविद्यालय आज अपनी घटनाओं से अक्रान्त है ही, लेकिन वहां जो आज वातावरण पैदा हो गया है, उसमें वह विद्यामंदिर जिस प्रकार से फंस गया है उसमें अन्य विद्यालयों और ज्यादा फंस जाना स्वाभाविक है । यह हमारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है ।

जब महामना मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि यह एक ऐसा विद्यालय होगा, जहां से स्वतंत्रता, आजादी और राष्ट्रीय विचार धाराओं का अभ्युदय होगा और वह एक ऐसा विद्या मंदिर होगा जो सारे संसार में अपनी रोशनी को फैलायेगा । कहा भी है कि यहां के शिक्षाविद सारे संसार को रोशनी दिया करते थे, अपने ज्ञान से प्रकाशित किया करते थे ।

"एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः
एवमेवं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

सारी मानव जाति का जहां से शिक्षा का प्रसार होता है, बुद्धि और ज्ञान का जहां उत्पादन होता हो, उन सारी चीजों का संकलन करके काशी विश्वविद्यालय की महामना मालवीय जी ने स्थापना की थी । मान्यवर, इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले सन 58 में एक घटना घटी थी, उसे छोड दें । समझौते चलते रहे, लड़कों के आपस में चलते रहे । किन्तु 58 के ही समय जब झगड़ा हुआ, वहां का छात्रसंघ जो विधिवत था, वह विगठित कर दिया गया था और उसके बाद करीब 8 महीने यूनिवर्सिटी बन्द रही ।

इस सन्दर्भ में एक बात मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सबसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं जिस विचारधारा से बोल रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं कम से कम ऐसी पार्टी के कार्यकर्त्ता की हैसियत से बोल रहा हूं, जिसका इतिहास 1885 से अब तक का है, जिसकी निश्चित नीतियां शिक्षा

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

जगत में और शिक्षा के सम्बन्ध में रही हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षा जगत में, आप श्रीमन्, स्वयं प्रोफेसर रहे हैं, जानते हैं, अवसर देखने को मिलता है, जितने बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री और शिक्षाविद् है, उनका कहना है हमारे यहां स्टूडेंट्स में आज अनरेस्ट है। वे अपना ऐसा विचार व्यक्त करते हैं, भले ही ये स्वयं इसमें रत रहे हों।

करीब-करीब सभी लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में राजनीति का प्रवेश न हो। अभी शिक्षा ग्रांट पर कटौती पेश करते हुये हमारी पार्टी के साथी श्री राम कुमार दीक्षित जी ने बहुत योग्यता के साथ चर्चा की, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति के दक्षिण के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिये कुछ भाषण का उद्धरण सुनाया। उसमें राष्ट्रपति ने इस देश के नागरिकों, अभिभावकों, और विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि इसको निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाय। यहां पर कोई राजनीति का प्रवेश न हो। वहां पर दूषित वातावरण का इनफेक्शन न हो।

मैं इस बात को भी मानता हूं कि राजनीति का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनके मिनिस्टर, नूरुल हसन साहब ने भी कहा है चंडीगढ़ में कि मैं भी चाहता हूं। लेकिन इस प्रदेश में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अलीगढ़ और बनारस बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं लेकिन उसी जगह पर हमसे अपेक्षा तभी की जा सकती है और सब पार्टी के लोगों से भी हो सकती है, जब कि यनिवर्सिटी के वातावरण के बिगड़ने पर बनने पर सरकार यह न समझे कि चूंकि हम पावर की सीट पर हैं इसलिये सारा अधिकार उनका है इस कार्य को करने का। यह मानकर चलें शिक्षा मंत्री कि यह ऐसा सब्जेक्ट हैं जिसमें सभी लोगों की विचारधाराओं का समन्वय है और सहयोग हो।

मैं इस बात की हामी भरता हूं कि विश्वविद्यालयों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये लेकिन यह तभी सम्भव होगा, जब ईमानदारी के साथ उस पक्ष के लोग इस बात को सोचे कि इन समस्याओं के समाधान के लिये ऐसे जैसे राउंडटेबिल कांफ्रेन्स की जाय, तमाम पार्टियों की कानफरेंस बैठाइये, कोई हल निकाला जाय। काशी विश्वविद्यालय, यह कहा जाता है कि जबसे श्री माली वाइस चांसलर आये हैं, कितने ही वाइस चांसलर आये और गये, सारे की चर्चा करके मैं सदन का बहुत ज्यादा समय ले लूंगा, मैंने मान्यवर, पढ़ा अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करने की कोशिश की जाती है। उसमें कहते हैं कि हर पार्टी के लोगों की यूनियन है। किसी समय एक तगड़ी हो जाती है किसी समय दूसरे का असर हो जाता है। यह सारी चीजें तब आती है जब राजनीतिक का प्रवेश हो जाता है।

मैं इस बात को कहता हूं कि हम तैयार हैं इस बात को करने के लिये शिक्षा के क्षेत्र में खास कर हमारे विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में जैसा राष्ट्रपति ने कहा है इसको निषिद्ध क्षेत्र घोषित करो। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बात की अगुवाई करने के लिये तैयार है दिल्ली और लखनऊ में। इसका उत्तर नहीं में आयेगा। अगर आयेगा भी कि तैयार हैं तो मान्यवर, कहने से क्या। व्यवहार में जो बातें आती हैं उन पर दृष्टिपात करने की जरूरत है। जब इस पार्टी का सारे देश में नारा लगा था, युवकों और देश के नागरिकों के दिमागों पर अपने आश्वासनों से इस तरह की छाप डाल दी कि युवकों के ठेकेदार यह हो गये, और सारे रिएक्शन के जिम्मेदार यह हो गये। उन्ही आश्वासनों के बाद में चार्ज करता हूं गवर्नमेंट को युवकों में इस प्रकार के सुनहरे स्वप्न मृगमरीचिका का संचार किया जो कभी पूरी नही होगी, अब वे आश्वासन पूरे नहीं होते तो उनसे निराशा पैदा होती है, और उनको उल्टा उसका फल भुगतना पड़ता है। तो आपस में क्लेश होता है।

शासक पार्टी के लोगों ने कम्युनिस्टों के इशारे पर, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के इशारे पर आज हमारे विश्वविद्यालय में आज गठबन्धन करके एक झगड़ा पैदा किये हुये हैं।

उनके टाप रैंकिंग नेता हीरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्त और कम्युनिस्ट ओरियेन्टेड कांग्रेस नेता चन्द्रजीत यादव वहां जाकर छात्रों के बीच में भाषण करते हैं और राज देव एम0 पी0 ने इसके लिये अपनी पार्टी को कंडम किया । 14 तारीख के आज अखबार जो बनारस से निकलता है उसमें उनके निकले भाषण के थोड़े से अंश को मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं "आश्चर्य तो इस बात का है कि यहां कांग्रेस तथा विरोधी दलों के नेता दिल्ली और लखनऊ से विश्वविद्यालय में आकर छात्रों को उकसाने तथा भड़काने का कार्य कर रहे हैं और स्थानीय जिला तथा शहर कांग्रेस कमेटी के स्थानीय सदस्य तथा पदाधिकारी मौन साधे हुये हैं ।" इसका मतलब यह हुआ कि आप उस नीति को बरतना नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय में राजनीति का प्रवेश न हो बल्कि आप एक तरह से कम्युनिस्टों से गठबन्धन करके अपनी पार्टी को निकम्मा साबित कर रहे हैं ।

कभी-कभी दो चीजों के मिलने से कुछ अच्छी चीजों की उत्पत्ति हो जाती है लेकिन कभी कभी आग भी पैदा हो जाती है । कांग्रेस और कम्युनिस्टों के गठबन्धन से विश्वविद्यालय में कोई अच्छा शैक्षिक वातावरण, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिक वातावरण उत्पन्न नहीं हो सका बल्कि उसने एक विभेद की नीति को कायम करने का काम किया है । वाइस चांसलर को, शिक्षकों को उभाड़ना, उनमें से किसी को विक्टमाइज करवाना यह सब उनका कार्यक्रम रहता है और जब एक पार्टी के लोग यह सब करते हैं तो दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी जेनुइन मांगों की बात करते हैं । छात्र संघ की पार्लियामेंट का चुनाव हो, छात्र अपनी बातें उसमें कहें लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग वहां अपने भाषण दें जैसे इस सदन में करते हैं तो फिर राजनीतिक प्रवेश होना अनिवार्य हो जाता है ।

चौधरी चरण सिंह ने अपने शासन काल में विश्वविद्यालय छात्र अनिवार्यता को खत्म करने के सम्बन्ध में विधेयक इस सदन में से पास किया था । उस समय यह सरकार उनकी सहचरणी थी दोनों ने मिल कर वह विधेयक पास किया था लेकिन जब सत्ता कांग्रेस की 6 महीने के बाद अकेली सरकार बनी तो उसने उस विधेयक को वापस ले लिया इनकी क्या नीति है जो एक ही बात को किसी समय अनुचित समझती है और दूसरे समय उसी बात को उचित समझती है । यह भांटों वाली बात चरितार्थ करती है । एक राजा थे उनके नौकर ने भांटे की तरकारी बनाई । राजा ने कहा आज बहुत अच्छी तरकारी बनी हुई है तो भी नौकर ने कहा भांटा बहुत अच्छा होता है लेकिन दूसरे दिन राजा ने कहा तरकारी अच्छी नहीं बनी है तो नौकर ने कहा भांटा बहुत खराब होता है । कल आप कहते थे कि बादी है और आज कहते हैं कि अच्छा है तो उन्होंने कहा कि मैं भन्टे का गुलाम थोड़े हूं मैं तो राजा का गुलाम हूं ।

इसी तरह की बातें पैदा की जा रही है । आर0 एस0 एस0 की पार्टी के लोग कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में शाखायें लगाते हैं और बिल्डिंग पर दखल किये हुये हैं । मैं नहीं कहता कि सारे लोग हटा दिये जायं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज राष्ट्रपति उस विश्वविद्यालय के लिये क्या है । भारत के राष्ट्रपति की क्या पोजीशन हमारे उत्तर प्रदेश में तो गवर्नर की कुछ डिसक्रिसनरी पावर्स है भी लेकिन राष्ट्रपति की क्या पहलू हैं । मणिपुर की हालत देख लीजिये जो कुछ नीचे से लिखकर आ जाता है उसमें वे हस्ताक्षर कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन हो जाता है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इस वक्त 15/16 हजार छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है । मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि केन्द्रीय सरकार उसके बारे में विधेयक लायेगी या क्या करेगी लेकिन मैं तो प्रदेशीय सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो वहीं के रहने वाले हैं, हमारे नेता हैं । उनको जब पता चला कि नागरिकों की ओर से बनारस में जब हड़ताल

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

हुई तो मैं भी भाग्य से उन दिनों वहां पर था । कई लोगों से हमारी बातें हुई कि माननीय मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में उनसे बात करें क्योंकि वे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, वहां के नेता हैं। लेकिन मुझे मालूम हुआ और इस बारे में पंडित जी ज्यादा जानते होंगे कि जब-जब ऐसे विषय सामने आये तो प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यूनिवर्सिटी के हित में अपना प्रभावकारी रोल अदा किया है और जोरदार शब्दों में अपनी बातें रखी हैं ।

मुझे पता चला है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत नम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, इस सम्बन्ध में बात करेंगे । उन्होंने बात की भी और वाइस चांसलर से उन्होंने बात की लड़कों को भी उन्होंने बुलाया, उनको निमंत्रण दिया लखनऊ में आने के लिये । लेकिन उसके बाद यहां पर जब उन लोगों का फोन मुख्य मंत्री को आया तो उन्हें बता दिया कि इस तारीख को मत आइये, कोई दूसरी तारीख निर्धारित कर दी जायेगी। तब से आज तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई । इसी बीच बनारस में लड़कों के ऊपर राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया और यहां तक कि हिंसा तक होने लगी। तब से आज तक रोज यह स्थिति है कि हिन्दू विश्वविद्यालय में पुनः पथराव तनाव की स्थिति, हिन्दू विश्व विद्यालय सोमवार को खुलेगा छात्रों को आतंकित करने का आरोप, अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में छात्र स्वयं विचार करें हिन्दू विश्वविद्यालय में दूसरे दिन भी पथराव, हिन्दू विश्वविद्यालय की समस्यायें हल की जायेंगी, शनिवार को सभी कक्षायें बन्द रहेंगी, विश्वविद्यालय के अन्दर तथा लंका पर पथराव, लगभग 80 छात्र गिरफ्तार, विश्वविद्यालय में उपद्रव की घटना, वाइस चांसलर इस्तीफा दिलाने की मांग, छात्रों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से मिले, हिन्दू विश्वविद्यालय में आतंकवादी तरीकों को सफल न होने दिया जायेगा, संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों का संयुक्त वक्तव्य। तो मैं आपसे कहता हूं कि आये दिन ये घटनायें हो रही हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप संक्षेप में कहें क्यों कि अभी मंत्री जी बोलेंगे और फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

अभी मैं केवल 20 मिनट ही बोला हूं । जिला प्रशासन से भी हमारी बात हुई थी। पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लड़कों के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऊपर से विद्यार्थियों का नाम लेकर आते हैं और उनके लिये वारंट काटा जाता है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कितने विद्यार्थी, 200 विद्यार्थियों को निकाला गया, डेढ़ सौ विद्यार्थियों को निकाल दिया गया। अध्यापकों की शिकायत अलग है। इन सब के समाधान के लिये गजेन्द्र गडकर कमेटी, मल्लिक कमेटी और एक और कमेटी बैठायी गयी ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था तो सन् 42 में जब वहां के विद्यार्थियों ने आन्दोलन शुरू किया और उस आन्दोलन के सम्बन्ध में वहां के कलक्टर शायद फिमले या कौन था उसने रात में मिलिटरी को वहां भेजने की कोशिश की । शिक्षा ऐसी संस्थाओं में पुलिस का निषेध तो पहले ही से था । विद्यार्थियों ने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अपनी यूनियन व कमेटी बनावेंगे और झगड़ा फसाद होगा, पथराव वगैरह होगा । उस समय 42 में मालवीय जी ने कहा था और उसके 4 वर्ष बाद 46 में तो उनकी डेथ ही हो गयी। उन्होंने कहा था---"आई विल बी दि फर्स्ट मैन टु लाई डाउन ऐट दि गेट आफ दि यूनिवर्सिटी ऐंड शैल नाट एलाउ दि मिलिटरी टु इंटर इन टु दि कैम्पस आफ दि यूनिवर्सिटी" ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)---

यह राधाकृष्णन ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, राधाकृष्णन ने ही कहा था ।

श्री बंशीधर पांडेय--

राधाकृष्णन ने भी कहा हो तो वे भी मालवीय जी के ही उत्तराधिकारी रहे हैं लेकिन मुझे एक बड़े नेता ने कहा जो अपने यहां के सरगना हैं, उन्होंने साधिकार कहा कि मालवीय जी ने सन् 42 में ऐसा कहा था ।

श्री लोकपति--

मैं उस समय बनारस के ही एक कालेज में पढ़ता था जो काशी विश्वविद्यालय का एक अंग है और यह 14 जुलाई की बात है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह मालवीय जी ने कहा या उनके चेले राधाकृष्णन ने कहा, तो इसमें बुराई क्या है । मैं कहता हूं कि मालवीय जी ने कहा । इस स्थिति में जबकि काशी विश्वविद्यालय का बड़ा भारी नाम है, उस यूनिवर्सिटी की यह हालत है । इस यूनिवर्सिटी का जो शैक्षिक वातावरण है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव वातावरण है ....

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

उस समय आप काशी यूनिवर्सिटी में ही थे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, काशी विश्वविद्यालय में नहीं था । मैं मांग करता हूं कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो राष्ट्रपति और विजिटर को मुख्य मंत्री सिफारिश करें कि वे उसके ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामले में सुधार करें और यूनिवर्सिटी के पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिये एक हाई पावर आयोग की स्थापना करें । मेरी इस सरकार से मांग है कि वह केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि राष्ट्रपति और यूनिवर्सिटी के विजिटर एक उच्चाधिकार आयोग की फिर से नियुक्ति करें जो इन सारे मामलों की डिटेल में जाय-- शैक्षिक मामले में, ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, विद्यार्थियों के मामले में, उनके निष्कासन के मामले में और फिर वह अपनी रिपोर्ट दे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

तीन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

तीनों रिपोर्ट्स के बाद तो कोई हल नहीं है तभी तो इसका कोई और हल निकालने की बात कर रहे हैं । इसके माने यह तो नहीं है कि पहले कोई हल नहीं निकला तो अब उसके लिये प्रयास करना ही छोड़ दें ? मैं चाहता हूं कि विजिटर एक उच्चाधिकार आयोग की स्थापना करें जो शैक्षिक वातावरण के मामले को देखे, ऐडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के मामले को देखे, नियुक्तियों के मामले को देखे । नियुक्तियां वगैरा सारे मामलों की जांच करके आयुक्त अपनी रिपोर्ट दे और तब तक मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों को जिनको छोटे-छोटे मामलों में फंसा कर निकाल दिया गया है, उनके मामलों को भी देख लिया जाय कि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो और उनको इम्तहान देने दिया जाये । सारे मामलों की आयुक्त द्वारा जांच कराकर इस मामले को हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी संक्षेप में मामले को रखेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, विश्वविद्यालय की शिक्षा के भारक मंत्री श्री पी0 डी0 टंडन हैं और य माध्यमिक शिक्षा के स्तर के हैं। इसलिये उनको बुला लिया जाये तब बहस हो पायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से इस विषय को टाल दिया।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि नहीं गई। श्रीमन्, मैं यहां बैठा हुआ हूं, टालने की बात नहीं है। मैं मानता हूं और लोग बोलना चाहते हैं तो वे बोल लें। तब इधर से जबाव दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 52 में ऐसा है कि "जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी"।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पहले मंत्री जी को बता देना चाहिये जिससे हम लोग जान जायें।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, पहले हमारी बात सुन लीजिये क्योंकि हमें रोज निबटना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष--

बिल्कुल सुनेंगे। नियम के अनुसार मंत्री जी 2/4 मिनट में जबाव देंगे।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)--

सब की बात सुनकर मंत्री जी की बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी को तो बोलने की अनुमति है।

*गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

मान्यवर, 10 तारीख को बी0 एच0 यू0 की दुर्घटना हुई। स्वाभाविक है कि इससे माननीय सदस्यों को क्षोभ होगा। यह ऐसी दुर्घटना और विडम्बना है कि विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं में यदि पुलिस या पी0 ए0 सी0 भेजनी पड़ती है तो माननीय सदस्यों को विश्वास करना चाहिये कि इसमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है। किन परिस्थितियों में हम पुलिस या पी0 ए0 सी0 विश्वविद्यालय में भेजनी पड़ती है, सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, वायस चांसलर के जीवन की रक्षा के लिये तथा प्राध्यापकों के जीवन की रक्षा के लिये, कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा के लिये जब प्रशासन से पुलिस मांगते हैं तो देना अनिवार्य हो जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा है और इसी विश्वविद्यालय के मामले में कहा है कि यदि इस सरस्वती मन्दिर में जब पुलिस भेजने का सवाल पैदा हो जाये तो उससे खराब हालत पैदा नहीं हो सकती है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हैं। जो परिस्थिति है उसको लेने की कृपा कीजिये। 10 तारीख को एक ऐसी दुर्घटना की सूचना मिली कि विद्यार्थी संगठित होकर, तीन तरफ से जुलूस बना कर ऐसा कन्फ्रेंटेशन बनाना चाहते हैं जिससे भयंकर दुर्घटना हो सकती है। कुछ बाहर के नेतागण भी वहां पहुंच गये थे। मैं नहीं कह सकता कि वे वहां क्यों गये थे? मैं समझता हूं कि वे शायद शांति व्यवस्था के लिये ही गये थे। माननीय शंकर लाल जी आ गये और उन्होंने कहा कि मीटिंग शांतिपूर्ण होगी। उसके बाद मीटिंग हुई। इसके बाद थोड़े से वे पीछे हटे और उसके बाद पुनः विश्वविद्यालय की ओर प्रवेश लेने के लिये एक माब चल पड़ा और अन्दर से पता चला कि कुछ लोगों को उकसा कर बाहर लाने का प्रयास हो रहा था। इन परिस्थितियों में वहां पी0 ए0 सी0 को जाना पड़ा और माननीय सदस्य जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं वह मौके पर थे और उन्हें मालूम है कि किस तरह से वहां ढेले फेंके गये और कौन फेंक रहा था, यह सब बताने में उन से ज्यादा और कोई सक्षम नहीं होगा। यह कहना कि पी0 ए0 सी0 ने ढेले चलाये, पुलिस ने चलाये या प्रशासन ने चलवाये यह कहना उचित नहीं है।

जिन परिस्थितियों में वहां यह सब हुआ जिसमें 50 के करीब पी0 ए0 सी0 के कर्मचारी घायल हुए और ऐसी स्थिति पैदा हुई, आज भी दुकानदारों की स्थिति वहां ऐसी है जैसी कि किसी देश के बार्डर पर विदेशियों के एग्रेशन के डर से हर समय रहती है, वह आते हैं और लूट कर चल जाते हैं। विश्वविद्यालय के गेट पर आज यही स्थिति है। 28 तारीख के विषय में आज ही वहां से सूचना आई है, मैं तो यह कहता हूं कि आर0 एस0 एस0 का जो कार्यालय है, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि परम आदरणीय गुरू जी ने महामना मालवीय जी से आश्रम की स्थापना का एक ही उद्देश्य बताया था कि वहां रख कर नवयुवकों को भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं और परम्पराओं का ज्ञान कराना। आज इन मर्यादाओं, परम्पराओं के ज्ञान कराने का यह हाल है कि आज विद्यार्थी गुरू जी के मस्तक पर माला नहीं, चरणपादुका चढ़ाते हैं और हर प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग उनके लिये करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की रूपरेखा है तो हमें कुछ नहीं कहना है। आज हालत यह है कि विश्वविद्यालय राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बन कर रह गया है और वहां ऐसी व्यवस्था पैदा होती जा रही है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दूं कि अखबारों में निकला है कि अखबार में कानपुर के यह निकला है कि प्रोफेसर नुरूल हसन जो केन्द्रीय मन्त्री हैं उन्होंने कहा है कि सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि विश्वविद्यालय में कोई हाथ आर0 एस0 एस0 का रहा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं कब कह रहा हूं कि आर0 एस0 एस0 का हाथ रहा लेकिन जो भी वहां राजनीतिक दल काम करते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, माननीय सदस्य बैठे हैं और इन परिस्थितियों में कौन आर0 एस0 एस0 है, कौन एस0 वाई0 एस0 है, कौन राष्ट्रीय संघ है और विभिन्न दलों के जो संघ हैं उन के द्वारा यह होता है। विश्वविद्यालय एगजिक्यूटिव से और एक दल की दूसरे दल से संघर्ष की आये दिन घटनायें होती हैं।

जब दोबारा विश्वविद्यालय बन्द हुआ और आन्दोलन हुआ तो क्या हुआ? आर्टस् कालेज में आग लगाई गई, केफ्टेरिया को फूंका गया, एक टेन्ट को फूंका गया और कोआपरेटिव की दुकान

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

को लूटा गया। इन परिस्थितियों में जब जनजीवन की सुरक्षा न रह जायगी तो क्या किया जायगा। अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है और पुलिस नहीं पहुंचती तो कहा जाता है कि शासन निकम्मा है। अगर कही दुर्घटना हो जाती है या सूचना मिलती है कि होने वाली है तो हम बाध्य हो जाते हैं कि पी० ए० सी० भेजें। वहां ऐसी परिस्थिति है इस में किसी का दोष नहीं है। यह राजनीति वह मैनका है जिसने न मालूम कितने विश्वामित्रों के तप भंग किये हैं। उनका हृदय न भी कहता हो लेकिन तप टूटते रहते हैं क्योंकि चक्कर मैनका का है।

28-3-73 को ही जो वहां का एग्रीकल्चर सेक्शन है उसकी फसल काटी गई और फसल कटने में जो अरहर का ढेर लगा था उसमें सैकड़ों मन गल्ले का नुक्सान हुआ, उसमें आग लगा दी गयी। कसी परिस्थिति हुई।

एक दिन कौंसिल में डिबेट हो रही थी। जो नेता वहां पर पहुंचे थे मैं तो यह कल्पना करता हूं कि विद्यार्थियों को समझाने-बुझाने के लिये गये होंगे ताकि शांति हो लेकिन यह भी तैयारी हो रही थी कि जेल जायेंगे और दफा 144 तोड़ेंगे, इसके लिये खाना खा पीकर चलो। ऐसी परिस्थिति में कैसे कहा जाय कि हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर शांति व्यवस्था के लिये खड़े थे। आपकी पुलिस वहां पर आपकी सुरक्षा के लिये खड़ी थी। वहां के लोगों के सुरक्षा के लिये खड़ी थी लेकिन यदि उनको डिमोरेलाइज किया जाय तो उचित न होगा, प्रशासन रसातल में चला जायगा। हमें इन परिस्थितियों को देखना और समझना है। जिस तरह से आपकी पीड़ा है, उसी तरह से दूसरों को भी पीड़ा है, यह मानना चाहिये। जिन विद्यार्थियों को धनानन्द कमेटी द्वारा निकाला गया है, उसमें से 6 के विरुद्ध विथड्रा कर लिया है।

16 केसेज अन्डर कन्सीड्रेशन हैं, उनको विश्वविद्यालय में पढ़ने की इजाजत दे दी है। बड़ी प्रसन्नता होती यदि सदस्यगण जिनका महान अनुभव है, वे विद्यार्थियों से कहते कि शांति से अपनी कक्षाओं में जाओ और अपने गुरुओं का आदर करो, उनके चरणों में बैठ कर शिक्षा ग्रहण करो, हम सामने हैं तुम्हारी समस्या को हल करायेंगे। उन नवयुवकों को उभार कर ऐसी स्थिति पैदा कर, राजनीतिक लक्ष्य तो जरूर प्राप्त हो जायगा लेकिन इससे देश का और प्रदेश का बड़ा अहित हो जाने की सम्भावना है। यदि कभी कीचड़ में एक पैर पड़ता है तो दूसरा पैर भी अपने आप चला जाता है। हम तो केवल अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं। हम वहां के लोगों के जन जीवन की रक्षा में लगे हुए हैं। वहां पर बाहर के लोगों की रक्षा के लिये लगे हुए हैं, जिनको आशंका है कि किसी भी क्षण उनकी दुकानें लूट ली जायेंगी, और उसमें आग लगा दी जायगी।

10 मार्च को ही एक दुकान में आग लगा दी गयी है, एक पोस्ट आफिस जला दिया गया है एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी गयी है। 4 कांन्सटेबिल छुट्टी से वापस आ रहे थे, उनको कुछ लोगों ने बन्द करके बुरी तरह से मारा-पीटा लेकिन उन्होंने बड़ी पेशेन्स से काम लिया। भले ही माननीय अनन्तराम जी कह दें कि यह मिनिस्टर लायक स्पीच नहीं है। पुलिस मार खाती रही और 50-60 आदमी अस्पताल में आज भी दाखिल हैं, उनके बारे में मेडिकल रिपोर्टस् हैं लेकिन यहां पर कहा गया कि पी० ए० सी० ने ढेले मारे। वहां की परिस्थिति को संभालने के लिये जैसा कि पांडेय जी ने कहा एक निषिद्ध क्षेत्र कर देना चाहिये।

मान्यवर, किसी विद्यार्थी को राजनीति के भीतर प्रवेश लाना आवश्यक नहीं। हां, सन् 42 के पहले जरूर स्थिति रही है कि हमारे नव-युवकों को स्वतंत्रता के संघर्ष में आना जरूरी था। लेकिन आज लड़ाई किससे है? आज तो बालक के जीवन-निर्माण का समय है। उनके ज्ञानार्जन का समय है। उनको संघ में लाकर ऐसे दो-राहे पर खड़ा कर दिया गया, जहां वे अपना मार्ग नहीं ढूंढ सकते। इससे ज्यादा पाप का कार्य और क्या हो सकता है? इतिहास इसके लिये कभी नहीं माफ करेगा उन लोगों को, जो कि उनके मार्ग को भ्रमित करने के उत्तरदायी हैं। इतिहास में जो लाइनें पड़ जाती हैं। उनको आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ती है, चाहे हम हों,

या आप हों, मान्यवर। जो हमारी कथनी-करनी है, उसको भी इतिहास नहीं छोड़ेगा। इतिहास तो ऐसी लकीर है जिससे राम और कृष्ण बन जाते हैं और विभीषण को भी अपनी जगह पर छोड़ देती है। मीर जाफर कुछ रहे हों, वह भी आप देखते हैं, छिपा नहीं है।

इस तरह से मान्यवर, हम तो अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं। अब, जो और कुछ माननीय सदस्य पूछें, तो उसका भी उत्तर दे सकूंगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं काशी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, हमारे माननीय मन्त्री जी ने अभी अपने कुछ विचार व्यक्त किये। बड़ा अच्छा रहता यदि वे उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाले होते, जिनके ऊपर मैं कहने जा रहा हूं। उन्होंने केवल राजनीति के चश्मे को ऊपर रखकर हमारे पांडे जी के कथन का जवाब दिया है। मान्यवर, मैं उनकी बातों का जवाब बाद में दे दूंगा। पहले वहां क्या परिस्थितियां थीं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, काशी विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्था है। आखिर कारण क्या है, जिसकी वजह से इसके बारे में प्रश्न उठाया गया। मान्यवर, इसमें प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों का प्रश्न है, इसमें ला-एण्ड आर्डर का प्रश्न है, अभिभावकों का प्रश्न है और लाखों रुपये खर्च होने का प्रश्न है। काशी विश्वविद्यालय में 8 करोड़ प्रति वर्ष खर्च होता है। ऐसा मेरा अन्दाज है, वैसे होता इससे अधिक होगा। इसमें, मान्यवर, लगभग 14—15 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह तीन वर्ष में चार बार बन्द रहा और 8 महीने बन्द रहा। इन्होंने 10 तारीख का बड़ा महत्व दिया है। मान्यवर, मैं भी गया था, राज नारायण जी भी गये थे, राय जी भी गये थे, साही जी भी गये थे और प्रताप नारायण जी भी गये थे। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिये कह दिया। तो यह तो नक्शा है इस विश्वविद्यालय का। यह स्थिति है विश्वविद्यालय की।

अब दूसरा नक्सा देख लें इसका, मान्यवर। इस विद्या मन्दिर की स्थिति क्या है? मान्यवर, यह बंदीगृह बन रहा है। पुलिस का कैम्प बन गया है। अखबारों में लिखा है कि छात्रावास में ताले बन्द कर दिये गये हैं। मैंने उस स्थिति को देखा। जिस दिन हम गये, छात्रावास में ताले लगे थे। बाहर लिखा था—कर्फ्यू इन दि टाउन, डोंट गो आउट, नीचे लिखा था 'माथुर'। मान्यवर, यह स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया। आज विद्यामन्दिर एक बन्दी-गृह बन गया। 13 कम्पनी पी0 ए0 सी0 की विश्व विद्यालय कैम्पस में गयीं। मान्यवर, हमने एक सिद्धान्त बताया था कि पुलिस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जायगी। लेकिन 13 पी0 ए0 सी0 की कम्पनियां वहां गयीं। मान्यवर, मुझे यह तो नहीं मालूम कि एक कम्पनी में कितने जवान होते हैं लेकिन मैंने जहां देखा, वहां पुलिस के जवानों को ही देखा। पुलिस की ट्रकों और जीपों को देखा।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया में कहीं भी नहीं देखी और यह मुझे अभी पता चला कि वहां पर 200 महिला पुलिस है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह महिला पुलिस वहां क्यों गई? इसका भी कारण है और यह कि पी0 ए0 सी0 और उनके अधिकारियों ने वहां पर नंगा नाच नचाया। मान्यवर, आज कोई मर्यादा नहीं रह गई है। आज होस्टल में ताले पड़े हुए हैं। यह तो एक स्थिति है, एक दृश्य है उस विश्वविद्यालय के प्रांगण का। अब सवाल यह आता है कि यह झगड़ा क्यों हुआ? क्या यह 10 तारीख के बाद हुआ, यह बाद में बतलाऊंगा। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह झगड़ा 3 वर्ष से चला आ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर, एक किताब छपी है। मैं समझता हूं कि यह इनको मिल गई होगी। उस किताब में जो-जो अनियमिततायें वहां पर हुई हैं, उनका सब वर्णन किया गया है। प्रवेश के सम्बन्ध में जो अन्याय वाइस चान्सलर ने किया, यह सब लिखा हुआ है। मान्यवर, यह वाइस-चांसलर जब अपनी योग्यता के बल पर विद्यार्थियों को नियन्त्रित नहीं कर सकते तो उन्होंने डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी अख्तियार की और उन्होंने अमल में लाने के लिये दुहरी नीति अपनानी शुरू कर दी। अगर आप कहें तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दे दूं, लेकिन माननीय जायसवाल जी बहुत से उदाहरण तो देंगे ही। परीक्षा के नाम पर गड़बड़ी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर दुरुपयोग और मान्यवर, जिन विद्यार्थियों ने वाइलेंस किया, छुरे की नोक पर नकल की, उनको आपने इनाम दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक-एक नाम इस किताब में छपे हैं।

माननीय गोस्वामी जी ने जिस लहजे में विद्यार्थियों के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई है, उससे मुझे हार्दिक तकलीफ हुई। मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि 'इट इज नाट ऐ मैटर विटवीन पुलिस एण्ड छात्र', इट इज नाट ए मैटर विटवीन वाइसचांसलर एण्ड छात्र' यह जीवन से सम्बन्धित है, जन कल्याण से सम्बन्धित है और उसी दृष्टि से इनको देखना चाहिये। आज छात्रों का जीवन डकैती के जीवन से भी बुरा है, डकैतों को आप चांदी में भोजन कराते हैं जेलों में, और इनके लिये आपने 13 कम्पनी पहुंचा पी0 ए0 सी0 की छात्रों, के लिये कोई भोजन नहीं।

(शेम शेम)

मान्यवर, मेरे पास सभी प्रकार के आंकड़े मौजूद हैं जो-जो अनियमिततायें वहां पर हुई हैं। इन्होंने जो नियुक्तियां की हैं वह योग्यता के आधार पर न होकर अयोग्यता के आधार पर हुई है, इन्होंने अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। इन्होंने पुस्तकालय में भी तरफदारी की इन लोगों ने उनके साथ उलटा व्यवहार किया जो उनसे सहमत नहीं थे। मान्यवर, अभी तक दो नाली बन्दूक होती थी राजनीति में, अब तो 3 नाली हो गई--फायर एट आर0 एस0 एस0, फायर एट जन संघ, फायर एट अपोजीशन और इस बीच अगर कुछ न मिले तो कह दें कि सी0 आई0 ए0 एजेन्ट है। क्या कांग्रेस ने गोली बनाई है। इनके एजेन्ट श्रीमाली ने प्राइम मिनिस्टर को भड़काने के लिये कह दिया कि आर0 एस0 एस0 का काम है। जिस सिद्धान्त के लिये स्वर्गीय महामना ने यह बिल्डिंग बनवाई है, वह सिद्धान्त ही बदल गया।

जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने दिल्ली का सारा काम आर0 एस0 एस0 को सुपुर्द किया तो वह अच्छे थे। पाकिस्तान से लड़े तो अच्छे थे। लेकिन आज वह बुरे हैं। यह अस्त्र-शस्त्र हमारे श्रीमाली जी ने अख्तियार किया। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है, मुझे सूचना है कि जजेज ने कोई बात स्वीकार नहीं की और ऐसे विद्यार्थियों को सताना शुरू किया कि वह सोशलिस्ट पार्टी के हैं, वह आर0 एस0 एस0 के हैं, वह जनसंघ के हैं। यह तो प्रधान मन्त्री की सहानुभूति जीत ली। अब प्रशासन को जीतना चाहिये। मुख्य मन्त्री जी मुझे माफ करेंगे। महेश प्रसाद वहां कलक्टर हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी के प्रिय पात्र हैं। अगर मुख्य मन्त्री का प्रिय पात्र हो गया या प्रधान मन्त्री का प्रिय पात्र हो गया तो हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मैं कह नहीं सकता। ऐसे जिलाधीश का सहारा लिया यह कह कर कि तुमको केन्द्र में भेज देंगे क्योंकि प्रधान मन्त्री से हमारा सीधा सम्बन्ध है। मेरी आत्मा की आवाज है, गलत हो सकती है। उनकी भी आत्मा की आवाज होगी कि आर0 एस0 एस0 को, जनसंघ को नष्ट कर दो। इसके लिये इन्होंने अनेक जाल रचे।

यह जो डी0 एम0 हैं आधे नेता हैं। डी0 एम0 एक तो केन्द्र का इशारा पा गये और दूसरे हमारे मुख्य मन्त्री के प्रिय पात्र हैं। राजनीतिक होली के रंग में सब रंग जाते हैं, वह भी कुछ रंग गये हों। जो बल प्रयोग हुआ उसके भी नमूने आपके सामने रखूंगा। मान्यवर, कहीं ऐसा हुआ कि डी0 एम0 ने विद्यार्थियों को पीटा हो। मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ।

मेरे पास उन विद्यार्थियों के नाम हैं जिनके हाथ टूटे, सिर में चोटें आयीं। आप चाहें तो पता लगाऊं। एक का नाम है गुप्तेश्वर राय और दूसरे का नाम है कपिल सिंह देव। इनको जिलाधीश ने मारा। इतनी बड़ी पुलिस है लेकिन अपने मालिक को खुश करने में उससे संतोष नहीं हुआ। छात्रों को बुरी तरह से पीटा। यूनिवर्सिटी में, जैसे रंग छोड़ते हैं, वैसे वहां लाठियां बरसी। बारह तारीख को वहां लाठियां बरस रही थीं। गोस्वामी जी ने कहा कि वह कहीं एन्टरटेनटमेन्ट में थे। लेकिन मुझे सूचना दी गयी कि बारह तारीख को वहां छात्र पीटे जा रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा कि वह एन्टरटेन्टमेन्ट कर रहे थे। मान्यवर, मैं इसका दूसरा निष्कर्ष निकालता हूं कि वहां लाठियां बरस रहीं थीं उन्हीं के इशारे से कि मैं अलग हूं तुम अपना काम करो।

अगर कहा हो तो मैंने सुना नहीं मेरा दिल खौल रहा है। यह बात दूसरी है कि गोस्वामी जी कह दें कि झूठ बोल रहे हैं। 10 तारीख वाले भाषण पर बाद में आऊंगा। कैसे मास्टर माइन्ड हैं हमारे कलेक्टर? फाटक पर ताला लगा दिया। 2 कांस्टेबिल लापता हैं। बदला लेने की भावना थी। घुस गये इस बहाने। आप खड़े होकर यह कह देंगे कि हमारे कांस्टेबिल छिपा लिये गये थे। हम में से बहुत से वकील हैं, समझते होंगे। बढ़िया सफाई बनायी। यह सब मैं कलेक्टर को दोष देता हूं। मैं समझता हूं कमिश्नर हो जायेंगे। तो, मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि 2 कांस्टेबिल लापता हो गये। इसमें यह लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ताकि हमें घसने का मौका मिल जाये।

छात्रों के साथ दूसरी बात बहुत दुखद है। आर्ट्स कालेज में 2 लड़कियां थीं—कुमारी शांति सिंह। इस अखबार में छपा है। छपी हुई बात को पढ़ दूं। यह निन्दनीय नहीं है—यह बर्ब कर रही है। मगर सैद्धांतिक चीज है। लिखा है:

इस बिल्डिंग में अनेक स्नातकोत्तर छात्राओं के साथ पी0 ए0 सी0 ने शर्मनाक एवं अभद्र व्यवहार किया।

(शेम, शेम की आवाजें)

छात्राओं की ओर गन्दे ढंग से छींटा कसी की और कई छात्राओं से छेड़खानी की। इतना ही दुर्व्यवहार नहीं हुआ। कोई एक—दो को नहीं कई छात्राओं को लाठियां खानी पड़ीं। मुझे बताया गया था कि वे बेहोश भी हो गयी थीं एक लड़की का तो ब्लाउज भी फट गया था। P.A.C. does not deserve to live. पी0 ए0 सी0 कलेक्टर के हुकुम की खादिम है। इन शर्मनाक बातों के सामने कोई टिक नहीं सकता। मेल पुलिस हो या फीमेल पुलिस हो—सब में आक्रोश है। कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेन्ट भी ऐसे व्यक्तियों को कन्ट्रोल नहीं कर सकती। कोई मान मर्यादा की बात नहीं है। छींटा कसी की, बस इतना ही कह देना काफी है। ठीक है मजाक कर लें—कोई हमारे—आपके साथ थोड़ा ही हुआ है।

अभी तीन आदमियों के नाम पूछ रहे थे। वे भी बता दिये।

एक बात और कह दूं। डी0 एम0 कैसे सच बोलते हैं। एक विद्यार्थी ने स्वयं आफर किया जेल जाने के लिये—एरेस्ट होने के लिये। उसका नाम आगजनी में लिखा दिया। एरेस्ट होने के बाद छूटा। नाम शायद प्रभु नारायण सिंह था। वे महा मन्त्री हैं छात्र संघ के। एक आदमी दूसरी जगह पकड़ा गया। आपको उसी पर शान है। आगजनी हो गयी किसका नाम लिखा गया?

उसके नाम बाबू लाल यादव और रणजीत सिंह बता रहे हैं। 3 नलियों के लिये 3 अधिकारी हैं।

(1) प्रधान मन्त्री,

(2) वाइस-चांसलर,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

(3) जिला अधिकारी--जिसके लिये मैं मुख्य मन्त्री को उत्तरदायी समझता हूं।

अब एक बात और कह दूं। इन्होंने 3 निशान बनाये, मान्यवर। अब गनीमत है कि स्टेटमेन्ट उन्होंने दे दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह माधव प्रसाद त्रिपाठी का स्टेटमेन्ट नहीं है। यह नूरुल हसन साहब का स्टेटमन्ट है। यह अमृत बाजार पत्रिका आदि में निकला है। इसको पढ़कर बतलाइये कि यह गलत है या सही है। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष की विचित्र बात होती है, डा० शंकर दयाल शर्मा ने कह दिया कि सभी विरोधी पक्ष वाले सी० आई० ए० हैं, राजेन्द्र कुमारी जी ने परसों अखबार में विरोधी पक्ष वालों को गालियां दे डाली हैं। आज आई नहीं हैं। नूरुल हसन साहब का स्टेटमेन्ट निकल गया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसमें जनसंघ वालों का हाथ रहा है। मैं सरकार की बात माने लेता हूं कि वहां विद्यार्थी परिषद् है, सोशलिस्ट पार्टी की आरगनाइजेशन है। विश्वविद्यालय में अगर यह सभी संस्थायें हैं तो इसमें तो डेमोक्रेसी फलती-फूलती है। तो कौन सी बात हो गई अगर वहां सोशलिस्ट पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद् के लोग काम कर रहे हैं। फार द सेक आफ आरगुमेन्ट में इस को माने लेता हूं लेकिन अगर यह विश्वविद्यालय में नहीं होगी तो कहां होगी।

विद्यार्थियों के लिये आपने कह दिया कि सभी गुन्डे हैं। उनके इंटेलिजेन्ट कैरिअर को भी देख लिया जाय। उनमें कोई बनारस फर्स्ट किसने है। आपने उनको निष्कासित कर दिया। जितने प्रतिभावान विद्यार्थी हैं सभी गुन्डे हैं, अगर ऐसा आप कहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे बहुत अफसोस है कि कहते हैं कि इसमें राजनीति आ गई है। श्रीमाली साहब तो बरगद के नीचे माला हिला रहे थे। वह वाइस-चांसलर बना दिये गये। वह कभी राजनीति में नहीं रहे, मन्त्री भी नहीं रहे, राजनीतिक दल से भी उनका सम्बन्ध नहीं रहा, इसलिये राजनीति शासक दल में नहीं है, वह तो दूसरों में है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति है तो जब मैं और श्री अनन्तराम जायसवाल मुख्य मन्त्री जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि मामला सुलझ जाय लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि उनका ताल्लुक सीधा खुदा से है। अगर राजनीति ही थी तो विद्यार्थी परिषद् और सोशलिस्ट पार्टी वालों ने श्री कमलापति त्रिपाठी की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की थी। कहते हैं कि जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी को इससे मदद मिलेगी क्योंकि चुनाव को दृष्टि में रख कर ऐसा किया गया है, तो जो चाहा कह देते हैं। ऐसा नहीं था। ऐसा कहते इन लोगों को शर्म नहीं आती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि बी०सी० को फूंक देंगे, घिराव कर देंगे, इसके लिये दफा 144, 10 तारीख के पहले लगा दी। यह भी कह दिया कि जिले से कोई आदमी मार डाला गया और कोई गड़बड़ी हो इसलिये ऐसा कर दिया है। अगर यह ऐसा न कहें तो मारे पीटेंगे कैसे।

एक बात और हो सकती है। हो सकता है कि विद्यार्थियों ने जला दिया। लेकिन यह सही है कि एंटी सोशल एलीमेन्ट को मौका मिलता रहा। गौरी शंकर राय, राज नारायण हैं उनसे पूछ लीजिये कि जीप में कौन से लोग थे। मैंने नम्बर नोट किया था जीप का। उसमें जितने लोग निकले हैं तो पहिचानता नहीं था लेकिन गौरी शंकर राय ने कहा कि तुम तो विद्यार्थी नहीं थे, तुम तो नहीं थे --यह चट से उन्होंने कहा और वह लोग कलेक्टर के यहां चाय पी रहे थे। वे लोग ही वाइस चान्सलर और यूनीवर्सिटी का गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। तो यह बात अपोजीशन नहीं कर सकता। आप विश्वास कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता ठीक है, अपनी अलग-अलग राय है।

दूसरी बात कहते हैं, मुझे गोस्वामी जी से आशा नहीं थी कि तीनों लीडर गये इकट्ठे बैठ कर और बड़े-बड़े लीडर गये। मैं दावे से कहता हूं कि श्री राज नारायण जी ने जो भाषण दिया, अखबारों में देख लें कि किस संयम से दिया। मैं तो बड़ा खराब आदमी हूं, लेकिन

उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया अखबार वाले ने लिख दिया कि दोनों स्थानों पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने उसी प्रकार दूरदर्शिता सहनशीलता और संयम से काम लिया जिस प्रकार कि सिंह द्वार की सभा में नेताओं ने। लेकिन उनके कलक्टर कहते हैं कि आग भड़का दी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

और यह पत्र कौन है? सन्मार्ग जो कि कांग्रेस का ही है। उसी के एडीटर हैं..

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पांडेय जी ने भी अपना फर्ज अदा कर दिया। आर० एस० एस० और जनसंघ पर एक लकड़ी और डाल दिया। क्या वे जिम्मेदार स्टेटमेन्ट नहीं है कल जब हम गवर्नमेन्ट में थे, हम भी मिनिस्टर थे। हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। हम ख्याल रखते हैं कि क्या कहना चाहिये वरना हमारी चमड़ी नोच ली जायगी। जहां हजारों विद्यार्थी खड़े होंगे डी० आई० जी०, एस० पी० खड़े हों तो हम कैसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? लेकिन होता यह है कि कलेक्टर की ही बात मानी जायेगी। कलेक्टर इज मोर रिलायेबिल वहां के सदस्य मोर रिलायेबिल है लेकिन अपोजीशन गैर-जिम्मेदार है, हमने बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया।

आगजनी की बात पर कहता हूं कि लखनऊ में आगजनी हुई गोली चली तो क्या परिषद ने आर० एस० एस० ने जनसंघ ने चलाई? यह तो परम्परा रही है कि जब चाहा बलेम लगा दिया। इलाहाबाद में क्या विद्यार्थी परिषद ने आग लगाई या आर० एस० एस० पहुंच गया था? या और तत्वों ने गोली चलाई जिसका कि हम लाभ नहीं लेना चाहते हैं? यह क्यों नहीं ऐक्सेप्ट करते कि विद्या मंदिर में ऐसा मैलिस आपने पैदा किया है कि जो आग बुझ नहीं सकती। सारी परिस्थिति को पैदा करने वाली गवर्नमेन्ट है। सारी सेना आपके पास, पी० ए० सी० आपके पास, पुलिस आपके पास, सब कुछ आपके पास है। जो विद्यार्थी बाल बनवाता था उसको पीट-पीट कर फेंक दिया। आपसे आश्रय पाकर एंटी सोशल एलीमेंन्ट आग लगवाते हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी कहता हूं, आज भी कहता हूं, पहले भी कहा था कि वह असफल है वह कर नहीं सकते वा उन्हें कहने से डर जाते हैं। उन्होंने समझाया हमारे पांडेय जी ने। मैं भी कहता हूं कि इसकी विवेचना करें।

आखिर इतने परिवार परेशान हैं जाड़ों रुपया पुलिस और पी० ए० सी० पर खर्च हो रहा होता, पुलिस की बातों पर विश्वास किये नहीं तो भस्मासुर बन जायेंगे। बंगाल की ऐसी स्थिति क्या पैदा करिये। मुझे वह दिन याद है जब कांग्रेसी अटेन्शन में खड़े रहते थे मार्क्सिस्ट्स के सामने।

आज क्या कारण है कि विद्यार्थी अपना अनमोल जीवन लेकर सड़कों पर उतर आया? न उनकी सरकार सुनती है, न अधिकारी सुनते हैं न कोई सुनता है। कहते हैं ढेले फेंके। अरे, एक तो अपना बना दे (एक तो 1)) विद्यार्थी थे। जब हम लोग हटे तो कहीं इधर से ढेला चलने लगे। मैं यही कहता कि विद्यार्थियों ने ढेले नहीं चलाये। उन्होंने भी चलाये होंगे। लेकिन अगर किसी को मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा तो वह पुलिस को चलाते हुये देखा। अगर कांस्टेबिल कोई जर्म करता है तो 10 वर्ष की सजा होगी और वही जुर्म अगर कोई आर्डिनरी सिटीजन करता है तो उसको दो वर्ष की सजा होगी। मैंने बदला लिया नहीं। अभी मैंने तो कुछ कहा नहीं मेरा संतोष देखिये। मुझे तो गालियां दी गयीं और मैं चुपचाप रहा यह शोभा नहीं देता स्वर्ण पदक प्राप्त कलक्टर को।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बड़ी विस्फोटक स्थिति है। वाइस चांसलर हट जाय कोई बड़ी बात नहीं। भगवान करे उनकी और उन्नति हो। आप सिफारिश करें मुख्य मंत्री जी। मैंने कोई दोषारोपण नहीं किया। दोषारोपण केवल एक किया कि आपने पनिश नहीं किया। डी० एम० को। वह इस काबिल नहीं है कि उस स्थान पर रहे। पहले वाइस चांसलर को हटायें। विद्यार्थियों का निष्कासन वापस लिया जाय। एक उच्च स्तरीय आयोग कायम हो जो यह पता लगाये कि आखिर क्या कारण है कि दो साल से यह आन्दोलन चल रहा है। मैं दूसरे पहलुओं को नहीं छूता। कम्युनिस्टों को भी मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं कांग्रेस को कह रहा हूं तो मैं समझता हूं कि कम्युनिस्टों को भी कह रहा हूं। हमारी चौथी मांग है कि विधेयक शीघ्रातिशीघ्र लाया जाय और अपने बच्चों की तरह समझ कर विद्यार्थियों की समस्या को सुलझायें। इन विचारों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री लाल बहादुर सिंह--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माधव प्रसाद जी की बात को सुन कर मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गयी कि जबरा मारे और रोने न दे। उपाध्यक्ष महोदय जर्मनी में एक डाक्टर गोबिस हुये है, वे तमाम गलत काम करते थे और प्रचार यही करते थे की दूसरे लोग गलत काम कर रहे है। अगर माननीय माधव प्रसाद जी में जरा भी कर्टसी होती तो ये माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आते और उनसे कहते, सारी बात उनको बताते, ये भी बनारस के रहने वाले हैं सारी स्थिति से अवगत हैं। इनको बताना चाहिये था कि हम 26 तारीख को यूनीवर्सिटी पर कब्जा करने जा रहे है। मैं भी उन दिनों बनारस में ही था। मुझे बताया गया कि त्रिपाठी जी कब्जा करने आ रहे हैं, पहले तो मैं समझा नहीं, मेरा ध्यान पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की तरफ गया, पर फिर मैंने समझा कि यह माधव प्रसाद जी है। मैं भी यूनिवर्सिटी की ओर चला। मैंने देखा सारे गेट्स बन्द है, अब बड़ी परेशानी मेरे सामने थी। घूम कर जाने में 3-4 मील का चक्कर लगाना पड़ जाता है। खैर, मैं फिर भी गया। पैदल जाना पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि माधव प्रसाद जी भी वहां है, गौरीशंकर जी भी हैं, पीताम्बरदास जी भी हैं, राजनारायण जी भी हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई यह सब अपने ही साथी हैं, यहां से लौट चलो। मैं फिर लौट आया। मैं यह कहता हूं कि क्या इन लोगों के लिये यह उचित नहीं था कि वे वाइस चांसलर से जाकर बात करते, मुख्य मंत्री जी से जाकर बात करते, और इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई हल निकलवाते।

(व्यवधान)

श्री शत्रोन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)--

श्रीमाली तो बेवकूफी की बात करता है।

(व्यवधान)

श्री लाल बहादुर सिंह--

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माधव प्रसाद जी कब्जा कर सकते थे? क्या ला यह अपने हाथों में ले सकते थे? मेरी समझ में यह बात नहीं आती। (व्यवधान) इत्तफाक से जो यूनिवर्सिटी का प्रेसीडेंट है वहां की, वह कांग्रेस का आदमी है। उन्होंने मुझे बताया कि इनके लोग लड़कों को मारते है। बिल्कुल डाक्टर गोबिस जैसी नीति इनकी चल रही है। पता नहीं किस प्रकार की ट्रेनिंग यह लोग लड़कों को देते है, कहीं आग की घटना होती है, कहीं किसी को मारे जाने की घटना होती है, कुछ न कुछ होता ही रहता है और प्रचार उलटा किया जाता है। डाक्टर गोबिस ने भी अपनी पार्लियामेंट को फुकवा दिया था। यही हालत इनकी भी है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गोस्वामी जी ने दो घंटे इनको सिखाया है।

श्री लालबहादुर सिंह—

सबसे पहले तो कौन वाइस चांसलर यहां आया जिसका विरोध न हुआ हो। श्री राधाकृष्णन् के समय में तो मैं जेल में रहा, लेकिन उसके बाद से बराबर देख रहा हूं यह चीज। यहां तक कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की भी वहां दुर्दशा हुई, वह तो बड़े राजनीतिक और संयमी थे, जिनका बहुत बड़ा आदर्श था। उनको भी वहां फजीहत कर दी गई। भगोती रहे, जोशी आए, उनके बारे में यह कहा जाता था कि वह इनकी पार्टी के मेम्बर हैं, आर0 एस0 एस0 के सदस्य हैं, उसके कार्यकर्ता रहे हैं। वह बड़े अच्छे आदमी थे, मैं उनसे मिला और उनसे कहा कि आप आदमी तो अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन तुमको लोग कहते हैं कि तुम आर0 एस0 एस0 के आदमी हो।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

आर0 एस0 एस0 के आदमी अच्छे होते ही हैं।

श्री लाल बहादुर सिंह—

लेकिन यह त्रिपाठी जी एक्सेप्शन हैं। इनकी तो बराबरी गोवेल्स से है। यह हालत रही। अब श्रीमाली आए, उन्होंने इतना लीनियन्ट एटीच्यूड लिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, यों ही कभी शायद मिल गये हों। उन्होंने यह लीनियन्सी बरती कि यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर रखे जाएंगे, उसमें लड़कों की राय लेंगे। श्रीमाली अब उससे ज्यादा क्या करें। अब त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब ये लोग गये थे, वहां दफा 144 लगी हुई थी, मालवीय जी के गेट पर पुलिस लगी थी, तो वह वहां लेट गये। इनके जो राजनारायण हैं वह तो लेट गये, मचल गये। यह तो उनकी पुरानी आदत रही है, यहां भी बहुत बार लेटे हैं। जब हालत यह है तो पुलिस वाले करें क्या?

यहां भी आपको याद है जब यहां पर उनकी लिटाई हुई थी और अपोजीशन के लोग चेयर और टेबिल चलाते थे और उन पर खड़े होते थे और जूते चला रहे थे, तो हमें पुलिस बुलानी पड़ी। कलेक्टर अब क्या करेगा? ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करेगा या आपकी तरफ से लूटमार करने लगेगा, डंडे फेंकेगा और शोर मचाने लगेगा। जब उनसे कहा गया कि मीटिंग यहां न कीजिए तो नारे लगाने लगे,—गवर्नमेंट मुर्दाबाद, इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस मुर्दाबाद आदि आदि। हमने तो बहुत गाली सबकी सुनी है, आपने कम सुनी है, हम तो आदी हो गये हैं। मेरे बारे में कोई आर0 एस0 एस0 का लड़का भी नहीं कह सकता, मैं कई सालों से वहां का रहने वाला हूं, कि मेरे पास कोई आया हो और मैंने उसकी मदद न की हो।

एक यहां पर गाजियाबाद के पता नहीं किस बल के एम0 एल0 ए0 हैं, उन्होंने मेरे पास एक लेटर भेजा था, तो मैंने श्रीमाली को उसी समय फोन किया और पूछा कि इसका सार्टिफिकेट क्यों रोका गया है, तो कहा गया कि इसके खिलाफ चार्जेज हैं। मैंने कहा छोड़िये पास हो गया है तो निकल जाने दीजिए। तब जाकर उसका सार्टिफिकेट मिला तो मैं तो हमेशा सबकी मदद किया करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। हम तो लड़कों को लड़का समझते हैं, अपना सा लड़का समझते हैं। लेकिन हम उनसे यह तो नहीं कहते हैं कि जाकर यूनिवर्सिटी पर कब्जा करो।

इस विद्यामन्दिर के लिए हमने सैकड़ों एकड़ जमीन दी है, जब हम यहां बेचैनी देखते हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है। मुझे याद है मालवीय जी जब हमारे ग्रान्ड फादर के पास चारपाई पर आकर बैठते थे तो हम लोग छोटे-छोटे बच्चे जब खेला करते थे, तो मालवीय जी हमको गोद में

[श्री लाल बहादुर सिंह]

उठा कर ले लिया करते थे। हमारी कई सौ एकड़ जमीन इसमें गई है, जो हमने दिया है। जिसके कारण हम लोग दरिद्र हो गये हैं। जब आप मार करने लगते हैं तो चाहे जिस पार्टी का लड़का हो, मुझे बड़ा उससे कष्ट होता है। आखिर सब लड़के हमारे ही हैं।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी—

तो आप श्रीमाली को हटा दें सब ठीक हो जाए।

श्री लाल बहादुर सिंह—

श्रीमाली जी को हटा दूं, तो किसको लाया जाए, कौन बनेगा वहां का वाइस चांसलर, क्या माधव जी को लाया जाए ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप पंडित जी (मुख्य मंत्री) को ले आइये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या इसी तरह से यहां से हटाइयेगा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नहीं आप दोनों जगह रहें।

श्री लाल बहादुर सिंह—

आखिर कहीं से खोजना पड़ेगा। आप ही बताइये किसको बनाया जाय। आचार्य नरेन्द्र देव सबसे बड़े नेता थे, किसी पार्टी के हों, उनके चरणों के नीचे जाकर बैठते थे। उनको बेइज्जत नहीं कर दिया ? मैं [illegible] जी से कहता हूं कि एक दिन माननीय जी भी बनारस के हैं, आप लोग वहां [illegible], पर [illegible] लड़कों से [illegible]। अन्त में इसकी कोई रेमेडी निकाली जाय या [illegible] बन्द [illegible]। [illegible] उनको मार दिया, जूत डंडे मारे। पार्टी वाली बात छोड़िए। पार्टी में आये तो हम भी निपट लेंगे, आप भी निपट लीजियेगा हम भी जिन्दगी भर पालिटिक्स में रहे हैं, आपने भी जिन्दगी भर पालिटिक्स की है। लेकिन हम भी कांग्रेस के लड़कों को रोकें [illegible] आप भी आर० एस० एस० के लड़कों को रोकें कि पालिटिक्स न करें। [illegible] जी कांग्रेस [illegible] का घर [illegible] गये थे, जैसा एक दिन कम्युनिस्ट लोग [illegible] कि आर० एस० एस० का घर हटाओ, कलेक्टर अक्लमन्द था, आपके आदमी [illegible] तैयार थे, और उधर से भी लोग तैयार थे, तो होता क्या ?

हम को [illegible] आप लोग [illegible]। मैं आपको इनवाइट करता हूं। मेरा [illegible] लड़कों को बुला लें। [illegible] कोई आर० एस० एस० का हो गया कोई कांग्रेस का हो गया, कोई [illegible] आप। यहां पर एक बार और बहस हुई थी [illegible]। [illegible] गये। हम आप बैठें। दूकानें लुट जाती हैं, [illegible]। हम लोग जब [illegible] जी के पास बैठते थे, जब उनके पास खाने को न रहे [illegible], लेकिन पंडित से कहें कि क्यों भाई कुछ है, पंडित कहे कि रोटी नहीं है, [illegible], तो कहे दाल ही ले आओ। दाल ही कर रह जायं। इतना महान् [illegible] बना दें। [illegible] से कोई इंटरेस्ट नहीं है। [illegible]। गोविन्द जी मालवीय से तो कहा गया कि क्यों हटा रहे हो, बड़े बदमाश हैं, बड़ी बड़ी बातें कही गयीं गोविन्द जी मालवीय के लिये। जो जाता है बदमाश हो जाता है।

आखिर कौन वाइसचांसलर हो यह सबसे बड़ी दिक्कत है। आप लोग सोचिये। आप गये थे तो लड़कों को डांटते। कांग्रेस के लड़कों को भी बुलाते, आर० एस० एस० के लड़कों को भी बुलाते और कहते कि झगड़ा बन्द करो, अपना काम करो। लेकिन आप गये कब्जा करने। बस महाराज, धन्यवाद।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

कब्जे की बात कहां से आ गयी। यह बिल्कुल [illegible] बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कुछ समय बढ़ा दीजिये [illegible]।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं और विशेषकर विश्वविद्यालयों का वातावरण इतना दूषित हो गया है जिससे आज स्थिति ऐसी है कि विद्यार्थी और अध्यापकों का संबंध ठीक नहीं। [illegible] में आपस में मेल नहीं। विद्यार्थी तथा वाइस चांसलर में संबंध ठीक नहीं और विश्वविद्यालय के [illegible] भी ठीक नहीं। इसका परिणाम यह है कि आज जो तस्वीर हमारे प्रदेश के सामने है वह दूषित दिखाई पड़ रही है।

यह बात अपनी जगह ठीक है कि विद्यार्थियों का एक बहुत [illegible] प्रतिशत, मैं तो समझता हूं कि 95 प्रतिशत ऐसा होगा जो पढ़ना चाहता है और शान्ति से घर रहना चाहता है और थोड़े से ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन [illegible] बातों में भाग लेते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वे चुपचाप बैठे रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं लेकिन उनके प्रभाव में आकर उनके पीछे हो जाते हैं और परिणाम यह हो रहा है कि सारा वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय भी उससे अछूता नहीं रह गया है बल्कि आज तो वह पालिटिक्स का बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है।

मैं समझता हूं कि इसका कारण सरकार की अपनी ढुलमुल नीति रही है। सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को जो उपद्रव करते हैं, हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं उनको तुष्ट करने की कोशिश की और इसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपने काम जारी रखने के लिये हिम्मत आई और जो लड़के पढ़ना चाहते हैं वे निरुत्साहित हुए और उनकी हिम्मत आगे कुछ करने की नहीं रही। अगर विद्यार्थी जो इस तरह की हिंसा का कार्य करते हैं, उपद्रव करते हैं उनको सरकार की तरफ से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की गयी होती और उनके गलत कामों में उनको तुष्ट करने की कोशिश न की गयी होती तो आज का वातावरण ऐसा न होता जो विद्यार्थी गलत काम करने में लगे हुए हैं। अगर उनको सही रास्ते पर लाया जाय तो उनकी शक्ति व क्षमता का ठीक उपयोग हो सकता है और अगर उसको गलत रास्ते पर ले जाया जायेगा तो प्रदेश की स्थिति और बिगड़ेगी और उसके सुधार की कोई गुंजायश नहीं रहेगी।

आखिर किस उद्देश्य से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी थी? किस उच्च भावना से महामना मालवीय जी ने उसकी स्थापना की थी, किस तरह से मानवीय गुणों का विकास होगा, देशभक्त पैदा होंगे और कैसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चल कर देश के कर्णधार होंगे? लेकिन आज स्थिति यह है और इसका कारण सरकार की अपनी नीति जिसके अन्तर्गत वह कोई निश्चित कदम नहीं उठाना चाहती, शिक्षा संस्थाओं के मामलों में कोई सही कदम उठाने को वह तैयार नहीं है बल्कि जो जैसा करना चाहता है उसे वैसा करने देना

[श्री जयराम वर्मा]

चाहती है । इसका परिणाम यह है कि आज वातावरण इतना दूषित हो गया है । किसी पर्टिकुलर पार्टी का इसमें सवाल नहीं है । सभी पार्टीज के लोग विश्वविद्यालय में घुसे हुए हैं, राजनीति वहां घसी हुई है ।

बाहर की जो राजनीति है उसका प्रभाव विश्वविद्यालय के अन्दर भी पड़ता है । अगर बाहर की राजनीति का प्रभाव न पड़े तो विश्वविद्यालय उससे अछूत रह सकते हैं । लेकिन बाहर की राजनीति वहां किस लिये घुसती है । बात तो कही जाती है । चाहे राष्ट्रपति कहें या शिक्षा मंत्री कहें लेकिन बात सिर्फ कहने के लिये होती है । वह अमल में लाने से होती है । उस पर अमल की कोशिश नहीं की जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि आज रूलिंग पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि वह सारे देश में छायी हुई है और वह अपना लोभ संवरण नहीं कर पाती है विद्यार्थियों में राजनीति फैलाने से तो फिर दूसरी पार्टीज कैसे अपने को रोक सकती हैं ।

इस काम में रूलिंग पार्टी को पहल करना चाहिये वह अपना हाथ वहां से घसीटे और फिर दूसरी पार्टीज के लोग अपने आप वहां से हटने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सब लोग विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को ठीक करने के काम में लग सकते हैं । जिस काम के लिये उनकी स्थापना हुई थी सचमुच वह कार्य रूप में परिणत हो सकता है । यह न श्री माली का सवाल है, न किसी अन्य वाइस चांसलर का सवाल है लेकिन कुछ बातें आती हैं तो समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है ?

तीन महीने में 4 बार यूनिवर्सिटी बन्द हो तो यह वाइस चांसलर की अयोग्यता का ही प्रमाण है । इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है । तीन वर्ष तीन महीने में चार बार क्यों यूनिवर्सिटी बन्द हुई, इसके कारणों को दूर करने के उपाय किये गये । क्यों यह नहीं देखा गया कि यूनिवर्सिटी किस कारण बन्द हुई । जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनका समय इससे बरबाद होता है, अभिभावकों का पैसा बरबाद होता है । यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस तरफ वह ध्यान देती । यह यूनिवर्सिटी केंद्रीय शासित है लेकिन फिर भी प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी इससे अलग नहीं हो जाती है । यह उसके देखने की बात थी । जो लड़के पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ सकें और अभिभावकों का पैसा बरबाद न हो, इसको देखना चाहिये । वहां पर आज हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, हत्यायें हो हो रही हैं, आगजनी के केसज हो रहे हैं और सरकार बैठकर तमाशा देखती रहे, यह ठीक बात नहीं है । मुख्य मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

मुझे तो यह खबर है. हो सकता है गलत हो, वहां की नागरिक परिषद् ने मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में बात की थी, वे तैयार हो गये थे कि मुख्य मंत्री जी बीच में पड़कर मसले को तय कर सकते थे लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर जो वाइस चांसलर हैं वे तैयार नहीं हुए । मुख्य मंत्री जी के बीच में पड़ने पर फैसला करने के लिये वे तैयार नहीं हुये । इसलिये वह फैसला नहीं हो पाया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें हाथ बढ़ाना उचित नहीं समझा । अगर यह बात नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री उस पर रोशनी डालें ।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक बात यह कही कि यह बात बनायी गई वहां दो कांस्टेबुल बुरी तरह से मारे गये और वे गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है । उसका कारण यह बताया गया कि यूनिवर्सिटी के अन्दर घुसकर लड़कों को मारने पीटने की गुंजाइश हो पायेगी । इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि सचमुच क्या बात हुई । क्या उनको सचमुच बुरी तरह से घायल कर दिया गया था । यदि यह झूठी बात हो, तो जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया उनके विरुद्ध सीरियस कार्यवाही होनी चाहिये, यह बात भी मैं चाहूंगा कि प्रकाश में आये । ये दो हृतरफा खबरें हैं ।

कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि पुलिस और पी0ए0सी0 के जो लोग हैं वे उन विद्यार्थियों को ज्यादा पीटते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं। इसके मतलब बेचारे जो कि पढ़ना चाहते हैं वे पीटे जायं तो फिर क्या स्थिति होगी ? इस पर भी मंत्री जी रोशनी डाल दें। सब के साथ एक तरह का बरताव करना चाहिये। किसी किस्म का भेद नहीं करना चाहिये। लड़के जो पढ़ना चाहते हैं वे यह समझें कि सरकार हमारी रक्षा नहीं करना चाहती तो फिर क्या स्थिति होगी। सरकार को इस बात की जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक बात यह कही गई कि आलोक नाम का एक लड़का था जो कि बी0 ए0 की परीक्षा में निकाल दिया गया था और उसको एम0ए0 में रजिस्ट्रार महोदय की कृपा से दाखिला दिया गया, यह नवम्बर, 1972 की बात है। तो बहुत ही गलत है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।

एक दूसरी बात कही जाती है कि 7 दिसम्बर को वहां पी0ए0सी0 घुसी और एक लड़के का कत्ल हुआ जिस जुर्म में तीन लड़के शामिल थे। एक लड़का सत्यदेव तो फौरन ही पकड़ा गया और बहुत जल्दी ही उसकी जमानत भी हो गयी वहीं से कोशिश करा करके और दो लड़के जो बाद में गिरफ्तार हुए उनकी जमानत नहीं हुई। तो इस तरह से वाइस चांसलर की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से कार्यवाही हो जिसमें यह भेद मालूम पड़े कि एक विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार और दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार हो, जब इस तरह की बात सबके सामने आयेगी तो वातावरण कैसे ठीक होगा।

जहां तक यह बात है कि विश्वविद्यालय की अपनी एटानामी है, और वहां पुलिस को नहीं जाना चाहिये, यह बात अपनी जगह सही है लेकिन यह बात मैं मानता हूं कि अगर स्थिति ऐसी बिगड़ जाय कि वहां के अधिकारियों का कंट्रोल न रहे तो पुलिस को वहां जाना चाहिये क्योंकि रक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन अगर बार-बार पुलिस को जाना पड़े तो फिर उसके पीछे कोई बात है, कहीं कमी है जिसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि वहां पुलिस को जाना पड़े और उधर सरकार का ध्यान न जाय तो उन कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे बार बार वहां पुलिस को जाने की जरूरत न हो। अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी की बन्दी चलती रहे और कुछ छात्रों के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही होती रहे और इस तरह से आग लगती रहे, जैसा कि मुझे बतलाया गया कि एक स्थान पर अरहर रखा हुआ था जिसमें आग लगा दी गयी, कहीं और आग लगा दी गयी, लेकिन जिन विद्यार्थियों के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही की जा रही है उनके खिलाफ यह चार्ज नहीं है, वे इसके लिये दोषी नहीं हैं बल्कि उनके खिलाफ यही चार्ज है कि उन्होंने कहीं भाषण दिया या और कोई इस तरह का काम किया।

इस तरह से आगजनी व हत्या आदि के जो जुर्म हैं वे इन विद्यार्थियों पर नहीं लगाये गये हैं, इसका माने यह तो नहीं है कि उन विद्यार्थियों को निकाल दिया जाय जिसका उनमें किसी तरह से भी हाथ न हो। इससे भी यह बात सही नहीं मालूम पड़ती वहां का जो विद्यार्थी संघ है उनमें भी आपस में विभेद है और यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अध्यक्ष एक पार्टी का हो, महामंत्री दूसरी पार्टी का हो और उपाध्यक्ष तीसरी पार्टी का हो। यह स्थिति जब चुनाव में हो जाती है और वे मिलकर काम नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी जरूर होगी कि बाहर का कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं तो उनको मिलकर काम करना चाहिये और बाहर से भी कोशिश होनी चाहिये कि जो कुछ भी चुनाव में हुआ हो, वहां के पदाधिकारी मिलकर काम करें और जो विद्यार्थियों के हित में हो, वह काम करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे बिलकुल भुला दीजिये।

[श्री जयराम वर्मा]—

मैं अभी खतम कर रहा हूं । यूनिवर्सिटी के विकास और कल्याण के लिये जो काम करना हो उसके लिय बाहर से भी एसी कोशिश होनी चाहिय कि सब लोग एक साथ मिल कर काम करें । इसकी सबस बड़ी जिम्मेदारी पंडित जी के ऊपर है क्योंकि वे मुख्य मंत्री ह और उनकी सबसे बड़ी पार्टी ह । वे इस बात की कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी का वातावरण ठीक हो, वहां के दूषित कारणों को दूर किया जाय और यूनिवर्सिटी के वातावरण में सुधार के लिये जो बात कही जाती है उस पर अमल किया जाय, तब तो हम कुछ काम में सुधार कर सकते हैं नहीं तो उससे कुछ नहीं होने का । हमार प्रदेश को अगर यही हाल रहा तो इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ेगा और देश व दुनिया के सामने हम कैसे खड़े होंगे । यह चिन्ता और दुख की बात है, यूनिवर्सिटी के वातावरण में सुधार के लिये सब लोग सहयोग दें तो वह ठीक हो लेकिन पहले जब उधर से होगी तभी उस पर अमल किया जायेगा । इधर से हम कुछ भी करना चाहें तो उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा जब तक कि उधर से पहल न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब केवल 15 मिनट रह गये हैं । कुछ समय माननीय बंशीधर पांडेय जी भी लेंगे । अब 5-5 मिनट माननीय सदस्य ले लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, एक घंटा समय बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं बढ़ सकता है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

माननीय नेता सदन से परामर्श करके सदन का कुछ समय बढ़ा दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नेता सदन इसलिये समय बढ़ाने का परामर्श दे दें कि आप लोग जली कटी और सुना दें । 7 बजकर 10 मिनट पर यह समाप्त हो जायेगा । मुझे भी जवाब देने का कुछ अवसर मिल जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

(माननीय अनन्तराम जायसवाल से) 5 मिनट में आप कह दें तो ठीक है। अन्यथा मैं माननीय बंशीधर पांडेय को बुलाऊंगा ।

(माननीय मुख्य मंत्री जी के बुलाये जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नहीं तो कोई नहीं बोल पायेगा। यह मजाक थोड़े ही चलेगा । (व्यवधान)

(मेज थपथपाई जाने लगीं)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और 2 तारीख को दिन के 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 56 मिनट पर सोमवार, 2 अप्रैल, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ:
30 मार्च, 1973 ।

नत्थी "क"

[देखिय नियम 39(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 150 पेज पर[।

13 लेखपालों को दिये गये दण्ड का विवरण ।

(1) एक लेखपाल को सेवा से बरखास्त (डिसमिस) कर दिया गया ।

(2) एक लेखपाल को सेवा से हटा दिया गया (रिमूव कर दिया गया)

(3) एक लेखपाल को चेतावनी दी गई तथा उसकी एक वर्ष की वेतन-वृद्धि रोकी गई ।

(4) एक लेखपाल को निलम्बन काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही दिया गया, उसकी पांच वर्ष की वेतन-वृद्धि रोकी गई, उसकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई तथा निलम्बन-काल की अवधि उसकी पेंशन में गिनी न जाने का निर्णय लिया गया ।

(5) तीन लेखपालों को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई तथा निलम्बन-काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही उन्हें दिया गया।

(6) तीन लेखपालों की चरित्र-पंजियों में प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई, निलम्बन-काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही उन्हें दिया गया तथा उनकी एक वर्ष की वेतन-वृद्धि रोकी गई ।

(7) एक लेखपाल को निलम्बन-काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही दिया गया और उसकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई ।

(8) एक लेखपाल को निलम्बन-काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही दिया गया, 6दिन की अनुपस्थिति का उसे वेतन नहीं दिया गया और यह अवधि उसके सेवाकाल में व्यवधान (ब्रेक) माना गया ।

(9) एक लेखपाल को निलम्बन काल का केवल जीवन-निर्वाह भत्ता ही दिया गया तथा 10 दिन की अवधि का कोई भी वेतन उसे नहीं दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 159 प्रश्न संख्या पर)

क्रम संख्या	योजना का नाम	1972-73 का प्राविधान
		रु०
1--पर्यटन विभाग	1--नैनीताल में यवक केंद्र की स्थापना	1,00,000
	2--पौड़ी में पर्यटक आवास गृह का निर्माण	75,000
2--सीमांत विकास विभाग		
	जिला चमोली	
	1--पर्यटक होटल, बद्रीनाथ	10,00,000
	2--पर्यटक होटल, केदारनाथ	
	3--यात्रा विश्रामालय, बद्रीनाथ	
	4--पर्यटक विश्रामगृह, धंधरिया	
	5--पर्यटक विश्रामगृह, गोपेश्वर	
	6--पर्यटक विश्रामगृह, ग्वाल्दम	
	7--पर्यटक विश्रामगृह, नन्दप्रयाग	
	जिला उत्तरकाशी	
	1--यात्री विश्रामालय, गंगोत्री	
	2--यात्री विश्रामालय, उत्तरकाशी	
	3--यात्री विश्रामालय, बड़कोट	
	4--यात्री विश्रामालय, श्यामचट्टी	
	5--यात्री विश्रामालय, बीफ	
	6--पर्यटक विश्रामागृह, गंगानानी	
	7--पर्यटक विश्रामागृह, गंगोत्री	
	8--पर्यटक विश्रामागृह, बड़कोट	
	9--पर्यटक विश्रामगृह, उत्तरकाशी	
	जिला पिथौरागढ़	
	1--पर्यटक विश्रामगृह, पिथौरागढ़	

विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 162 प्रश्न संख्या पर)

जनपद बहराइच को शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 71–72 में बाढ़ पीड़ित छात्रों को दिये गये अनुदान का विवरण।

विद्यालय का नाम			दी गई धनराशि रु0
1—किसान इंटर कालेज, जरवलरोड	..	..	32,670–36
2—के0वी0 इंटर कालेज, पयागपुर	..	..	16,046–28
3—अलक्षेंद्र इंटर कालेज, भिनगा	..	..	19,305–09
4—महराजसिंह इंटर कालेज, बहराइच	..	..	14,517–63
5—आजाद इंटर कालेज, बहराइच	..	..	6,644–25
6—गांधी इंटर कालेज, बहराइच	..	..	20,801–22
7—सर्वोदय इंटर कालेज, मिहीपुरवा	..	..	12,967–56
8—रामजानकी इंटर कालेज, रुपईडिहा	..	..	2,196–00
9—जगतजीत इंटर कालेज, इकौना	..	..	10,137–53
10—सआदत इंटर कालेज, नानपारा	..	..	5,389–56
11—तारा महिला इंटर कालेज, बहराइच		..	787–50
12—हुकुम सिंह इंटर कालेज, कैसरगंज	..	..	12,750–75
13—स्वामी विवेकानन्द उ0 मा0 वि0, महसी	..	..	11,745–00
14—बुद्ध उ0 मा0 वि0, श्रीवस्ती	..	..	4,131–00
15—जेतवन उ0 मा0 वि0, श्रीवस्ती	..	..	2,754–00
16—शंकर उ0 मा0 वि0, नानपारा	..	..	1,401–75
17—जनता उ0 मा0 वि0, नानपारा	..	..	1,377–00
18—तपसी उ0 मा0 वि0, सेमरहना	..	..	1,660–50
19—राजाराम उ0 मा0 वि0, गंगवल	..	..	976–50
20—राम नारायण उ0 मा0 वि0, खजुरी	..	..	0,12–50
21—उ0 वि0 वि0, मोक्षद्वार कुसवाहा	..	..	121–50
22—चौ0 सियाराम जू0 हा0 स्कूल, फखरपुर	..	..	1,978–50
23—किसान जू0 हा0 स्कूल, लक्ष्मणपुर	..	..	3,847–50
24—अ0 जू0 हा0 स्कूल, सिकन्दरपुर	..	..	2,871–00
25—प्राइवेट जू0 हा0 स्कूल, शिवपुर	..	..	5,350–50
26—नागरिक जू0 हा0 स्कूल, अमवा	..	..	1,917–00
27—प्रयागदत्त जू0हा0 स्कूल, पट्टी	..	..	1,782–00
28—राम दुलारे जू0 हा0 स्कूल, गंडारा	..	..	1,672–00
29—बैजनाथ सिंह जू0 हा0 स्कूल, भारीगांव	..	..	954–00

विद्यालय का नाम	दी गई धनराशि रु0
	रु0
30—एस0ए0 जू0 हा0 स्कूल, लालपुर, अयोध्या	803–25
31—मनमोहन लाल अवस्थी, जू0 हा0 स्कूल, शंकरपुर.. ..	1,012–50
32—लाल बहादुर शास्त्री, जू0 हा0 स्कूल, बोरगंज	3,240–00
33—जवाहर नेशनल जू0 हा0 स्कूल, नवाबगंज, औलियाबाद ..	688–50
34—जवाहर लाल जू0 हा0 स्कूल, वेड़िया	688–50
35—नेहरू स्मारक जू0 हा0 स्कूल, रूपइंडिहा	607–50
36—श्रीराम जू0 हा0 स्कूल, चिलवरिया	393–75
37—राजा रुद्र प्रताप जू0 हा0 स्कूल, बड़नापुर	988–89
38—बलभद्र जू0 हा0 स्कूल, ऐरिया	2,227–50
39—अमीरमाह जू0 हा0 स्कूल, मोरमाह, बहराइच ..	505–50
40—महाजन जू0 हा0 स्कूल, बहराइच	162–00
41—जिला परिषद्, बहराइच	42,736–50
42—किसान डिग्री कालज, बहराइच	43,164–00
योग ..	2,96,642–62

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 23 एल0 ए0—1974—835.